लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

Preservation
Fumigated
Parliament Library

[खंड 54 में अंक 41 से 50 तक हैं
Vol. LIV contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 50—शुक्रवार, 29 अप्रैल, 1966/9 वैशाख, 1888 (शक)

No. 50—*Friday, April* 29, 1966/*Vaisakh* 9, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1423	सूती कपड़े का उत्पादन	Production of Cotton Cloth .	7613–15
1424	चावल के छिलके से तेल निकालना	Extraction of Oil from Rice Bran	7615–16
1425	कहवा (काफी) का निर्यात	Export of Coffee . . .	7616–19
1426	भू-वेष्टित (लैण्ड लाक्ड) देशों के साथ व्यापार	Trade with Land-Locked Countries	7619–21
1427	सूती कपड़े का उत्पादन	Production of Cotton Fabrics .	7621–24
1428	राज्य व्यापार निगम द्वारा कारों की बिक्री	Sale of Cars by S.T.C. . .	7625–27
1429	एशियाई औद्योगिक विकास परिषद्	Asian Industrialisation Development Council . . .	7627–28
1430	रेल के डिब्बे, इंजन आदि के मामले में आत्मनिर्भरता	Self-Sufficiency in Rolling Stock and Locomotives . . .	7628–30

अ० सू० प्र० संख्या S. N. Q. No.			
23	नौभार के अभाव में फारस की खाड़ी में रुक हुए भारतीय माल-जहाज	Indian Sailing Vessels stranded at Persian Gulf ports for want of Cargo	7630–32

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
1431	फरवरी, 1966 में आसाम मेल की दुर्घटना	Assam Mail Accident in February, 1966	7632
1432	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Enterprises . .	7632–33

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
1433	लोहा और इस्पात मंत्रालय में आयोजन एकक	Planning cell in Iron and Steel Ministry	7633
1434	छोटी कार परियोजना	Small Car Project . . .	7633
1435	टैरेलीन और रेशमी कपड़े के दाम	Prices of Terylene and Silk Fabrics	7634
1436	सलेम इस्पात कारखाना	Salem Steel Plant . . .	7634–35
1437	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	Public Sector Undertakings	7635
1439	रेलवे सुरक्षा दल	Railway Protection Force . .	7635–36
1440	हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड	Hindustan Machine Tools Ltd .	7636
1441	पैटना में रेल यात्रियों का रुके रहना	Railway Passengers stranded at Patna	7636–37
1442	सस्ती किरायादरों वाली वातानुकूलित रेलगाड़ियां	A-C Trains on Cheaper Rates .	7637
1443	पांडिचेरी में श्री भारती कपड़ा मिल	Sri Bharathi Textile Mill at Pondichery	7637
1444	रेलवे कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Railway Employees	7637–38
1445	सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं	Public Sector Projects . .	7638
1446	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration . .	7638
1447	इस्पात के ढांचों के सम्बन्ध में अनुसन्धान	Research on Steel Structures .	7638–39
1448	पंजाब में छोटे टिलर ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Small Tiller-Tractors	7639
1449	"ब्लीडिंग मद्रास" कपड़े का निर्यात	Export of "Bleeding Madras" Fabric	7639–40
1450	देश में उपलब्ध जानकारी	Indigenous Know-how . .	7640
1451	पांचवां इस्पात कारखाना	Fifth Steel Plant . .	7640–41
1452	सहारनपुर में कागज बनाने का कारखाना	Paper Mill at Saharanpur .	7641

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
4641	बीकानेर रेलवे स्टेशन	Bikaner Railway Station . .	7641
4642	एर्णाकुलम रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल	Over-bridge near Ernakulam Railway Station	7642
4643	केरल में टाइटेनियम डायोक्साइड बनाने का कारखाना	Titanium Dioxide Plantin, Kerala.	7642
4644	विद्युदग्रो (इलेक्ट्रोडस्) का निर्माण	Manufacture of Electrodes . .	7642
4645	काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद्	Cashew Export Promotion Council	7643
4646	गुजरात मेल की दुर्घटना की जांच	Gujarat Mill Accident Enquiry .	7643–44

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4647	काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद्	Cashew Export Promotion Council	7644
4648	रेलवे में प्रतिरक्षा सेवा के अधिकारी	Defence Service Officers on Railways	7644
4649	नींबू घास तेल का निर्यात	Export of Lemon Grass Oil	7645
4650	सरकारी उपक्रम	Public Undertakings	7645–46
4651	श्रीलंका को प्याज का निर्यात	Export of Onions to Ceylon	7646
4652	रेलवे सिगनल वर्कशाप, गोरखपुर	Railway Signal Workshop, Gorakhpur	7646
4653	पहली तथा तीसरी श्रेणी की मिली-जुली गाड़ी	Composite First and Third Class Coac..	7646–47
4654	भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन	Production at Bhilai Steel Plant	7647
4655	रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन का रिकार्ड	Production Record of Rourkela Steel Plant	7647–48
4656	सूरी स्टेशन के निकट रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल	Over-bridge at Railway Level Crossing near Suri Station	7648
4657	झांसी मणिपुर शाखा लाइन पर एक्सप्रेस रेलगाड़ी	Express Train between Jhansi-Manikpur Branch Line	7648
4658	पटसन का आयात	Import of Jute	7649
4659	बांदा और कानपुर के बीच सवारी गाड़ियों का देर से चलना	Late Running of Passenger Trains between Banda and Kanpur	7649–50
4660	भोपाल और हैदराबाद में हैवी इलैक्ट्रिकल प्लांट	Heavy Electrical Plants at Bhopal and Hyderabad	7650–51
4661	म्योर मिल्स	Muir Mills	7651
4662	पूर्व रेलवे के टिकट निरीक्षक कर्मचारी	Checking Staff of Eastern Railway	7651–52
4663	कोल्ड रोल्ड ब्लैक प्लेन शीटों का नियतन	Allocation of Cold Rolled Black Plain Sheets	7652
4664	रेलवे सुरक्षा निधि	Railway Safety Fund	7652–53
4665	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहकारी समितियां	Industrial Co-operatives in U.P..	7653
4666	उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग	Heavy Industries in U.P..	7653–54
4667	रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी की व्यवस्था	Supply of Drinking Water at Railway Stations	7654
4668	पटना रेलवे स्टेशन	Patna Station	7655
4669	विदेशों में भारतीय माल की बिक्री	Marketing of Indian Goods Abroad	7655
4670	घटिया किस्म के कोयले का बढ़िया किस्म के कोयले के रूप में स्वीकार किया जाना	Acceptance of Lower Grade Coal as Higher Grade Coal	7655–56

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4671	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration . .	7656
4672	मसालों का निर्यात	Export of Spices . . .	7656
4673	ट्रैक्टरों का निर्माण तथा आयात	Manufacture and Import of Tractors	7656–57
4674	ऊन तथा ऊनी कपड़े के दाम	Price of Wool and Woollen Cloth	7657
4675	उड़ीसा में नारियल जटा केन्द्र	Coir Centres in Orissa . .	7657–58
4676	उड़ीसा में रेशम-उत्पादन उद्योग का विकास	Development of Sericulture in Orissa	7658
4677	उड़ीसा में कोयले तथा लोहे के निक्षेप	Coaland Iron Deposits in Orissa	7658–59
4678	इस्पात सम्बन्धी मूल्य ढांचा	Steel Price Structure . .	7659
4679	डेकवाड स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर	Collision at Dhekwad Station .	7659
4680	इंजीनियरी उद्योग के कारखानों की इस्पात तथा कच्चे लोहे की सप्लाई	Supply of Steel and Pig Iron to Engineering Industrial Units .	7660
4681	इंजीनियरी उद्योग की इस्पात सम्बन्धी आवश्यकता	Annual requirement of Steel for Engineering Industry . .	7660–61
4682	क्षमता प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना	Issue of Capacity Certificates .	7661–62
4683	बंगलौर तथा मैसूर के बीच विद्युत रेलवे लाइनें	Electric Railway lines between Bangalore and Mysore . .	7662
4684	अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा "मांग दिवस" मनाया जाना	Demandsday by All India Railwaymen's Federation . .	7662–63
4685	नंगल बांध रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं	Amenities at Nangal Dam Railway Station	7663
4686	दिल्ली क्षेत्र में रेलवे के अवधि टिकटों (सीजन टिकटों) के किराये	Railway Fares for Season Tickets in Delhi Area . . .	7663–64
4687	नंगल बांध स्टेशन के निकट चौकीदार के लिए रिहायशी क्वार्टर	Residential Quarter for Gateman near Nangal Dam Station .	7664
4688	आनन्दपुर साहिब रेलवे स्टेशन पर टेलीफोन	Telephone at Anandpur Sahib Railway Station . . .	7664–65
4689	नंगल बांध में हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कारखाने	Hindustan Cables Ltd. and H.M.T. Units at Nangal Dam . .	7665
4690	रोपड़ा-नंगल बांध सैक्शन के रेलवे के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	Accommodation for Railway Employees on Rupar-Nangal Dam Section	7665
4691	रेलवे लेखा विभाग में क्लर्क	Clerks in the Railway Accounts Department	7665–66
4692	यूरिया का आयात	Import of Urea . . .	7666
4693	मैसर्स जैसप एण्ड कम्पनी	M/s. Jessop and Company	7667
4694	न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर	New Victoria Mills, Kanpur .	7667

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4695	रेशम उत्पादन उद्योग का विकास	Development of Sericulture Industry	7667–68
4696	मैसूर-स्थित रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्था	Sericulture Research Institute at Mysore	7668
4697	सीताराम कताई तथा बुनाई मिल्स, त्रिचूर	Sitaram Spinning and Weaving Mills, Trichur	7668
4698	भारत फ्रांस व्यापार	Indo-French Trade	7668–69
4699	अमरीकी अभिकरण से ऋण	Loan from U.S. Agency	7669–70
4700	उत्तर प्रदेश में स्कूटर बनाने का कारखाना	Scooter Plant in U.P.	7670
4701	ट्रैक्टरों का आयात	Import of Tractors	7670
4702	दक्षिण रेलवे में बिजली की व्यवस्था करना	Electrification on the Southern Railway	7670–71
4703	डिंडीगुल-गुडालूर रेलवे लाइन	Dindigul-Gudalur Railway Line	7671
4704	रेलगाड़ी में एक मृत महिला का पाया जाना	Woman found dead in train	7671
4705	राष्ट्रीय निर्यात नीति	National Export Policy	7671–72
4706	रेलवे में सुरक्षा के उपाय	Safety Devices on Railway	7672–73
4707	चाय बागान	Tea Plantations	7673
4708	कल्याण रेलवे स्टेशन	Kalyan Railway Station	7673
4709	टिटवाला तथा खडावली स्टेशनों के बीच झंडी (फ्लेग) स्टेशन	Flag Station between Titvala and Khadavli Stations	7673–74
4710	थाना स्टेशन में टिकट घर (बुकिंग आफिस)	Booking Offices at Thana Station	7674
4711	स्कूटर तथा आटो-साइकिल कारखाना	Scooter and Auto-cycle Factory	7674
4712	इण्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	India Electric Works Ltd., Calcutta	7675
4713	कलकत्ता के निकट रेलवे के स्लीपरों में आग लगाया जाना	Putting on fire of Railway Sleepers near Calcutta	7675
4714	राजस्थान के बूंदी जिले में संगमरमर के निक्षेप	Marble Deposits in Bundi District of Rajasthan	7675–76
4715	रेलवे कर्मचारियों की छंटनी	Retrenchment of Railway Staff	7676
4716	जगाधरी वर्कशाप स्टेशन का ठेकेदार	Contractor of Jagadhri Workshop Station	7676–77
4717	उत्तर रेलवे, नई दिल्ली का सेंट्रल अस्पताल	Northern Railway Central Hospital, New Delhi	7677
4718	निहालगढ़ पर रेल गाड़ियों की टक्कर	Train Collision at Nihalgarh	7677–78

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
4719	स्टेशन मास्टर का रेलगाड़ी के नीचे आ जाना	Station Master run over by Train	7678
4721	समस्तीपुर से बड़ी लाइन का विस्तार	Extension of B. G. Line from Samastipur	7678
4722	सीमेंट पर से नियंत्रण हटाने की योजना	Cement Decontrol Scheme	7678–79
4723	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	National Small Industries Corporation	7679
4724	कोयले के मूल्य में परिवर्तन	Revision of Coal Price	7680
4725	राजस्थान का हवाई सर्वेक्षण	Aerial Survey of Rajasthan	7680–81
4726	म्योर मिल्स लिमिटेड, कानपुर	Muir Mills Ltd., Kanpur	7681
4727	डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी के अहाते में मिशनरी स्कूल	Missionary School in the Campus of Diesel Locomotive Works, Varanasi	7681–82
4728	डीज़ल इंजन	Diesel Locomotives	7682
4729	ब्राजील की एक फर्म द्वारा भारतीय व्यापारियों के साथ छल किया जाना	Duping of Indian Businessmen by a Brazilian Firm	7682–83
4730	बैंगकाक में एशियाई व्यापार मेला	Asian Trade Fair in Bangkok	7683
4731	खनिजों का निर्यात	Export of Minerals	7683–84
4732	टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा ऋण का भुगतान	Repayment of Loan by Tata Iron and Steel Company	7684
4733	तांबे और सीसे के प्रद्रावक (स्मैलटर)	Copper and Lead Smelters	7684–85
4734	गैस-सिलिंडर फैक्टरी	Gas Cylinder Factory	7685
4735	तंतुक (स्टैपल फाइबर) का आयात	Import of Staple Fibre	7685–86
4736	आसाम में कागज की लुगदी का उत्पादन	Manufacture of Paper Pulp in Assam	7686
4737	आसाम मेल गाडी की दुर्घटना	Assam Mail Accident	7686–87
	अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
	उड़ीसा में अकाल की स्थिति और भूख से मृत्यु	Famine conditions and starvation deaths in Orissa	7687–95
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	7695–96
	सभा का कार्य	Business of the House	7696–98
	सामान्य आयव्ययक—अनुदानों की मांगें—	General Budget—Demands for Grants—	
	गृह-कार्य मंत्रालय— श्री नन्दा	Ministry of Home Affairs— Shri Nanda	7700–02

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
शिक्षा मंत्रालय, खान तथा धातु मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, सम्भरण और तकनीकी विकास मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय और समाज कल्याण विभाग अणु शक्ति विभाग, संचार विभाग एवं योजना आयोग, लोक-सभा, राज्य सभा तथा उपराष्ट्रपति का सचिवालय ।	Ministries of Education, Mines and Metals, Industry, Supply and Technical Development and Finance and Departments of Social Welfare, Atomic Energy Communications and Planning Commission, Lok Sabha, Rajya Sabha and the Vice-President's Secretariat	7703–06
राष्ट्र-मण्डल के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1311 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to S.Q. No. 1311 re: Commonwealth. .	7707
नियम 357 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण--	Personal Explanation by Member under Rule 357—	
डा० राम मनोहर लोहिया	Dr. Ram Manohar Lohia .	7708
श्री मु० क० चागला	Shri M. C. Chagla .	7708
विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1966—	Appropriation (No. 2) Bill, 1966—	
पुरःस्थापित तथा पारित	Introduced and Passed . .	7709–10
वित्त विधेयक, 1966—	Finance Bill, 1966—	
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री शचीन्द्र चौधरी	Shri Sachindra Chaudhuri .	7711–12
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandekar . .	7712–13
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
सत्तासीवां प्रतिवेदन	Eighty-seventh Report . .	7714
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद 75 और 164 का संशोधन)-- श्री हरि विष्णु कामत द्वारा—	Constitution (Amendment) Bill— (Amendment of Articles 75 and 164) by Shri Hari Vishnu Kamath—	
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती	Shri P. R. Chakraverti .	7715
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandekar . .	7715
श्री च० का० भट्टाचार्य	Shri C. K. Bhattacharyya .	7715
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	7716
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	7716
श्री बड़े	Shri Bade	7716–17
श्री र० स० तिवारी	Shri R. S. Tiwary . .	7717
श्री काशी राम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta .	7717
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra .	7717

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
श्री सिंहासन सिंह	Shri Sinhasan Singh . .	7717–18
श्री जी० भ० कृपलानी	Shri J. B. Kripalani . .	7718
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy . .	7718
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki . . .	7718–19
श्री सरजू पांडेय	Shri Sarjoo Pandey . .	7719
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी	Shri J. P. Jyotishi . .	7719
श्री पे० वेंकटासुब्या	Shri P. Venkatasubbaiah .	7719
श्री राजाराम	Shri Raja Ram . . .	7719
श्री हाथी	Shri Hathi . . .	7720–21
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath .	7721–22

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 29 अप्रैल, 1966/9 वैशाख, 1888 (शक)
Friday, April 29, 1966/Vaisakha 9, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सूती कपड़े का उत्पादन

+
*1423. **श्री मधु लिमये :** **श्री सुबोध हंसदा :**
डा० पू० ना० खां : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में सूती कपड़े का उत्पादन कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उत्पादन कम होने का निर्यात पर तथा देश में इसकी खपत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो उत्पादन स्थिर रखने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) पिछले कुछ **महीनों में** सूती कपड़ के उत्पादन में थोड़ी कमी हुई है।

(ख) यह कमी अधिकतर विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बिजली में की गई कटौती, वर्षा के अभाव और भारत पाकिस्तान की लड़ाई के फलस्वरूप मिलों से कपड़ा तथा सूत कम म में उठाये जाने के कारण हुई है।

(ग) उत्पादन में थोड़ी सी कमी हो जाने के कारण न तो कपड़े के निर्यात पर बुरा प्रभाव पड़ा है और न देश में खपत के लिये उपलब्ध कपड़े पर ही।

(घ) कठिनाई में पड़ जाने वाले मिलों को उपयुक्त मामलों में राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा रही है। बन्द हो जाने वाले मिलों को भी जल्द से जल्द फिर खोलने के प्रयत्न भी किये जाते हैं। मिलों से कपड़ा उठाये जाने की स्थिति अब साधारण हो गई है।

Shri Madhu Limaye : It has been stated in the Indian Textile Bulletin, a Government publication, that the position of cotton cloth industry was bad in all respects; many units remained closed and huge capacity remainded unutilised. About 9000 labourers remained without work. What steps have been taken by Government to employ more workers, increase the production and to reopen the closed mills ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : I have stated in the House on time and again that many mills are being opened, every year 40 mills are being opened as stated in the report also, out of which 19 were closed, 15 were scrapped. 9000 workers were unemployed. In such a big industry closure of 19 factories is nothing extraordinary. We are making efforts to reopen these as well.

Shri Madhu Limaye : When I had raised the question of Edward Mill the hon. Minister had stated that they were holding talks with the state Bank and that a suitable amending Bill would be brought forth. This amendment is yet to come before us.

Shri Manubhai Shah : We have to make a provision for payment of compensation and we have to amend the Constitution. We have already agreed in principle. The law cannot be amended immediately.

Shri Yashpal Singh : May I know the proportionate effect on handloom industry as a result of Pakistani aggression? How far the production has declined?

Shri Shafi Qureshi : There has been no effect on handloom garments. The exports amounted to Rs. 72 crores last year and Rs. 73 crores this year.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : The people are replacing the handlooms with powerloom on account of increase in excise duty. But unless new powerlooms are sanctioned production is bound to decline.

Shri Shafi Qureshi : In fact handlooms have increased. It is our endeavour to open 50 spinning mills in the cooperative sector.

Shri Manubhai Shah : We should not think that excise duty on yarn will adversely affect the handlooms and powerlooms. In fact that is its current price. Handlooms are not converted into powerlooms; these are two different types of machines. As regards the report of Asoka Mehta Committee, Government have finalised their decisions, which will be placed before the House.

Shri Achal Singh : Is the hon. Minister aware that many mills have stopped the production of dhotis, which has resulted in scarcity of dhotis ?

Shri Manubhai Shah : Government have received complaints regarding superfine and Government have issued orders to increase their production.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जब सरकार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत एक जांच समिति नियुक्त करती है और वह समिति सरकार से सिफारिश करती है कि बन्द की गई कपड़ा मिल को सरकार अपने हाथ में लेकर चलाये, तो सरकार उस समिति की सिफारिश को स्वीकार क्यों नहीं करती है? जैसा कि हाल में भारती टैक्सटाइल मिल्स, पांडिचेरी के मामले में हुआ ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य का कहना ठीक है। जब भी सरकार ने उद्योग अधिनियम की धारा 15(क) अथवा 18(क) और (ख) के अन्तर्गत कोई समिति नियुक्त की है हमने उस मिल को निरपवाद के रूप से हमने हाथ में लिया है। कल ही म्योर मिल्स को 80 लाख रुपए का ऋण मंजूर किया गया है, और मंत्रिमण्डल ने भी मंजूरी दे दी है तथा आशा है कि यह मिल 1 मई से पुनः चालू हो जायेगी। मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भारती मिल्स के बारे में भी सरकार शीघ्र ही निर्णय कर लेगी।

चावल की भूसी से तेल निकालना

***1424. श्री श्रीनारायण दास :**
श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ समय पूर्व एक सरकारी समिति द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार चावल की भूसी से तेल निकालने की योजना में कोई प्रगति हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या हुई प्रगति से इसका वाणिज्यिक उपयोग होने का संकेत मिलता है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) चावल की भूसी से तैयार किये गये तेल के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है। यह उत्पादन 1962 के 2,436 मी० टन से बढ़कर 1965 में 8,527 मी० टन हो गया है।

(ग) जी, हां। चावल की भूसी से तैयार किये गये तेल की पूरी मात्रा का इस्तेमाल औद्योगिक कार्यों जैसे साबुन और चर्बी वाले तेजाब के बनाने में किया जा रहा है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या चावल की भूसी से तैयार किये गये तेल को खाने के काम में ही प्रयोग किया जाता है अथवा अन्य प्रयोजनों के लिये भी प्रयोग किया जाता ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : अभी तक तो तैयार किया गया तेल केवल औद्योगिक प्रयोजनों के लिये ही प्रयोग किया जाता है।

श्री श्रीनारायण दास : इस प्रयोजन के लिये कितने कारखाने स्थापित किये गये हैं ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : उनकी संख्या 19 है।

Shri Yashpal Singh : Rice bran is the feed for our cattle. Thus we may not have to face fodder problem like the current food problems. Why should not Government encourage cultivation of mustard. etc.

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : तेल निकाली हुई भूसी को चारे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या ये कारखाने स्थापित करते समय यह ध्यान में रखा जाता है कि उन स्थानों में चावल काफी मात्रा उत्पन्न होता है ? उदाहरण के रूप में बांदा जिले में बुंदेलखण्ड में कोई कारखाना स्थापित नहीं किया गया है ।

श्री विमुधेन्द्र मिश्र : विशेषज्ञ समिति की एक सिफारिश यह भी थी कि जहां तक हो सके ये कारखाने चावल मिलों से 50 मील की दूरी में स्थापित की जायेगी ताकि चावल की भूसी मिलने में कठिनाई न हो । यह तो उद्योगपतियों के लिये ध्यान में रखने की बात है ।

श्री कपूर सिंह : यह चावल की भूसी किन किन औद्योगिक कार्यों में प्रयोग की जा सकती है और क्या यह बिना पता लगे घी के साथ मिलाई जा सकती है ?

श्री संजीवया : जी, नहीं; इसका प्रयोग साबुन और चर्बी वाले तेजाब बनाने में किया जाता है, जो बाद में संशिलष्ट रबड तथा अन्य उत्पाद तैयार करने में प्रयोग किये जाते हैं ।

कहवा (काफी) का निर्यात

*1425. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय काफी परिषद ने काफी के निर्यात के अभ्यंश को बढ़ा दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी मात्रा बढ़ाई गई है;

(ग) इस मात्रा में क्या निर्यात करने की अनुमति दी जा रही है और किन किन देशों को; और

(घ) क्या अन्तर्देशीय बाजार में इसका कोई प्रभाव पड़ेगा और यदि हां, तो किस सीमा तक ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) जी, हां । काफी वर्ष 1965–66 के लिये ।

(ख) 1500 मी० टन ।

(ग) 30–9–1966 से पहिले, उन देशों को जिनको निर्यात, आवंटित निर्यात कोटे में से तय किये जाते हैं ।

(घ) जी, हां । आंतरिक बाजार में काफी के मूल्य में किस सीमा तक वृद्धि हो सकती है इस सम्बन्ध में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री स० चं० सामन्त : क्या निर्यात की मांग को पूरा करने के लिये काफी का उत्पादन बढ़ाने के बारे में काफी बोर्ड तथा संसद् की प्राक्कलन समिति द्वारा दिये सुझावों पर विचार किया गया है; यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री शफी कुरेशी : अन्तर्राष्ट्रीय काफी करार के अन्तर्गत, जिसका भारत सदस्य है, भारत को 21,6000 टन की मूल मात्रा नियत की गई है। हमेशा यह हमारे प्रयत्न रहे हैं कि यह कोटा बढ़ा दिया जाये। तकनीकी सलाहकारों का एक दल भारत भेजा गया था और उसने अपनी सिफारिशें दे दी हैं और हमें यह आशा है कि वे हमारे पक्ष में है। हम निरन्तर प्रयास करते रहते हैं कि हमारा निर्यात बढ़े।

श्री स० चं० सामन्त : क्या यह सच है कि निर्यात की गई काफी की किस्म के बारे में कुछ शिकायतें आती रही हैं; यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : हमें कोई शिकायतें नहीं मिली हैं; इसके विपरीत यह बताते हुए मुझे प्रसन्नता होती है कि हमारी काफी की एक किस्म विश्व में सर्वोत्तम है।

Shri Bhagwat Jha Azad : It has been the effort of Government to increase the export of coffee. The increase in quota seenl to day is very nominal. In spite of all these efforts by Government why does the International Coffee Council is to able to consider an increase in the price of coffee ?

Shri Manubhai Shah : The total world coffee trade amounts to 45 lakh tons. Out of this our exports total 22,000 tons. We can be granted pro rata increase but other factors are also to be taken into consideration. It is gesture of their goodwill on their part that they have increased the quota of small countries while they have not done so in the case of others. We should increase our production. Hon. Member referred to the observations of the Estimates Committee that more money should be allocated for the purpose during Fourth Plan. We are trying it. We have requested for a provision of Rs. 12 crores. Rs. 4 crores have been sanctioned. If more money is provided we will increase the production accordingly.

श्री प्र० चं० बरुआ : अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के साथ काफी के क्षेत्र में कौन से प्रतियोगी देश हैं तथा काफी पैदा करने वाले अन्य प्रमुख देशों की तुलना में भारत में उत्पादन लागत कितनी है ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि सभा को विदित है, काफी निर्यात को किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाती है; यह उद्योग अपने पैरोंपर ही खडा है। इससे पता चलता है कि भारत में काफी का मूल्य समता पर आधारित है। इसके अतिरिक्त काफी हमारी उन वस्तुओं में से 80 प्रतिशत में से एक है, जिसका निर्यात किया जाता है जबकि निर्यात के लिये कोई पर्याप्त सहायता नहीं दी गई है। जहां तक इस में प्रतिस्पर्धी क्षमता का सम्बम्ध है यह काफी प्रतिस्पर्धात्मक है।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the European Countries are also covered by the extended quota; if not, whether it is a fact that Russians like Arabica Coffee very much and its demand is increasing there, if so, the steps being taken in that regard as also for exporting Coffee to that Country ?

Shri Manubhai Shah : All the European Countries and America are covered by it. As I said our export does not count even for one per cent of the whole of the international Coffee trade. Therefore, the question of increasing the export can arise only when the production increases and the consumption which is increasing decreases.

Shri Yashpal Singh : Why the entire Coffee production is not exported with a view to earn foreign exchange ? We can do without Coffee ; it only gives rise to diseases.

श्री मनुभाई शाह : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है ।

Shri Vishwanath Pandey : What amount of foreign exchange was earned last year by the export of Coffee and how much more is expected to be earned by the export promotion ?

Shri Manubhai Shah : At present foreign exchange worth 10 crores of rupees is earned and it is likely to increase by 30-40 lakh rupees.

श्रीमती अकम्मा देवी : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि हमारा उत्पादन केवल 60,000 टन है, जो कि बहुत कम है । क्या उत्पादन बढ़ाने के लिये काफी उगाने वालों को प्रोत्साहन देने का सरकार का इरादा है ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां । ऋणों, मशीनों की किराया-खरीद, उर्वरकों, अनुसन्धान कार्य आदि के द्वारा ।

Shri Rameshwaranand : Why the cultivation of Coffee , tea, tobacco etc., is not replaced by that of foodgrains so that we may save more of foreign exchange by avoiding import of foodgrains ?

Shri Manubhai Shah : We want to augment the production of both the items as also foodgrains so that our imports may be curtailed and export increased.

श्री दी० चं० शर्मा : युरोप, अमेरिका और कुछ रशियाई देशो में तात्काल तैयार हो जाने वाली काफी बड़ी लोकप्रिय होती जा रही है । क्या इसके उत्पादन के लिये कोई प्रयत्न किये जा रहे है ? मैं समझता हूं कि इस काफी द्वारा सामान्य काफी की अपेक्षा बहुत अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है ।

श्री मनुभाई शाह : इस समय दो फर्म इस काफी का उत्पादन कर रही हैं और अधिक को प्रोत्साहन दिया जायेगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि किस मात्रा में पैदा की जाती है । क्या यह सच नहीं है कि तुरन्त तैयार की सकने वाली काफी से साधारण काफी की अपेक्षा अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है ?

श्री मनुभाई शाह : माननीय सदस्य का कहना सही है । तुरन्त तैयार की जा सकने वाली काफी से साधारण काफी की अपेक्षा डेढ़ गुना मूल्य प्राप्त किया जा सकता है । परन्तु इस काफी की मंडी इतनी बड़ी नहीं है जितनी कि साधारण काफी की । हम इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं । हमें काफी के निर्यात से 13.31 करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है न कि दस करोड़ रु० की जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया ।

श्री राजा राम : माननीय मंत्री ने प्रश्न के भाग (घ) के उत्तर में कहा कि स्वदेशी मंडी में इसके मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । काफी की कीमत पहले ही बढ़ चुकी है । काफी के बीज मंडी में उपलब्ध नहीं हैं और बम्बई और मद्रास में काफी-गृहों में आगे लोगों की बड़ी बड़ी कतारें लगी रहती हैं । काफी के मूल्य के संबंध में मंत्रालय क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : जैसा कि मेरे साथी ने पहले बताया हम यह आशा नहीं करते कि कीमत में कोई विशेष वृध्दि होगी । सभा इससे सहमत होगी कि हम इस देश में निर्यात व्यापार को घाटा पहुंचा कर प्रत्येक वस्तु का उपभोग नहीं कर सकते हैं ।

श्री राजा राम : इसके साथ साथ आपको लोगों को भी कष्ट नहीं देना चाहिये ।

श्री मनुभाई शाह : कहीं न कहीं तो हमें कष्ट उठाना ही पड़ेगा । क्योंकि हम निर्यात करना चाहते हैं इसलिये किसी को कष्ट उठाना ही होगा ।

श्री रामनाथन चेट्टियार : नये क्षेत्रों में सरकार ने अधिक काफी उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी है ?

श्री मनुभाई शाह : मेरे पास नये और पुराने क्षेत्रों की अलग अलग जानकारी नहीं है । हमने काफी के प्रोत्साहन के लिये अब तक लगभग 9.35 करोड़ रु० दिये हैं । चतुर्थ योजना में हमारा विचार और अधिक देने का है ।

भू-वेष्टित (लैण्ड-लाक्ड) देशों के साथ व्यापार

+

*1426. **श्री भागवत झा आजाद :** **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अत्यधिक कानूनी बातों को एक ओर रख कर नेपाल और अफगानिस्तान जैसे भू-वेष्टित देशों के साथ व्यापार करने के संबंध में नये सिरे से विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार की योजना की मोटी रुपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : पड़ौसी भू-वेष्टित देशों जैसे नेपाल और अफगानिस्तान के साथ भारत के व्यापार को विकसित करने के निरन्तर प्रयत्न किये जा रहे हैं । व्यापार के विकास कार्य में कानूनी बाधाएं नहीं आने दी जाती और इन भागीदारों के साथ व्यापारिक समस्याओं का व्यवहारिक समाधान ढूंढने पर साधारणत: जोर दिया जाता है । व्यापार करार अथवा संधि में दी गई शर्तों के अनुसार भारत तथा इन देशों की सरकारों के बीच नियतकालिक विचार-विमर्श किया जाता है, ताकि भारत के साथ इन देशों के व्यापार और भारत के रास्ते अन्य देशों के साथ नेपाल के व्यापार सम्बन्धी प्रश्नों का निपटारा किया जा सके ।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whetner the Government have ratified the International convention concerning trade with land-locked countries if the Government have kept aside the legal considerations ?

Shri Manubhai Shah : We are going to sign that soon. But I would like to remind the hon. Member that it was India who fought most in the United Nations for the land-locked countries and got them the concessions.

Shri Bhagwat Jha Azad : What are the reasons for not ratifying the convention so far despite the fact that India took lead in getting that convention passed ? At what stage is this matter pending at present ?

Shri Manubhai Shah : This matter is not pending. It is a very intricate matter. There are many implications in it. We have also to see to the security of the country. It was passed only three months back and only two countries have ratified it. We will also do it.

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या भूवेष्टित देशों को वस्तुओं के निर्यात के लिये सरकार कोई राज्य सहायता देने जा रही है।

श्री मनुभाई शाह : भूवेष्टित का अर्थ राज्य सहायता से नहीं है। इसका अर्थ है कि जिन देशों के साथ समुद्रतट नहीं लगता है उनको हम अपने खुले समुद्र का प्रयोग करने देते हैं। यह सुविधा हम दे रहे हैं। जहां तक नेपाल का संबंध है परमश्रेष्ठ सूर्य बहादुर थापा जिन्होंने हाल ही में हमारे देश का दौरा किया और महामहिम राजा महेन्द्र ने यह माना है कि नेपाल के पाकिस्तान और शेष संसार के साथ व्यापार में भारत ने यथाशक्ति सहायता की है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या भारत की पूर्वी ओर के भूवेष्टित देशों का निर्यात व्यापार हमारे देश की पूर्वी बन्दरगाहों के रास्ते होने दिया जाता है; और यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई करार किया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : दो और हैं। यदि माननीय सदस्य का अर्थ कलकत्ता से है तो मुझे कहना चाहिये हां क्योंकि पूर्व की ओर वही एक पत्तन है जो नेपाल को शेष संसार से मिलाती है। पश्चिम की ओर भी, हम राधिकापुर, रक्सोल और बागाह के रास्ते पड़ोसी देशों के साथ नेपाल का व्यापार होने देते हैं।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या नेपाल सरकार ने कभी कोई शिकायत की है कि इन पत्तनों पर कभी कभी उनके माल को अपेक्षित प्राथमिकता नहीं दी जाती है; और यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिये कि हमारे मित्र देशों के लिये इस प्रकार की कोई कठिनाई पैदा न हो, क्या कोई कदम उठाया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : परमश्रेष्ठ थापा ने यह प्रश्न उठाया था और हमने उन्हें आश्वासन दिया कि नेपाल सरकार ने हमसे ऐसे किन्हीं मामलों का उल्लेख नहीं किया है, परन्तु परिवहन के मामले में यदि ऐसी कोई बात होती भी है तो हम रेल के माल डिब्बों और जहाजों मे बर्थों की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये अपना व्यक्तिगत ध्यान देंगे।

श्री नी० श्रीनारायण दास : क्या नेपाल की मंत्री परिषद के प्रधान श्री थापा ने अपने हाल के भारत के दौरे में यह सुझाव दिया था कि भारत और नेपाल के बीच वस्तुओं के आने जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये; और यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मनुभाई शाह : नेपाल के साथ हमारे सम्बन्ध दोनों देशों के बीच एक सन्धि द्वारा नियंत्रित हैं जो कि पिछले नौ वर्षों से लागू है। किसी प्रतिबन्ध का कोई प्रश्न नहीं है। इसके विपरीत पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार कई प्रकार से बढ़ा है और नेपाल की उपभोक्ता तथा औद्योगिक वस्तुओं की लगभग 97 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।

श्री नी० श्रीनारायण दास : मेरा प्रश्न सभी वस्तुओं के निर्बाध वहन के बारे में था।

श्री मनुभाई शाह : मैं प्रत्येक वस्तु के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता हूं। कुछ ऐसी वस्तुएं है जो खराब हो सकती है, कुछ सुरक्षा संबंधी हैं, कुछ प्रतिरक्षित हैं; परन्तु मोटे तौर पर वस्तुओं का निर्बाध वहन है।

श्री श्रीकान्तन नायर : क्या यह सच है कि अफगानिस्तान और भारत के बीच व्यापार के मामले में, सरकार और रक्षित बैंक नये व्यापारियों को वहां से पहले माल खरीदने के मामले में और वहां पर पहले माल भेजने के मामले में परस्पर विरोधी हिदायतें दे रहे हैं ?

श्री मनुभाई शाह : प्रश्न भूवेष्टित देशों के बारे में है।

श्री नो० श्रीकान्तन नायर : मैं अफगानिस्तान के बारे में पूछ रहा हूं। क्या यह सच है कि भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार के संबंध में—भारत और पाकिस्तान के बीच वस्तु-विनियम व्यापार—भारत सरकार तथा रक्षित बैंक, पहले वस्तुएं भेजने और फिर वहां से वस्तुएं मंगाने के संबंध में परस्पर विरोधी हिदायतें दे रहे हैं जिसके परिणामस्वरुप नये व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के संबंध में कोई प्रगति नहीं कर सकते हैं ?

श्री मनुभाई शाह : दोनों देशों के बीच वस्तुओं के लाने ले जाने पर भारत सरकार अथवा भारत के रक्षित बैंक द्वारा कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। दोनों देशों के बीच व्यापार एक द्विपक्षी समझोते के अनुसार होता है। हम अफगानिस्तान से लगभग $7\frac{1}{2}$ करोड़ रु० के मूल्य के फल खरीदते हैं और लगभग उसी राशि के मूल्य का कपड़ा इंजीनियरी का सामान, औषधियां, रोगन और अन्य माल भारत से अफगानिस्तान को निर्यात किया जाता है। इस संबंध में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई थी सिवाय इसके कि पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के बीच वस्तुओं के आने जाने को पाकिस्तान ने प्रदेश से नहीं गुजारने दिया और बीच में ही रोकने का प्रयत्न किया।

श्री नो० श्रीकान्तन नायर : मेरा प्रश्न बिल्कुल पृथक था।

अध्यक्ष महोदय : आप जरा और साफ बोल कर अब इसको स्पष्ट कर दीजिये।

श्री नो० श्रीकान्तन नायर : मेरा प्रश्न यह था कि क्या सरकार इससे अवगत है कि मंत्रालय द्वारा अपनाई गई नीति, जिसके अनुसार पुराने व्यापारियों को अफगानिस्तान से पहले माल मंगाने और फिर वहां भेजने की अनुमति है और जिसके अनुसार नये व्यापारियों पहले माल भेज कर ही माल आयात कर सकते हैं, इस संबंध में रक्षित बैंक द्वारा दी गई हिदायतों से भिन्न हैं।

श्री मनुभाई शाह : मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य हिदायतों की एक प्रति दें। व्यापार का तरीका इस प्रकार है : प्रत्येक वर्ष दोनों सरकारों के बीच एक व्यापार समीक्षा समिति बैठती है। दोनों सरकारों के बीच कुछ अफगान व्यापारियों और कुछ भारतीय व्यापारियों की एक सूची तैयार की जाती है। उन व्यापारियों को दोनों देशों की सरकारों द्वारा मान्यता दी जाती है। इस व्यवस्था के अनुसार अफगानिस्तान के साथ इस देश के व्यापार में किसी नये या पुराने व्यापारी पर कोई रोक नहीं है।

श्री विश्वनाथ राय : भारत और नेपाल के बीच व्यापार के अनुकूल विकास को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने नेपाल से भारतीय किसानों के अनाज को भारत के लिये प्राप्त करने का कोई प्रयत्न किया है ?

श्री मनुभाई शाह : अफगानिस्थान के पास निर्यात के लिये कोई फालतू अनाज नहीं है। यदि वह हमें लिखे तो हम निश्चय ही इसकी अनुमति देंगे और हमें कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। हमारी ओर से प्रयास नहीं किया गया, क्योंकि अफगानिस्तान बहुत सी चीजों का आयात करता है और वहां फालतू अनाज नहीं है।

सूती कपड़े का उत्पादन

+

*1427. **श्री मधु लिमये** :
श्री यशपाल सिंह :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1965 के अन्तिम चार महीनों में सूती कपड़े तथा धागे के उत्पादन में बहुत कमी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) कपड़े तथा धागे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 1965 के अन्तिम चार महीनों में, वर्ष के पहल आठ महीनों में हुये औसत मासिक उत्पादन की तुलना में सूती कपड़ों और धागे के उत्पादन में थोड़ी सी कमी हुई ।

(ख) इस कमी का कारण विभिन्न राज्यों द्वारा की गयी बिजली में कटौती, मनसून का न आना और भारत-पाकिस्तान झगड़े के परिणामस्वरुप मिलों से कपड़े और धागे की निकासी में कमी का होना था ।

(ग) राज्य सरकार तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उचित मामलों में उन मिलों को, जो कठिनाई में हों, वित्तीय सहायता दी जा रही है । बंद पड़ी मिलों को यथाशीघ्र फिर से चालू करने के प्रयत्न भी किये जा रहे हैं । मिलों से कपड़े की निकासी अब सामान्य हो गयी है ।

Shri Madhu Limaye : May I know whether the wide spread famine and starvation conditions in Orissa, Rajasthan, Maharashtra, Gujarat and Punjab have had any bearing on the consumption of cotton cloth and if so, whether Government are holding any talks with the owners of the cotton textile mills to bring down the rates of coarse cloth used by the weaker sections of society with a view to give them some relief ?

Shri Manubhai Shah : It is correct that due to famine off take of cloth has been less and its production has been adversely affected. The drought is so acute in Orissa that the Chief Minister of that State had come here and we decided to give him 5 lakh yards of Khadi and 5 lakh yards of mill-made cloth as a gift for free distribution among the people there. We have also received demands from other areas just as Madhy Pradesh and we are trying to distribute this cloth among the famine-stricken people at all the places. They will be given both khadi and mill-made cloth.

Shri Madhu Limaye : This was not my question. I wanted to know whether the Government are holding any talks with the Cotton textile mill owner with a view to bring down the prices of the coarse cloth worn by the poor people.

Shri Manubhai Shah : No, Government is not holding any such talks. The controlled cloth is being sold at very reasonable rates. The mill owners are making protests against this control daily, but we are having this control only to help the poor.

Shri Madhu Limaye : I have asked about reducing the rates.

Shri Manubhai Shah : There is no question of reducing the rates.

Shri Madhu Limaye : Attention of the Government was invited to the high rates fixed of the cloth being sold in Tribal areas. The sample of the cloth was also laid on the Table of the House. May I know the action taken by Government in that regard to help the Tribal and the poor people ?

Shri Manubhai Shah : The rates of the controlled cloth such as, dhoti, sari, longcloth, drill and shirting are quite reasonable and rather the millowners are complaining that these rates are uneconomical and should be increased, but

still the Government is not revising that. The sample of the cloth placed on the Table by Dr. Lohia has nothing to do with this question. He was saying that they should get a commission of 6 per cent from the dealers. This is not our job to regulate the commission, but still we are seeing as to how to regulate this Commission. **(Interruption)**

Shri Yashpal Singh : Will our textile industry be affected in any way by the announcement made by Britain that it will not allow import of textiles to Britain till 1970 ?

Shri Manubhai Shah : Britain will not encourage imports till 1970, but we have concluded our talks with Britain in that regard and only the agreement remains to be signed which is sure to be signed. We will continue to have the quota of 195 million yards as before, but as it was reported in the press Britain will not encourage imports from new countries.

Shri Vishwa Nath Pandey : May I know whether one of the causes of the shortfall in production is that our textile mills have got out dated machinery and whether Government have received any representation from mill owners for modernisation of these mills and if so, their names and what action is being taken by the Government in this connection ?

Shri Manubhai Shah : This shortfall in production was due to cut in the supply of power. Due to shortage of water in tanks, power could not be generated to meet the demand and a cut of 33 to 50 per cent had to be effected in power supply to Maharashtra, Punjab etc. We hope the normal supply will be restored after adequate rainfall which will automatically increase the production.

Shri Ram Harkh Yadav : May I know whether there has been an increase in the prices of controlled cloth due to less production during the last 4 to 6 months or its prices will be checked ?

Shri Manubhai Shah : There is no question of shortfall in the production of controlled cloth because it is produced according to our direction. The Government always ensures that the requirements of the public are met.

Shri Kashi Ram Gupta : May I know the percentage of shortfall in the production of cloth and the areas where there was shortfall in production and whether this shortfall has been made up during these four months ?

Shri Manubhai Shah : There is a shortfall of 50 to 60 million metres, that is less than one per cent, out of the total production of 4600 million metres. It was due to cut in power supply and the Indo-Pakistan conflict but the nandloom production has increased.

Shri Kashi Ram Gupta : I want to know the mills of which areas have been affected.

Shri Manubhai Shah : The shortfall is so insignificant that there is no need to know the areas affected by it.

श्री मुथिया : क्या यह सच है कि मद्रास में हथ करघ तथा मिल के कपड़ा का काफी स्टाक बिना बिका पड़ा है जिससे कपड़े के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री मनुभाई शाह : यह चार महीने पहले की बात है। इस समय कपड़े अथवा सूत का कोई स्टाक जमा नहीं है।

डा० रानेन सेन : पिछले कुछ वर्षों से कपड़े की, विशेषकर मध्यम तथा बढ़िया किस्म के कपड़े की, किस्म काफी गिर गई है और दूसरी ओर उसके दाम बढ़ गये हैं। जनता की यह आम शिकायत है कि पहले वाले मोटे कपड़े पर दर्म्याने किस्म की और दर्म्याने किस्म के कपड़े पर अच्छे किस्म के कपडे की मुहर लगाई जाती है। इस बात पर नियंत्रण रखने के लिये क्या व्यवस्था की गई है कि कपड़ा जिस किस्म का हो, उस पर उसी प्रकार की मुहर लगाई जाये जिससे किस्म के बारे में कोई हेरफेर न हो सके ?

श्री मनुभाई शाह : मुझे लिखित अथवा मौखिक कोई शिकायत नहीं मिली है। यह बिल्कुल गलत है। कपड़े की किस्मी नहीं गिरी है। कपड़े की किस्म में सुधार हुआ है। मोटे कपड़े पर कोई भी दर्म्याने किस्म के कपड़े की और दर्म्याने किस्म के कपड़े पर अच्छे किस्म के कपड़े की मुहर नहीं लगा सकता। प्रत्येक राज्य में सतर्कता समिति की व्यवस्था है। मुझे मुख्य मंत्रियों ने लिखा था कि समिति के पास कोई शिकायत नहीं आ रही हैं। अतः इन्हें समाप्त किया जाये। हमने इसको स्वीकार कर लिया। जहां राज्य सतर्कता समिति की आवश्यकता समझे, वहां वे कार्य कर सकती हैं। केन्द्र में उपमंत्री की अध्यक्षता में एक सतर्कता समिति है। 3 या 4 मई को इसकी बैठक होगी।

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : उत्पादन में सबसे अधिक कमी किस राज्य में हुई और उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मनुभाई शाह : वर्षा होते ही पर्याप्त मात्रा में बिजली पैदा की जायेगी जिससे उत्पादन बढ़ जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय के उत्तर में और वास्तविक तथ्यों में एक बड़ा अन्तर है। मंत्री महोदय ने अभी कहा है कि यद्यपि कपड़े पर से नियंत्रण हटाने के लिये कई ओर से सरकार पर दबाव डाला जा रहा है फिर भी नियंत्रित कपड़े के मूल्य सरकार स्थिर रखती है। क्या मंत्री महोदय को पता नहीं है कि हाल ही में कपड़ा आयुक्त ने एक आदेश जारी किया है जिसमें नियंत्रित कपड़े के एक्स-मिल मूल्य तथा खुदरा मूल्य के बीच के अन्तर को 2 प्रतिशत, 18 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक बढ़ाया गया है। इसका अर्थ यह है कि अब उपभोक्ताओं को पहले से दो प्रतिशत और अधिक मूल्य देना पड़ेगा; मंत्री महोदय ने सभा को गलत सूचना क्यों दी कि मूल्य को स्थिर रखा जाता है ?

श्री मनुभाई शाह : सभा को दिया गया विवरण इस घोषणा से पहले का है। यह कानूनी उपबन्ध के अनुसार किया गया है। खुदरा व्यापार को अधिक व्याज तथा भण्डागार शुल्क देना पड़ता है। रेलव भाड़ा भी बढ़ गया है। मैंने कहा कि कपड़े की कमी अथवा अन्य कारणों से कपड़े पर छपे मूल्यों से, जिन में समय समय पर संशोधन किया जाता है, अधिक मूल्य नहीं लिये जाते हैं।

Shri Surya Prasad : The hon. Minister has stated that the controlled cloth is sold on reasonable prices but people do not know the varieties of controlled cloth and therefore the dealers charge more price than the controlled price from innocent customers. What steps are being taken by the Government in this direction ?

Shri Manubhai Shah : We have not received any complaints so far in this regard. Even then we conducted twenty raids during last month with a view to ensure that more prices than the stamped prices are not charged by the dealers. Legal action will be taken against the persons found guilty.

राज्य व्यापार निगम द्वारा कारों की बिक्री

*1428. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 दिसम्बर, 1965 के "पैट्रियाट" समाचार पत्र में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि राजनयक (डिप्लोमेट) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से अपनी कारें अत्यधिक मूल्यों पर बेच रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि खरीदने वाले लोगों को कार के मूल्य-ह्रास की छूट भी नहीं दी जाती; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तथा (ख) : जी, हां।

(ग) सरकार के निर्णय के अनुसार सभी दूतावासों, हाई कमीशनों और कोन्सलवासों को अपनी गाड़ियों का पुनर्निर्यात कर देने अथवा अन्य विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति अथवा संगठन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय बाल आयात निधि आदि के हाथ बच देने की अनुमति सामान्यत: दे दी जाती है। उन्हें सरकार की मार्फत राज्य व्यापार निगम को अपनी गाड़ियां, लागत-बीमा भाड़ा सहित उस कीमत पर, जिसपर वे भारत में आयात की गई थीं, मूल्य ह्रास प्रभार बिना दे देने की भी अनुमति दी जाती है। लागत-बीमा-भाड़ा कीमत में जहाज से उतरने के बन्दरगाह से लेकर सम्बद्ध राजनयिक के कार्यालय तक गाड़ी को ले जाने में जो खर्च आता है, वह भी शामिल होता है। यह राज्य व्यापार निगम पर निर्भर करता है कि या तो वह इस आधार पर उन गाड़ियों को खरीद ले अथवा सम्बद्ध व्यक्तियों को वह सूचित कर दे कि वह उन गाड़ियों को खरीदने में दिलचस्पी नहीं रखता। चूंकि कीमत लगाने का यह तरीका एक ओर तो मूल्य ह्रास कीमत के आधार तथा दूसरी ओर पहले के अत्यधिक ऊंचे बाजार मूल्य के आधार के बीच का उचित मार्ग तथा समझौता है, अत: किसी प्रकारके अनाचार का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में कहा गया है कि राजनयिकों को सरकार के माध्यम से राज्य व्यापार निगम को अपनी गाड़ियां, लागत-बीमा-भाड़ा सहित, उस कीमत पर जिस पर व भारत में आयात की गई थी, मूल्य ह्रास प्रभार बिना दे देने की भी अनुमति दी जाती है। क्या यह सच है कि वर्तमान नियमों के अन्तगत मूल्य ह्रास की कोई व्यवस्था नहीं है। चाहे कार कितनी पुरानी क्यों न हो, बेचने वाला कार की लागत के बराबर कीमत मांग सकता है। यदि यह सच है, तो इस देश की जनता को मितव्ययता का पाठ पढ़ाने वाली सरकार इन कारों को इतनी अधिक कीमत पर क्यों खरीदती है ?

श्री मनुभाई शाह : कारण स्पष्ट है। दश में बड़ी कारों की कमी बहुत अधिक है। अत: इस सभा की सिफारिश पर इन कारों का नीलाम किया जाता है और सब से ऊंची बोली बोलने वाले को कार दी जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था से पहले कार बचने वाल तथा खरीदने वाले व्यक्तियों के बीच प्रच्छन्न व्यापार चलता था। इस से हमें रुपय तथा विदेशी मुद्रा की हानि होती थी। अब दोनों बातें सुरक्षित हैं और समय समय पर हम सभा को सूचित करते रहते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या आम तौर पर ऐसा होता है कि राजनयिक किसी तीसरे देश से कार खरीद कर उसके दाम काफी बढ़ा देते है? क्या कोई राजनयिक किसी कार को 10,000 रुपये में खरीद कर और दो-तीन वर्ष उसका उपयोग करके 20,000 रुपये में आसानी से बेच सकता है और क्या वे कुछ अतिरिक्त मूल्य भी लेते हैं और यदि हां, तो सरकार ने इस बात के लिये क्या उपाय किये हैं कि कार का मूल्य ह्रास प्रभार कम किया जाये और कार उसी कीमत पर न बेची जाये जिस कीमत पर उसका आयात किया गया था ?

श्री मनुभाई शाह : कार बेचते समय राजनयिक मूल बीजक देना पड़ता है । अत: मैं समझता हूं कि आज तक किसी ने भी अधिक मूल्य नहीं लिया । दूसरी बात यह है कि अच्छी कारों के प्रचलित मूल्यों के बारे में हमें जानकारी है । हम यह भी जानते हैं कि भारत में वह कार कितने मूल्य पर पड़ी । पहले 10,000 रुपये की कार को 50,000 अथवा 80,000 रुपये में बेचा जाता था और इस प्रकार सारा मुनाफा कार बेचने वाले विदेशियों को मिलता था । इसी लिये हमने यह व्यवस्था की है । हमने यह व्यवस्था एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रथा के रूप में अपनाई है । इस प्रकार की प्रथा 9–10 देशों में है । चूंकि ये कारें बहुत कीमती होती हैं इस लिये हम मूल्य ह्रास प्रभार नहीं घटाते हैं और सरकार उन्हें राज्य व्यापार निगम के द्वारा बिना मूल्य ह्रास प्रभार घटाये ही बेचती है । इससे कार बेचने वाले को उचित मूल्य मिल जाता है । राज्य व्यापार निगम कार की हालत को देख कर पूरी तरह संतुष्ट होने पर ही कार खरीदता है । राज्य व्यापार निगम द्वारा कार खरीदने से इन्कार किये जाने पर राजनयिक कार को या तो अपने साथ ले जाते हैं या उसका फिर से निर्यात करते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरे प्रश्न के पहले भाग का क्या उत्तर है ? मैंने पूछा था कि क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि कुछ राजनयिक अपने देश से अपने साथ कारें नही लाते हैं, अपितु वे किसी अन्य देश से आयात करते हैं । विशेष रूप से यह एक आम बात बन गई है कि वे लोग जो अपने साथ कार लाते है, अपनी कारो को तीन-चार वर्ष प्रयोग करने के बाद उसी कीमत पर बेचते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री मनुभाई शाह : हम कार की किस्म के अनुसार सौदा करते हैं न कि देश के अनुसार । हम प्रत्येक देश में बनी कार के मूल्यों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं ।

श्री जसवन्त मेहता : यह अच्छी बात है कि राज्य व्यापार निगम ने यह योजना अपने हाथ में ले ली है । धनी लोगों को, राज्य व्यापार निगम को तथा धनी संस्थाओं को क्रमश: कितनी कितनी कारें दी गई ?

श्री मनुभाई शाह : आंकड़े इस प्रकार है :1962–63 में पर्यटक संस्थाओं को एक कार; राज भवन को तीन कार; सरकारी विभागों को सात और जन साधारण को कोई नहीं क्योंकि यह योजना केवल एक महीने तक लागू रही । 1963–64 में पर्यटक संस्थाओं को 11 कार, राजभवन को 5 कार और जन साधारण को 165 कार । 1964–65 में पर्यटक संस्थाओं को 125 कारें, और जन साधारण को 274 कारें बची गई । 1965–66 के पहले नौ महीनों में पर्यटक संस्थाओं को 61 का तथा जनसाधारण को 254 कारें बेची गई । अब तक कुल 680 और अधिक कारें बेची गई हैं ।

श्री नाथ पाई : मंत्री महोदय ने बताया है कि कारें सब से ऊंची बोली बोलने वाले लोगों को दी जाती हैं । हो सकता है कि इससे सरकार को अधिक धन मिले । किन्तु क्या सरकार अनुभव करती है कि यह सरकार द्वारा स्वयं स्थापित किये गये सामाजिक उद्देश्य के प्रतिकूल है । ये कारें शिक्षा संस्थाओं, अस्पतालों आदि को, जिन्हें उनकी आवश्यकता है, न दे कर सब से ऊंची बोली बोलने वाले लोगों को, जिन्होने अनुचित तरीके से धन कमाया है, दी जाती हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे एक सज्जन ने बताया था कि कारों की बिक्री के बाद प्रत्येक कार की बिक्री की सूचना आय कर अधिकारियों को दी जाती है ।

श्री नाथ पाई : यह बहुत अच्छा है किन्तु देश में कारें एक लाख रुपये, 25,000 रुपये, 80,000 रुपये अथवा 90,000 रुपये तक बिकी हैं । यह सब धन कहां से आया । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि ये कारें उन को न दे कर, जिन्हें इनकी वास्तव में आवश्यकता होती है, धनी लोगो को दी जाती है । अत: क्या सरकार वर्तमान व्यवस्था का पुनरीक्षण करेंगी ? ये अस्पतालों और ऐसी ही अन्य संस्थाओं को नहीं बेची जातीं ।

श्री मनुभाई शाह : माननीय समाजवादी सदस्य यह कहते हैं कि इतनी कीमती कारें अस्पतालों और धर्मार्थ संस्थाओं को बेच कर उन पर वित्तीय भार डाला जाये। अन्ततोगत्वा इन कारों की बिक्री से प्राप्त होने वाला धन सरकारी कोष में जाता है और उसका उपयोग अस्पतालों, स्कूलों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि के लिये किया जाता है। इसमें क्या गलत है ?

एशियाई औद्योगिकरण विकास परिषद्

+

*1429. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के एशिया के औद्योगीकरण संबंधी सम्मेलन ने यह तय किया है कि इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढावा देने के लिये स्थायी निकाय के रूप में एक एशियाई औद्योगीकरण विकास परिषद् स्थापित की जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) एकाफे क्षेत्र के देशों में औद्योगिक विकास को तीव्र करने और इस क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिये, एशियाई औद्योगिक विकास परिषद की स्थापना के प्रस्ताव का भारत सरकार पूर्णतः समर्थन करती है। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने इस बात पर जोर दिया था कि राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों के सुमेल के लक्ष्य को जारी रखने में, प्रत्येक देश के मानवीय, प्राकृतिक और औद्योगिक साधनों और क्षेत्र के विभिन्न एशियाई देशों में विद्यमान अवस्थाओं के अधिकतम विकास को पूरी मान्यता दी जानी चाहिये। भारत ने 'माध्यमिक प्रविधि' के विकास में अपने अनुभव में क्षेत्र के अन्य देशों से भागीदारी करने की इच्छा भी व्यक्त की है।

Shri Vishwanath Pandey : May I know the names of the countries which participated in tne conference of the Industrial Development Council and whether it was considered in the conference how the resources will be made available for this purpose ?

श्री मनुभाई शाह : 46 देशों ने भाग लिया था, जिन में से 24 एशिया के पूरे सदस्य हैं, बाकी औद्योगिक देशों के प्रतिनिधि थे। कुछ वर्ष पहले, जब संयुक्त राष्ट्र का विकास दशक आरंभ हुआ था, इसके लिये संयुक्त राष्ट्र महासभा का प्रस्ताव पारित किया गया था। सभी धनी देशों से यह आशा की जाती है कि वे कम विकसित देशो के विकास के लिये निधि में अपनी सकल राष्ट्रीय उत्पादन का एक प्रतिशत भाग दें। हमने अभी दो वर्ष पहले जेनेवा मे एक प्रस्ताव पारित किया है, जिस में हमने विश्व के देशों से अपील की है कि यह अंशदान बढ़ाकर दो प्रतिशत किया जाये।

श्री दी० चं० शर्मा : मंत्री महोदय ने बताया हैं कि इस से मानवीय, प्राकृतिक तथा औद्योगिक साधनों का विकास किया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि भारत में और थाइलैण्ड में किस प्रकार के संसाधनों का विकास किया जायेगा ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक भारत के विकास कार्यक्रमों का सम्बन्ध है, इन्हें हमारी क्रमिक योजनाओं में शामिल किया जाता है और हमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के घोषणापत्र के सिद्धान्तों के अनुसार मित्र देशों से सहायता मिलती है। जहां तक थाइलैंड का सम्बन्ध है, हम पटसन, चमड़ा तथा टेपिओका के विकास में सहयोग देते हैं।

श्रीमती रेणुका राय : एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की भारत के विकास तथा भारतीय अर्थ व्यवस्था का विकास दर के सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री मनुभाई शाह : हमने इस बात पर विरोध प्रकट किया है कि पूर्वानुमान अवैज्ञानिक तथा अविश्वसनीय हैं। इसी प्रकार थाइलैंड, मलाया तथा अन्य देशों ने भी विरोध प्रकट किया है। और उस कंडिका को हटाया गया है जिसमें भारत तथा अन्य देशों के सकल उत्पादन के कुछ प्रतिशत को गलत ढंग से बताया गया था। आम धारणा यह है कि हमारी प्रगति और तेज होनी चाहिए। हम इस धारणा से सहमत हैं।

श्री श्रीनारायण दास : एशियाई औद्योगिक विकास परिषद कब तक स्थापित हो जायेगी; इसके सदस्य कौन कौन देश होंगे तथा भारत किस हैसियत से काम करेगा ?

श्री मनुभाई शाह : इस मामले में इस से भी अधिक प्रगति हुई है। अब संयुक्त राष्ट्र ने एक अन्तर्राष्ट्रीय औद्योगिक विकास परिषद बनाने का निर्णय किया है जिसमें 55 सदस्य देश होंगे, अर्थात बारी बारी से प्रत्येक देश के मंत्री अथवा उच्च अधिकारियों को लिया जायेगा। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित किया जायगा जिसके अन्तर्गत क्षेत्रीय बोर्ड होंगे जिसमें एशिया के 22 देशों के प्रतिनिधि होंगे, जहां तक 'इकाफे' का संबंध है।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या किये गये निर्णयों तथा पारित किये गये प्रस्तावों के अनुसार भारत ने कार्य करना आरंभ कर दिया है और क्या यह भी सुझाव दिया गया था कि एशियाई विकास परिषद में अफ्रीकी देश भी शामिल किये जायें और इसका नाम अफ्रीकी-एशियाई आधार पर रखा जाये।

श्री मनुभाई शाह : अफ्रीकी एशियाई देशों के साथ हमारे सम्बन्ध अनौपचारिक हैं और इस सीमा तक मैं माननीया सदस्या के सुझाव का स्वागत करता हूं। किन्तु जहां तक संयुक्त राष्ट्र महासभा की विधि का सम्बन्ध है, भौगोलिक स्थिति के अनुसार क्षेत्र निर्धारित किये गये हैं। एशिया, अफ्रीका, लटिन अमरीका तथा यूरोप के लिये अलग अलग आयोग है। अतः हम ऐसा सुझाव नहीं दे सकते हैं। हम अपने अपने कार्यक्रमों की क्रियान्विति में अफ्रीकी एशियाई देशों से सहयोग प्राप्त कर रहे हैं।

Shri Rameshwaranand : The hon. Minister has just now stated that the remarks passed by some countries about our development are mistaken. How are we going to prove them scientific, when we are becoming backward in every field and are dependend on others.

Shri Manubhai Shah : I used the word unconstitutional and not unscientific. It might have been mistranslated. It is wrong to say that we have not made any progress and that we are getting backward. We are proud of the progress that we have made in all the fields.

रेल के डिब्बे, इंजन आदि के मामले में आत्मनिर्भरता

*1430. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल के डिब्बों, इंजनों तथा अन्य उपकरणों के मामले में भारतीय रेलों ने आत्मनिर्भरता प्राप्ति का कितना लक्ष्य पूरा कर लिया है;

(ख) क्या कुछ मदों का निर्यात किया जा सकता है; और

(ग) क्या रेलवे देशी सामान का प्रयोग कर रही है ताकि सहायक उद्योगों को बढ़ने का अवसर मिल सके ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख): देश अब भाप रेल इंजनों, माल डिब्बों, सवारी डिब्बों, यांत्रिक सिगनल उपस्करों, रेल पथ के सामान आदि के निर्माण में आत्म-निर्भर हो गया है। इन मदों का निर्यात किया जा सकता है। डीज़ल और बिजली रेल इंजन बनाने का काम भी शुरू किया जा चुका है जिनमें उत्तरोत्तर अधिकाधिक देशी पुर्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है। आशा है, चौथी योजना के अन्त तक बहुत बड़े पैमाने पर आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली जायगी।

(ग) जी हां। 1964-65 में रेलों ने कुल जितनी खरीद की उसमें से लगभग 90 प्रतिशत सामान स्वदेशी स्रोत से खरीदे गये।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : रेलवे सामान के हमारे आयात से कितनी आय होगी ?

डा० राम सुभग सिंह : सभा को पता है कि 1.6 करोड़ रुपये के रेल के डिब्बों का निर्यात किया जायेगा। इसके लिये हमें क्रयादेश मिल चुका है। 1.62 करोड़ रुपय का दूसरा क्रयादेश हंगेरी से मिलेगा तथा और भी नये क्रयादेश मिलने की संभावना है।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : जब भारत रेल के डिब्बों तथा इंजनों के मामले में आत्मनिर्भर बन जायेगा, तो क्या उससे होने वाली आय से वे सभी खर्चे पूरे हो जायेंगे, जो हम इस समय कर रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : इस प्रश्न पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करना पड़ेगा।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह सच है कि वाराणसी में लोकोमोटिव फैक्टरी के विस्तार के हेतु ऋण प्राप्त करने के लिये जो रेलवे टीम वाशिंगटन गई है, उसे बताया गया है कि भारत को फक्टरी का विस्तार नहीं करना चाहिये अपितु रेल के इंजनों का आयात करना चाहिए, और इसलिये उसे ऋण मिलने में कठिनाई हो रही है; यदि हां, तो इसका हमारी आत्मनिर्भरता पर क्या प्रभाव पडेगा ?

डा० सुभग सिंह : यह सच नहीं है क्यों कि कारखाना स्थापित हो चुका है और उसमें निर्माण होने लगा है। चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इसमें 150 रेल के इंजन प्रति वर्ष बनने लगेंगे।

श्री भागवत झा आजाद : मैं समूचे प्रश्न की सत्यता के बारे में जानना चाहता हूं। क्या भारतीय दल को वाशिंगटन में यह कहा गया है ?

डा० राम सुभग सिंह : ऐसी बात नहीं है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know by what time the steam locomotives will completely be replaced by diesel locomotives? How many diesel locomotive workshops will be set up and what is present production of diesel engines?

Dr. Ram Subhag Singh : I have already stated that the diesel locomotive workshop has come into existence and has already gone into production. By the end of the Fourth Plan that is by 1970-71 it will be producing 150 diesel locomotives each year. At present about 50 diesel locomotives are produced in it. Even by the end of Fourth Five Year Plan ten thousand steam locomotives will be required.

Shri Onkar Lal Berwa : What percentage of imported components are used in locomotives being manufactured in the country and whether we will attain self sufficiency by the end of the fourth Five Year Plan?

Dr. Ram Subhag Singh : About twentyfive per cent indigenous components will be used in the locomotives which are being manufactured in India and after some time this percentage will be raised to ninty per cent.

Shri Bade : P.A.C. Report says that ninty per cent imported components are used.

Dr. Ram Subhag Singh : The manufacture of diesel locomotives commenced with effect from 1965. At that time the position was some what like that. The P.A.C. prepared its report on that basis. We will have even to import to a certain extent even after producing 150 diesel locomotives each year.

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether we will attain self sufficiency by the end of fourth Plan ?

Mr. Speaker : The hon. Minister says that even in future we will have to import.

अल्प सूचना प्रश्न तथा ध्यान दिलाने की सूचना के बारे में

RE : SHORT NOTICE QUESTION AND CALLING ATTENTION NOTICE

अध्यक्ष महोदय : आज की कार्य सूची के अनुसार एक अल्प सूचना प्रश्न और एक ध्यान दिलाने वाली सूचना को लिया जाना है । जिस समय माननीय सदस्यों ने समय के नियंत्रण के बारे में असंतोष प्रकट किया था, उस समय मैं सभा में उपस्थित नहीं था । माननीय सदस्य गृह मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के लिए अधिक समय चाहते थे । हमें दो बजे गिलोटिन का प्रयोग करना है । अतः यदि सभा सहमत हो, तो विविध कार्य 3 बजे लिया जा सकता है । ऐसी स्थिति में मैं माननीय सदस्यों को एक घंटे का अधिक समय दे सकता हूं और मंत्री महोदय को उत्तर के लिए एक घंटा मिलेगा । 2 बजे गिलोटिन का प्रयोग करने के बाद हम अन्य कार्य लेंगे ।

Shri Bagri : Motion for adjournment regarding Orissa should be taken first.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : ध्यान दिलाने वाली सूचना को अभी लिया जाये । शेष कार्य 3 बजे लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई आपत्ति नहीं है । किन्तु जो माननीय सदस्य आज मांगों पर बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलेगा ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : आप अन्य कार्यों को स्थगित कर सकते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : कैसे कर सकता हूं ? 2 बजे हमें गिलोटिन का प्रयोग करना है । यदि सभा चाहे तो अभी अल्प सूचना प्रश्न लिया जा सकता है ।

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां ।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा की यही इच्छा है, तो आज मांगों पर बोलने का किसी माननीय सदस्य को अवसर नहीं मिलेगा । अब हम अल्पसूचना प्रश्न लेंगे ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—(जारी)

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS—*Contd.*

नौभार के अभाव में फारस की खाड़ी में रुके हुये भारतीय माल जहाज

+

अ०सू०प्र० 23. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
[श्री बासप्पा :
श्री दा० ना० तिवारी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री ब० कु० दास :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बतीस भारतीय माल जहाज जो कि सामान्यतः फारस की खाड़ी से भारत को खजूर लाते थे, 15 दिसम्बर, 1965 से वहां रुके पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो मन्त्रालय की खजूर परिवहन समिति ने राज्य व्यापार निगम को कितने जहाज़ आवंटित किये हैं और उनमें से कितने अब तक उपयोग में लाये गये हैं;

(ग) क्या यह सच है कि आयातकों और पाल जहाज़ों तथा वाणिज्य एवं परिवहन मन्त्रालयों के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति ने यह निर्णय किया था कि खजूर आयात करने के लिये समस्त पाल जहाज खजूर परिवहन समिति के माध्यम से भाड़े पर लिये जायें और उनको निश्चित समान दर पर भाड़ा दिया जाये और यह कि खजूर के कुल आयात का 60 प्रतिशत भारतीय पाल जहाज़ों द्वारा किया जायें; और

(घ) यदि हां, तो क्या इन निर्णयों का पालन किया गया है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है और भारतीय पाल जहाज़ों के सामने इस समय जो आपदायें हैं उनसे उन्हें किस प्रकार बचाया जायेगा?

वाणिज्य मंत्री (श्रीमनुभाई शाह) : (क) जी, हां। बताया गया है कि कुछ लगभग तीन भारतीय पाल जहाज, खजूर के लदान की प्रतीक्षा में इस समय बसरा में रुके पड़े हैं।

(ख) खजूर परिवहन समिति ने भारतीय राज्य व्यापार निगम को 17 जहाज दिये थे जिनमें से राज्य व्यापार निगम ने पहले ही 14 जहाज किराये पर ले लिये थे और शेष उपलब्ध जहाज किराये पर लिये जा रहे हैं।

(ग) तथा (घ) : खजूर के व्यापार से संबंधित सभी हितों को इकट्ठा करने, खजूर के निर्बाध आयात का प्रबन्ध करने, भारतीय पाल जहाजों की उपलब्धक्षमता का उपयोग करने और वर्ष भर में स्वीकृत समान दर पर उन्हें अधिकतम काम में लाने के उद्देश्य से परिवहन मंत्रालय और वाणिज्य मंत्रालय में खजूर परिवहन समिति पिछले वर्ष मई में बनायी गयी थी। समिति द्वारा समय समय पर लिये गये निर्णयों का सभी सम्बद्धों ने सामान्यत: पालन किया है।

वर्तमान व्यवस्था के अधीन खजूर के आयात के लाइसेंसों के 60 प्रतिशत भाग का उपयोग केवल पाल जहाज़ों, जिनमें भारतीय तथा विदेशी जहाज शामिल हैं, द्वारा ही किया जा सकता है। हाल में केवल भारतीय पाल जहाज़ों द्वारा ही आयात करने के लिये कुछ लाइसेंस दिये गये हैं।

श्री स० चं० सामन्त : 1962 के अन्त में इन क्षेत्रों से खजूर का आयात करने के लिये खुले सामान्य लाइसेंस प्रणाली समाप्त कर दी गई थी और लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था लागू की गई। क्या सरकार ने लाइसेंस दिये जाने की व्यवस्था के कार्य का पुनरीक्षण किया है?

श्री मनुभाई शाह : इसीलिये वास्तव में यह समिति नियुक्त की गई थी। इसके प्रत्येक पहलू के कार्य का पुनरीक्षण किया जा रहा है। हाल ही में जब ये इराक गया था, तो वहां के राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री तथा आर्थिक कार्य मंत्री ने शिकायत की कि हम भारतीय पाल जहाजों से ही खजूर लाने पर जोर देते हैं और खजूर को स्टीमरों द्वारा नहीं लाने देते हैं। मैंने उन्हें बताया कि हम अपनी सहायता स्वयं करने के लिये करते हैं।

श्री स० चं० सामन्त : इस कार्य को राज्य व्यापार निगम, जो मंत्रालय की एक छोटी सी संस्था है, करता है। क्या खजूर के आयात व्यापार व्यवस्था की विस्तार पूर्वक जांच की गई है? यदि हां, तो क्या मैं मंत्री महोदय का ध्यान 26 मार्च के ब्लिट्ज में प्रकाशित "स्टेट ट्रेडिंग इन डेटस् आफ डेथ" नामक शीर्षक की ओर दिला सकता हूं? क्या इसकी कोई जांच की गई है और क्या कोई कार्यवाही की गई है?

श्री मनुभाई शाह : मैंने यह लेख स्वयं पढ़ा। कुछ समाचार सच था और कुछ गलत। बम्बई आने वाले कुछ खजूर अस्वास्थ्य कर घोषित किये गये। हमने मामले की जांच की और कुछ पैकेट खराब निकले। यह सभी प्रकार के पकेटों में था। आवश्यक कार्यवाही की गई थी।

Shri Bhagwat Jha Azad : Seven per cent of the total import is conducted by the sailing vessels which includes both Indian and foreign sailing vessels. May I know why the arrangement of Indian vessels is not made ?

Shri Manubhai Shah : Iran also has her own sailing vessels. Since we have to please the other party also, we empoly fourteen to fifteen per of their vessels.

श्री ब० कु० दास : पिछले वर्ष भारतीय जहाजों द्वारा कितना आयात किया गया और विदेशी जहाजों द्वारा कितना किया गया ?

श्री मनुभाई शाह : हमने पिछले वर्ष 1.60 करोड़ रुपये की खजूरों का आयात किया है। इनमें 96 लाख रुपये का माल पाल जहाजों द्वारा तथा 64 लाख रुपये का माल स्टीमरों द्वारा भेजा गया।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

फरवरी, 1966 में आसाम मेल की दुर्घटना

*1431. **श्री यशपाल सिंह :** **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्रीमती रेणुका बड़कटकी : **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 फरवरी, 1966 को हुई 3 अप आसाम मेल की दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिये नियुक्त की गई जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या निष्कर्ष निकाले गये हैं; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार यह दुर्घटना जानबूझ कर की गयी तोड़फोड़ की कार्रवाई के कारण हुई।

(ग) यह क्षेत्र सेना के नियंत्रण में है। सुरक्षा-व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए सनिकों की संख्या बढ़ायी गयी है। इस खंड में यात्री गाड़ियों पर पहरा देने तथा सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य कामों के लिए विशष आपात दल की एक और बटालियन भी सेना के सुपुर्द कर दी गयी है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

*1432. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हो रही फिजूलखर्ची की ओर दिलाया गया है ;

(ख) इस मामले में सरकारी उपक्रम संबंधी ब्यूरो ने क्या योगदान दिया है;

(ग) क्या इस ब्यूरो को सुदृढ़ किया जायगा; और

(घ) इसके लिये क्या प्रभावी कार्यक्रम बनाया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) यद्यपि कुछ विशेष मामलों में भले ही फिजूल खर्ची हो गई हो, लेकिन सरकार इस बात से सहमत नहीं कि सरकारी उपक्रमों में आम तौर पर यह बात सच है।

(ख) सरकारी उपक्रमों का ब्यूरो, जिसका कार्य समन्वय करना है, सामयिक रिपोर्टों की छानबीन करता है तथा सम्बंधित मंत्रालयों को समय-समय पर उन तरीकों के बारे में भी सलाह देता है जिनके द्वारा बचत की जा सकती है।

(ग) जी, हां।

(घ) ब्यूरो के कार्यक्रम में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यपद्धति की समीक्षा करने की प्रणाली चलाकर बचत के तरीकों का पता लगाना तथा कुछ चुने हुए क्षेत्रों में उनके द्वारा किये गये कार्य की जांच करना शामिल है।

लोहा और इस्पात मंत्रालय में आयोजन एकक

1433. श्री महेश्वर नायक : क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी योजना में इस्पात उद्योग के योजनाबद्ध विकास के लिये लोहा और इस्पात मंत्रालय में एक छोटा आयोजन एकक स्थापित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस एकक को क्या विशिष्ट कार्य सौंपे जायेंगे ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) सेल का काम है मंत्रालय के लिए ब्यौरेवार योजना बनाना और यह देखना कि उसे क्रियान्वित किया गया है।

छोटी कार परियोजना

***1434. श्री हरि विष्णु कामत :**
श्री दलजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :
श्री रामचन्द्र उलाका :
†श्री धुलेश्वर मीना :
†श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री रा० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री 11 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 483 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छोटी कार बनाने से संबंधित मामले पर अन्तिम रूप से विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) अभी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेरीलीन और रेशमी कपड़े के दाम

*1435. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले दो महीनों में टेरीलीन, रेशम और रेयन के कपड़े के दाम काफी बढ गये है ;

(ख) यदि हां तो जनवरी, 1966 से इनके औसत दामों में कितनी वद्धि हुई है;

(ग) दामों में हुई इस वृद्धि के मुख्य कारण क्या है; और

(घ) दामों को घटाने तथा दामों को स्थिर बनाने के लिये क्या कार्यलाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी करशी) : (क) तथा (ख) : जी, हां। मानव निर्मित रेशेसे बने कपड़ों और शहतूती रेशम के कपड़ों की कीमतों में 5 से 10 प्रतिशत के बीच में सीमान्त वृद्धि पिछले दो महीनों में देखने में आयी है। टसर के वस्त्रों में इस प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) टेरीलीन कपड़े की कीमतों में जो वृद्धि हुई है उसका कारण देश में टेरीलीन तन्तु सूत का अपर्याप्त सम्भरण है जो कि निर्यात संवर्धन योजना के अधीन इसके आयात पर सरकार द्वारा लगाये गये प्रतिबन्ध के परिणमस्वरूप हुआ है।

टेरीलीन सूत अथवा तन्तु की कीमतों के बारे में कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हें क्योंकि देश में इनका उत्पादन और सम्भरण बहुत कम होने के कारण इनकी कीमतों में काफी घटा-बढी होती है। शहतूती कच्चे रेशम की कीमत में हुई वृद्धि का कारण मैसूर राज्य में वर्षा का न होना है जिसके परिणामस्वरूप रेशम लपेटने के सरकारी कारखानों और ऐसे ही निजी कारखानों को कम कोये प्राप्त हुये हैं। जापान से रेशम का आयात भी ऊंची कीनतों पर करना पड़ता है। रेयन के वस्त्रों को कीमतों में हुई वृद्धि का कारण कच्चे माल जैसे लकड़ी की लुगदी, जिनका आयात नकली रेशमी कपड़ों के निर्यात के आधार पर करना होता है, की कीमतों में वृद्धि का होना है। विदेशी मुद्रा की कठिनाइयों के कारण सरकार लकड़ी की लुगदी के आयात के लिये वास्तविक उपभोक्ता लाइसेंस देने की प्रणाली को जारी नहीं रख सकी है। रेयन के वस्त्र निर्माता नकली रेशमी कपड़ों आदि के निर्यात में हुई हानि को पूरा करने के लिये रेयन के वस्त्रों की कीमतें बढ़ाते रहे हैं।

(घ) पोलिस्टर रेशे का उत्पादन करने के लिये शीघ्र ही थोड़े से और कारखाने स्थापित किये जायेंगे जिससे देश में टेरीलीन तन्तु की उपलब्धि में वृद्धि हो जायगी। चौथी योजना की अवधि में शहतूत के पौधे लगाने के लिये सिंचाई को सुविधाएं देने के उद्देश्य से मैसूर राज्य की योजना के लिये अधिक व्यवस्था की जा रही है। लकड़ी की लुगदी संबंधी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में रेयन उद्योग को सरकार ने हाल में राष्ट्रीय प्रतिरक्षा प्रेषण योजना क अन्तर्गत रेयन वर्ग की लुगदी का आयात करने की अनुमति दी है।

सेलम इस्पात कारखाना

*1436. **श्री पे० वेंकटासुब्बया** :
श्री किन्दर लाला
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेलम में इस्पात कारखाना स्थापित करने के बारे में जापानी परामर्शदात्री संस्था का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या क्या सिफारिशें की गई हैं और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिवेदन में कहा गया है कि कंजामालाई के लौह खनिज और नवेली के लिग्नाइट कोयले से इस्पात का एक छोटा कारखाना लगाया जा सकता है । आजकल सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

***1437. श्री रा० बरुआ :**

श्री यशपाल सिंह :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अपने अपने उपक्रमों का नियंत्रण करने वाले विभिन्न मंत्रालय सरकारी उपक्रमों में विभिन्न पदालियों के लिये भरती करने की नीति के संबंध में भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपना रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो एकरूपता लाने और एकरूप प्रणाली को तोड़े बिना ही उस क्षेत्र से, जहां कोई विशिष्ट उपक्रम स्थापित किया गया है, प्रतिभाशाली व्यक्तियों को भरती करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रेलवे सुरक्षा दल

***1439. श्री सिंहासन सिंह :**

डा० महादेव प्रसाद :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे सुरक्षा दल स्थापित करने का क्या उद्देश्य है ;

(ख) इस दल को बनाये रखने पर प्रतिवर्ष कितना खर्च आता है;

(ग) क्या यह दल रेलवे की विल्टियों, पार्सलों तथा अन्य संपत्तियों की चोरी तथा उठाई गीरी और अन्य प्रकार की बरबादी को रोकने के सफल रहा है और यदि हां, तो किस सीमा तक; और

(घ) रेलवे ने वर्ष 1961-62 तथा 1964-65 में सीधे तौर पर तथा न्यायालयों के माध्यम से कितनी धनराशि के दावों का भुगतान किया ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल-सम्पत्ति की हिफाज़त और सुरक्षा के काम को बेहतर ढंग से करने के लिए रेलवे सुरक्षा दल का गठन रेलवे सुरक्षा दल अधिनियम, 1957 की धारा 3(1) के अन्तर्गत किया गया है ।

(ख) लगभग 7 करोड़ रुपये ।

(ग) रेलवे सुरक्षा दल के पुनर्गठन से पहले की अवधि की तुलना में, रेलवे परेषणों की चोरी/उठाईगीरी की घटनाओं में काफी कमी हुई है। 1956-57 के तुलना में 1964-65 में इस प्रकार की घटनाएं लगभग 3.5 प्रतिशत कम हुई।

(घ) 1961-62 . . 134 लाख रुपये

1964-65 . . 150 लाख रुपये

सीधे और न्यायालयों के माध्यम से भुगतान की गई रकमों के अलग-अलग आंकड़े नहीं रख जाते।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

*1440. **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री फिरोदिया :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड का देश में पांच और कारखाने खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कब और किन किन स्थानों पर; और

(ग) उन पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० का विचार पांच मशीनी औजार एकक स्थापित करने का है। इनमें से तीन में पिंजौर (पंजाब), कलमास्सेरी (केरल) तथा हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) स्थित वर्तमान कारखानों का विस्तार किया जायगा तथा शेष दो नए एकक होंगे, जिनमें से एक मध्य प्रदेश में तथा दूसरा उत्तर प्रदेश में होगा।

सबसे पहले पिंजोर, कलमास्सेरी तथा हैदराबाद के कारखानों का विस्तार ऊपर बताये गये क्रम में किया जायेगा। नए एककों की स्थापना का कार्य वर्तमान एककों का विस्तार पूरा हो जाने के बाद सम्भवत: चौथी योजना के अन्त तक ही शुरू किया जायेगा।

(ग) लगभग 26.50 करोड़ रु०।

Railway Passengers stranded at Patna

*1441. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** **Shri Priya Gupta :**
Shri S. M. Banerjee : **Shri Daji :**
Shri Kashi Ram Gupta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 200 persons were stranded at Patna Jn. on the 5th April, 1966 as a result of the Delhi-Howrah Express and Amritsar-Howrah Mail trains having been terminated at that station ;

(b) whether it is a fact that the other Calcutta bound trains were detained at Jhajha and Dhanbad stations as a result of which people had to experience great hardship ; and

(c) if so, the facilities provided to the people thus stranded in the trains ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). In accordance with the decision taken by the Eastern Railway in consultation with the Government of West Bengal, not to operate passenger services within the State of West Bengal on 6-4-66, when a "Bandh" was declared by the United Leftists' Front in the State, Calcutta bound trains scheduled to arrive in the State of West Bengal on the morning of 6-4-66, were terminated at important stations in Bihar, such as, Patna, Dhanbad, etc., having adequate passenger amenities. Arrangements for supply of food on payment and adequate drinking water were duly made. Railway staff were specially deputed to look after the comforts of passengers.

सस्ती किराया दरों वाली वातानुकूलित रेलगाड़ियां

*1442. **श्री फिरोडिया :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान किराया दरों की अपेक्षा सस्ती किराया दरों वाली वातानुकूलित रेल-गाडियां चलाने का है ; और

(ख) यदि हां, तो अन्तिम निर्णय कब किये जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।
(ख) सवाल नहीं उठता।

पांडिचेरी में श्री भारती कपड़ा मिल

*1443. **श्री कु० शिवप्रयासन :** क्या वाणिज्य मंत्री 15 अप्रैल, 1966 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3791 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी के श्री भारती कपड़ा मिल में काम-काज की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति के प्रतिवेदन पर सरकार ने विचार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) क्या उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत सरकार का विचार उस मिल के नियंत्रण को अपने हाथ में लेने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) से (ग) : समिति की सिफारिशें अब भी विचाराधीन हैं।

रेलवे कर्मचारियों की छटनी

*1444. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व और दक्षिणपूर्व रेलवे खण्डों की रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं तथा पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में बड़ी लाइन (ब्राड गेज) निर्माण परियोजनाओं और सर्वेक्षण तथा निर्माण परियोजनाओं में तथा डी० बी० के० रेलवे परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की छंटनी की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) रेल बिजली योजना में रेल कर्मचारियों की कोई छंटनी नहीं की गयी है। अभी तक पूर्वोत्तर सीमा रेलवे की बड़ी

लाइन की परियोजनाओं और सर्वेक्षण तथा निर्माण परियोजनाओं के लगभग 91 कर्मचारियों को और डी० बी० के० रेल परियोजनाओं के 68 कर्मचारियों को सेवा-मुक्त किया गया है।

(ख) जिन निर्माण कार्यों के लिए उन्हें रखा गया था, वे पूरे हो गये हैं।

सरकारी क्षेत्र की परियोजनाएं

*1445. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की प्राय: सभी परियोजनाओं के पास आवश्यकता से अधिक भूमि है जो वर्षों तक बेकार पड़ी रहती हैं ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी एकड़ भूमि ऐसी है; और

(ग) कितनी परियोजनाओं की फालतू भूमि को अधिक अन्न उपजाने के हेतु पट्टे पर दिया गया है और क्या अन्य परियोजनाएं भी इसका अनुसरण करेंगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर एक विवरण रख दिया जायेगा।

विदेशी सहयोग

*1446. **श्री मधू लिमये** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तकनीकी जानकारी तथा पूंजी में भागिता करने के मामले में भारतीय फर्मों के साथ करार करने के मामले में अगस्त-सितम्बर 1965 के पश्चात विदेशी फर्में बहुत उदासीन दिखाई देती है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात के ढांचों के सम्बन्ध में अनुसंधान

*1447. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री लिंग रेड्डी :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय यांत्रिक (मेकनिकल) अनुसन्धान संस्था, दुर्गापुर में इस्पात के ढांचों के बारे में किये गये अनुसन्धान के परिणामस्वरूप चौथी योजना में विदेशी मुद्रा की काफी बचत हो जायेगी ;

(ख) परम्परागत डिजाइनों की तुलना में देश में उपलब्ध सामान से डिजाइन किये गये तथा बनाए गये इस्पात के ढांचों से कितनी बचत हुई है ;

(ग) क्या इंजीनियरी वर्कशापों तथा भोपाल स्थित हैवी इलैक्ट्रिकल्स कम्पनी में नये डिजाइनों का प्रयोग आरम्भ किया जा चुका है; और

(घ) यदि हां, तो कितनी बचत हुई है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख), (ग) और (घ) : डिजाइन कई फर्मों को दिये गये हैं जिनमें भोपाल स्थित हैवी इलक्ट्रिकल्स कम्पनी भी शामिल है। परम्परागत डिजाइनों की तुलना में अब तक वास्तव में 410 टन के लगभग इस्पात की बचत हुई है जिसका मूल्य लगभग छः लाख रुपये है।

पंजाब में छोटे टिलर-ट्रैक्टरों का निर्माण

*1448. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : **श्री गुलशन** :
श्री किन्दर लाल : **श्री रामपुरे** :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने ऐसे छोटे टिलर-ट्रैक्टरों का निर्माण करने के लिये, जिनमें पावर डीजल इंजन लगे हों, जापान की एक फर्म के सहयोग से एक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ;

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) कारखाने की वर्तमान स्थिति क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (घ) : सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

पंजाब सरकार ने पावर टिलरों का निर्माण करने के लिये दो वैकल्पिक प्रस्ताव रखे हैं :— एक जापानी फर्म के सहयोग से और दूसरा सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के सहयोग से।

सेंट्रल मेकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इन्स्टीट्यूट के सहयोग वाली योजना के मामले में पंजाब सरकार को 30 सितम्बर, 1966 तक एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय दिया गया है। इस बीच जापान के सहयोग वाली उसकी दूसरी योजना की जांच की जा रही है।

"ब्लीडिंग मद्रास" कपड़े का निर्यात

*1449. **श्री हरि विष्णु कामत** :
श्री सत्य नारायण :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "ब्लीडिंग मद्रास" नाम के कपड़े का वस्त्र समिति द्वारा अनिवार्य रुप से निरीक्षण किया जाता है ;

(ख) क्या यह सच है कि उस स्टाक के सम्बन्ध में, जिसे मद्रास से जहाज में लादना था, जिन में कुछ निरीक्षकों ने हाल में कुछ अनियमितताओं तथा कदाचारों का पता लगाया था, उनको मद्रास से अचानक ही स्थानान्तरित कर दिया गया था और कुछ अन्य व्यक्तियों की परिवीक्षा की अवधि बिना औचित्य ही बढ़ा दी गई ; और

(ग) जिस फर्म के सम्बन्ध में अनियमितताओं तथा कदाचारों का पता लगाया गया था, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) कुछ निरीक्षकों को प्रशासन संबंधी कारणों से साधारण रूप से मद्रास से स्थानान्तरित कर दिया गया था ।

मामले से संबंधित कुछ निरीक्षकों की परिवीक्षा की अवधि, जहां बताया गया है कि पार्टी ने अवमानक माल का निर्यात करने का प्रयत्न किया था, भी जून 1966 तक बढ़ा दी गयी है क्योंकि यह पता नहीं था कि इस मामले में उनका कितना हाथ है ।

(ग) निर्यात करने वाली फर्म के मामले की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो (आर्थिक अपराध) स्कन्ध द्वारा अब भी की जा रही है ।

देश में उपलब्ध जानकारी

*1450. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में उपलब्ध जानकारी को काम में लाने वाले उद्योगों को पुरस्कार देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना की मुख्य बातें क्या क्या है; और

(ग) अन्तिम रूप में योजना कब तक तैयार हो जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (ग) : वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद की तीसरी समीक्षा समिति की रिपोर्ट मे तथा हाल ही में सी० एस० आई० आर० द्वारा अनुसन्धान और उद्योग के संबंध में आयोजित सम्मिलित बैठक में देशी जानकारी का प्रयोग करने वाले उद्योगों को दिये जाने वाले प्रोत्साहन के संबंध में कुछ सुझाव दिए गए हैं इन सुझावों की अभी जांच की जा रही है । जैसे ही किसी योजना को अन्तिम रुप दे दिया जायगा उसका विस्तृत विवरण प्रकाशित कर दिया जायेगा ।

पांचवा इस्पात कारखाना

*1451. **श्री प्र० चं० बरुआ** :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ समय पूर्व पांचवा इस्पात कारखाना सम्बन्धी भारत-अमरीकी सार्थ संघ (कान्सोर्शियम) से इस परियोजना के बारे में अपने विचार बताने के लिये कुछ और समय मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो कितना और समय मांगा है; और

(ग) इस मामले में निर्णय करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : सरकार ने ब्रिटिश अमेरिकन स्टीलवर्क्स फार इंडिया कन्सार्शियम से 10 मई 1966 तक समय मांगा है जिसमें भारत सरकार उन्हें पांचवे इस्पात कारखाने के स्थल के बारे में अपने निर्णय से सूचित कर देगी ।

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के संदर्भ में पांचवें इस्पात कारखाने के स्थापना के बारे में निर्णय किया जाएगा । ये लक्ष्य अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं किये गये हैं ।

सहारनपुर में कागज बनाने का कारखाना

*1452. **श्री किन्दर लाल :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार स्वीडन की सरकार के सहयोग से सहारनपुर (उत्तर प्रदेश) में कागज बनाने का एक कारखाना स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तथा उस पर कितना व्यय होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) सहारनपुर में कागज बनाने का कारखाना स्थापित करने का कोई भी विचार नहीं है किन्तु सहारनपुर के कागज औद्योगिक स्कूल से सम्बध्द कागज बनाने का एक छोटा मार्गदर्शी कारखाना स्थापित करने के लिये स्वीडन सरकार के सहयोग की सम्भावनाओं का पता लगाया जा रहा है ।

(ख) ब्योरा अभी तैयार किया जा रहा है ।

बीकानेर रेलवे स्टेशन

4641. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बीकानेर रेलवे स्टेशन को अन्य स्थान पर ले जाने अथवा शहर की नगर-पालिका सीमाओं के अन्दर रेलवे फाटक पर ऊपरी तथा नीचे के पुल बनाने के बारे में कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान स्टेशन को पुनः बनाने तथा यात्रियों की सुविधा के लिये विश्राम करने के कमरे (रिटायरिंग रूम) बनाने का है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी नहीं । राज्य सरकार के अन्तिम निर्णय की अभी प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) बीकानेर स्टेशन को नये सिरे से बनाने का अभी कोई विचार नहीं है । लेकिन, वहां विश्रामालय और भोजनालय की व्यवस्था करने के बारे में रेल-प्रशासन विचार कर रहा है ।

एर्णाकुलम रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल

4642. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एर्णाकुलम दक्षिण रेलवे स्टेशन के निकट ऊपरी पुल का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यह कार्य कब पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शामनाथ) : (क) काम हो रहा है ।

(ख) इसमें जानबूझ कर देर नहीं की जा रही है ।

(ग) आशा है कि पुल खास का काम इस वर्ष सितम्बर के अन्त तक पूरा हो जायेगा। पुल को उपयोग में लाने से पहले, जैसा कि सामान्यत: होता है, पहुंच मार्गों का काम राज्य सरकार को पूरा करना होगा ।

केरल में टाइटेनियम डायोक्साइड बनाने का कारखाना

4643. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की फर्म "एशिरा संकीयोकिशा" केरल में 50 टन क्षमता वाला एक टाइटेनियम डायोक्साइड कारखाना लगाने के लिये सहयोग देने के लिय सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो यह कारखाना कहां लगाया जायेगा ;

(ग) इस पर कितनी पूंजी लगेगी ; और

(घ) कार्य कब आरम्भ होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) अभी नहीं ।

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

विद्युदग्रों (इलेक्ट्रोड्स) का निर्माण

4644. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मध्यम आकार का एक विद्युदग्र (इलेक्ट्रोड्स) कारखाना स्थापित किया जाने वाला है ;

(ख) इस कारखाने में कितना वार्षिक उत्पादन होगा; और

(ग) इस के लिये कितनी पूंजी की आवश्यकता है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) 600 लाख रनिंग फीट :

(ग) 13,25,000 रुपये ।

काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद्

4645. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोई ऐसी शिकायत मिली है कि काजू निर्यात संवर्धन परिषद् के प्रधान परिषद् की बैठकों में भाग लेने के लिये समय नहीं निकालते; और

(ख) वर्तमान प्रधान की नियुक्ति होने के बाद परिषद् की कितनी बैठकें हुई हैं तथा कितनी बैठकों में प्रधान ने अध्यक्षता की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : कुछ काजू निर्यातकों ने सरकार को सूचित किया था कि परिषद के अध्यक्ष महोदय इसकी सभी बैठकों में भाग लेने के लिये समय नहीं निकालते हैं। सरकार ने इस मामले की जांच की है और होने वाली बैठकों और उनमें अध्यक्ष द्वारा लिये गये भाग के बारे में एक विवरण नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	होने वाली बैठकों की कुल संख्या	अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठकों की संख्या	उपाध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में हुई बैठकों की संख्या
1962	5	5	—
1963	6	6	—
1964	8	5	3
1965	12	4	8
1966	3	1	2

अध्यक्ष महोदय को सरकार द्वारा कुछ अधिक महत्वपूर्ण काम सौंपे जाने के कारण व 1965 में थोडी बैठकों में भाग ले सकें है।

गुजरात मेल की दुर्घटना की जांच

4646. **श्री हिम्मत सिंहका :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **रेलवे** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दाहाणू रोड स्टेशन पर 22 फरवरी, 1966 को गुजरात मेल के पटरी से उतर जाने के बारे में जांच करने के लिए सरकार ने एक जांच समिति बनाई है;

(ख) क्या जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन सरकार को पेश कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग) : बम्बई स्थित रेल संरक्षण के ऊपर आयुक्त ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की। अभीतक उनकी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है।

काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद्

4647. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण भारत काजू उत्पादक संस्था अथवा काजू निर्माताओं की किसी अन्य संस्था ने हाल में भारत सरकार से प्रार्थना की है कि काजू निर्यात संवर्द्धन परिषद् का काम करना व्यापार के हित में नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) काजू के कुछ निर्यातकों ने ऐसा एक अभ्यावेदन भेजा है।

(ख) सरकार इस मामले पर विचार कर रही है।

रेलवे में प्रतिरक्षा सेवा के अधिकारी

4648. **श्री केप्पन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिरक्षा सेवा के कितने अधिकारियों को 1957 से अब तक विभिन्न रेलवे सेवाओं में नियुक्त किया गया है ;

(ख) क्या उनकी नियुक्ति करते समय उनकी पारस्परिक वरिष्ठता द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की वरिष्ठता को ध्यान में रख कर निश्चित की गई थी तथा उनकी प्रतिरक्षा सेवा का उन्हें लाभ दिया गया था;

(ग) ऐसे कितने अधिकारी हैं जिन्हें रेलवे में 7 वर्ष की सेवा के बाद भी कनिष्ठ वेतनक्रम (जूनियर स्केल) में स्थायी नहीं किया गया है तथा उसके क्या कारण हैं;

(घ) उनमें से कितने अधिकारियों को वरिष्ठ वेतनक्रम (सीनियर स्केल) में पदोन्नत किया गया है तथा शेष अधिकारीयों को पदोन्नत न करने के क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) एक।

(ख) प्रवरता के प्रयोजनार्थ पिछली सेवा का कोई अधिभार (Weightage) नही दिया गया है।

(ग) 28; हाल में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से जो निर्णय किया गया उसके अनुसार इनमें से केवल 14 व्यक्ति श्रेणी I में खपाये जाने के पात्र हैं। तदनुसार, उनके मामलों पर विचार किया जा रहा है।

(घ) 14; रिक्त स्थानों की उपलब्धता और अफसरों की उपयुक्तता के आधार पर पदोन्नति की जाती है।

नींबू घास तेल का निर्यात

4649. श्री वासुदेवन नायर : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965-66 में राज्य व्यापार निगम के द्वारा कुल कितनी मात्रा में नींबू घास तेल बेचा गया ;

(ख) इसमें से कितनी मात्रा में यह तेल विदेशों में बेचा गया तथा कितना देश के अन्दर; और

(ग) 1965-66 का भाव पिछले वर्ष के भाव की तुलना में कैसा है।

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : 1965-66 वर्ष में भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० द्वारा 62.50 लाख रु० मूल्य का कुल 553.10 मी० टन नींबू घास तेल बेचा गया था, जिसमें से 60.97 लाख रु० मूल्य का 541.10 मी० टन विदेशों को बेचा गया।

(ग) 1964-65 और 1965-66 में नींबू घास तेल के आन्तरिक बाजार भाव निम्न प्रकार थे :—

1964-65 . .	1964-65 वर्ष के लिये सरकार द्वारा 78 प्रतिशत और 82 प्रतिशत नीबू अंश वाले तेल के अधिप्राप्ति मूल्य क्रमशः 11 रु० तथा 12 रु० प्रति कि० ग्रा० निर्धारित किये गये थे। निगम ने इन मूल्यों पर तेल की खरीद की।
1965-66 . .	1965-66 वर्ष के लिये सरकार द्वारा 78 प्रतिशत और 82 प्रतिशत नीबू अंश वाले तेल के लिये क्रमशः 10.50 रु० तथा 11 रु० प्रति कि० ग्रा० अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किये गये थे। वास्तविक व्यवहार में इस वर्ष उत्पादकों द्वारा प्राप्त किये गये मूल्य 10.50 और 20 रु० प्रति कि० ग्रा० के बीच रहे।

(2) दो मौसमों के अन्तर्गत ब्रिटेन तथा यूरोपीय पत्तनों पर निर्यात मूल्य, बीमा भाड़ा सहित, निम्न प्रकार थे :

*1964-65 . .	11.32 रु० प्रति कि० ग्रा० से 15.58 रु० प्रति कि० ग्रा०।
1965-66 . .	12 रु० प्रति कि० ग्रा० से 20.30 रु० प्रति कि० ग्रा०।

सरकारी उपक्रम

4650. श्रीमती रामदुलारी सिन्हा : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात की खुब आलोचना की जा रही है कि सरकारी उपक्रमों में उत्पादन आशानुकूल नहीं हुआ है क्योंकि केन्द्रीकृत नेतृत्व कुछ एक अनुभवहीन व्यक्तियों के हाथों में है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की आलोचना को समाप्त करवाने के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवया) : (क) और (ख) : सरकार ने यह हमेशा स्वीकार किया है कि अधिकतम उत्पादन के साथ-साथ कारखाने को चलाने के लिए आवश्यक अधिकार व्यवस्थापकों को दिए जाने चाहिये। इसलिये सरकारी उपक्रमों को समुचित प्रशासनिक, तकनीकी और

*ऊंचे निर्यात मूल्य अधिकांशतः कम मात्राओं के लिये थे तथा अधिक मात्रा में हुए निर्यात के लिये नहीं।

वित्तीय अधिकार दे दिये गये हैं जिससे वे व्यापारिक मामलों में स्वतन्त्रतापूर्वक कारगर ढंग से अपना काम कर सकें।

श्रीलंका को प्याज का निर्यात

4651. **श्री राम हरख यादव** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि विपणन संघ का श्रीलंका को प्याज का निर्यात करने के विशेषीकृत अभिकरण के रूप में पुनर्गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या अन्य अभिकरणों को प्याज का निर्यात करने का अधिकार नहीं है?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : सार्वजनिक सूचना सं० 2-ई-टी-सी (पी एन)/66 दिनांक 1-4-66 जिसमें केवल सरकार द्वारा स्वीकृत विशिष्ठ अभिकरणों के द्वारा ही लंका को प्याज के निर्यात की अनुमति दी गयी थी, अब वापिस ले ली गयी है और अब पहिले की तरह ही सभी अनुमति-प्राप्त गंतव्यों को प्याज के निर्यात के लिये लदान बीजकों पर मुक्त रूप से लाइसेंस दिये जायेंगे।

रेलवे सिगनल वर्कशाप, गोरखपुर

4652. **श्री राम हरख यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर स्थित रेलवे सिगनल वर्कशाप में बढ़िया किस्म के रेलवे सिगनलों का निर्माण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बढ़िया किस्म के रेलवे सिगनलों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस नई किस्म के सिगनलों का परीक्षण किया गया है और यदि हां, तो क्या परिणाम रहा है?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शामनाथ) : (क) जी हां।

(ख) रंगीन रोशनी वाले सिगनलों और बिजली प्वाइंट मशीनों के परिचालन के उद्देश्य से बिजली-अन्तर्पाश के लिए एक कण्ट्रोल पैनल बनाया गया है।

(ग) जी हां। यह पैनल लखनऊ सिटी में लगाया गया है और सन्तोषजनक ढंग से काम कर रहा है।

पहली तथा तीसरी श्रेणी की मिली-जुली गाड़ी

4653. **श्री राम हरख यादव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के सियालदह-पठानकोट एक्सप्रेस सेक्शन पर लखनउ और पठानकोट के बीच पहली तथा तीसरी श्रेणी की मिली जुली गाड़ी चलाई जाने वाली है;

(ख) यदि हां, तो नई सेवा कब से चालू होने की संभावना है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर अनुमानत: कितना व्यय होगा?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : लखनऊ और पठानकोट के बीच गाड़ियों में भीडभाड़ कम करने और अतिरिक्त जगह की व्यवस्था करने की

सम्बन्धित जनता की मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इस खंड में 51 अप/52 डाउन सियालदह-पठानकोट एक्सप्रेस गाड़ियों में पहले और तीसरे दर्जे का एक मिला-जुला सेक्शनल सवारी यान जोड़ कर उनके डिब्बों की संख्या बढ़ा दी गयी है। यह अतिरिक्त सवारी यान लखनऊ से 10 अप्रैल और पठानकोट से 11 अप्रैल, 1966 से चल रहा है।

(ग) लखनऊ-पठानकोट मिला-जुला सवारी यान चलाने का औसत खर्च प्रत्येक ओर से प्रति दिन लगभग 1000 रु० आता है।

भिलाई इस्पात संयंत्र में उत्पादन

4654. श्री बसुमतारी : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात संयंत्र में पिछले वर्ष बीस लाख मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादनक्षमता हो गई थी, और

(ख) उत्पादन का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था और क्या वह लक्ष्य पूरा हो चुका है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) भिलाई में 1965-66 के अन्तिम मास में हुये उत्पादन की दर इतनी थी कि यदि उसे बारह महीनों पर फैलाया जाये तो वार्षिक उत्पादन की दर 1.7 मिलियन टन पिण्ड की हो जाती है।

(ख) 1.8 मिलियन टन पिण्डों के उत्पादन के मूल्य लक्ष्य तथा 1.43 मिलियन टन पुनरीक्षित लक्ष्य की तुलना में 1965-66 में वास्तविक उत्पादन 1.37 मिलियन टन पिण्डों का था। इसके अलावा कारखाने ने बिक्री के लिए 0.544 मिलियन टन कच्चे लोहे का उत्पादन भी किया जिससे उत्पादन 300,000 टन कच्चे लोहे के उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य से बढ़ गया।

रूरकेला इस्पात कारखाने में उत्पादन का रिकार्ड

4655. श्री बसुमतारी : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूरकेला इस्पात कारखाने ने अपने उत्पादन के रिकार्ड के क्रम में एक और नया रिकार्ड कायम किया है; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन का नया रिकार्ड क्या है तथा कितना उत्पादन लक्ष्य पूरा हुआ है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : 1965-66 में राउरकेला इस्पात कारखाने ने उत्पादन के निम्नलिखित बड़े बड़े रिकार्ड कायम किये :

(टनों में)

मास	वस्तु	उत्पादन-रिकार्ड	पिछला रिकार्ड	
(i) जुलाई 65	हाट स्ट्रिप मिल में बनी वस्तुएं	20,446	19,781	जून 1965
(ii) अगस्त 65	टिन प्लेट	2,862	2,712	जुलाई 1965
(iii) मार्च 66	(क) इस्पात-पिण्ड	100,849	100,590	नवम्बर 1965
	(ख) सी० आर० स्ट्रिप	22,363	22,004	मार्च 1965

1965-66 में राउरकेला कारखाने का इस्पात पिण्ड और विक्रय वस्तुओं का उत्पादन भी अब तक के उत्पादन में सब से अधिक था ।

सूरी स्टेशन के निकट रेलवे फाटक पर ऊपरी पुल

4656. **डा० सारादीश राय** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सूरी स्टेशन (पूर्व रेलवे) के निकट सूरी-अहमदपुर सड़क के रेलवे फाटक पर एक ऊपरी पुल अथवा भूमिगत मार्ग बनाने के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब क्रियान्वित किये जाने की सम्भावना है !

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शामनाथ) : (क) सिउड़ी स्टेशन के पास शिवडी-अहमदपुर रोड के क्रासिंग पर एक ऊपरी/निचला सड़क पुल बनाने के लिए राज्य सरकार से अभी तक कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं मिला है ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

Express Train Between Jhansi-Manikpur Branch Line

4657. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) when the Express Train which Government proposed to run on the Jhansi-Manikpur branch line of tne Central Railway and which was postponed later on is likely to be introduced ;

(b) when a decision will be taken on the proposal to divert the Agra-Tundla-Howrah route of the Toofan Express to an alternative route *via* Jhansi and Allahabad which will meet the demand for the proposed Express Train and also cover all the important stations except Kanpur ; and

(c) whetner as a result of laying down 90 gauge lines the speed of existing passenger trains will be increased and tney would reach the destination in lesser time ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Tnere has been no proposal to introduce an Express Train on the Jhansi-Manikpur section as existing services cater adequately to the traffic needs of this section.

(b) There is no proposal to divert the Toofan Express to run via Jhansi and Allahabad in view of (a) above and also as this will result in longer journey time and more fare for through passengers thus inconveniencing them besides depriving Tundla-Allahabad section of a service.

(c) On completion of relaying in progress on the section, increase in the speed of trains there will be considered in the light of conditions obtaining in the section in other respects.

पटसन का आयात

4658. **श्री भागवत झा आज़ाद :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अतिशिघ्र भारी मात्रा में पुनः पटसन मंगाने की अनुमति दे रही है जिस पर बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(ख) वर्ष 1965 में कुल कितनी मात्रा में पटसन का आयात किया गया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) सरकार ने हाल में ही कच्चे जूट/मेस्टा की ३ लाख गांठ के आयात की स्वीकृति दी है जो जून-दिसम्बर, 1965 की अवधि में दी गई 15 लाख गांठ की स्वीकृति के अलावा है ।

(ख) 1965 के केलेण्डर वर्ष में कच्चे जूट/मेस्टा की 8.26 लाख गांठ आयात की गई थीं ।

Late Running of Passenger Trains between Banda and Kanpur

4659. **Shri M. L. Dwivedi :**
Shri P. C. Borooah :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri Subodh Hansda :
Shri S. C. Samanta :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that on the branch line between Banda and Kanpur, the passenger trains, especially the trains arriving in the evening, are invariably late by one to one and a half hours like other passenger trains in all other zones ;

(b) whether it is also a fact that the passengers travelling by these passenger trains are generally farmers and low income group people, who miss the connecting trains with the result that they have to spend 12 to 23/24 hours on the platforms ; and

(c) if so, the steps taken to ensure the punctual running of trains on this Branch Line?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) It is not a fact that passenger trains on Banda-Kanpur section and on other zones run invariably late.

(b) All classes of passengers, including farmers and low-income group people, travel by these trains. Maintenance of connections of trains both at Banda and Kanpur is generally satisfactory except in the case of connections between 527 Banda-Kanpur passenger with 6 LC Kanpur-Lucknow Passenger, where missing of connection has been slightly more, to avoid which, margin of connection has been increased from 15 minutes prior to 1-4-66 to 25 minutes from 1-4-66. Unpunctual running has been mostly due to alarm chain pulling resulting in displaced crossings, engineering restrictions etc.

(c) A special drive has been instituted in respect of trains observed to run late. Besides intensifying the checks by railway staff, the Uttar Pradesh authorities have also been requested to take remedical action to avoid incidence of heavy alarm chain pulling.

भोपाल और हैदराबाद में हैवी इलैक्ट्रिकल प्लांट

4660. **श्री मधु लिमये** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल और हैदराबाद के हैवी इलेक्ट्रिकल संयंत्रों में आगामी पांच वर्षों का उत्पादन लक्ष्य कितना कितना है ; और

(ख) हैवी इलेक्ट्रिकल साज-सामान के मामले में भारत के कब तक पूर्ण रूपेण आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि० भोपाल के कार्यक्रम में निम्नलिखित साज-सामान का उत्पादन करने का विचार है ;

(i) स्विच गियर, (ii) औद्योगिक तथा ट्रैक्शन कन्ट्रोल गियर; (iii) ट्रांस्फार्मर, (iv) कपैमिटर, (v) ट्रैक्शन मोटर, जेनरेटर तथा सहायक मशीनें, (vi) औद्योगिक मोटर, (vii) हाइड्रोलिक टर्बाइनें तथा (viii) स्टीम टर्बाइनें ।

वर्तमान बिक्री मूल्य के आधार पर हर एक वस्तु के उत्पादन का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में प्रति वर्ष निम्न प्रकार होगा :

वर्ष	मूल्य (लाख रु० में)
1966-67	1,400
1967-68	2,400
1968-69	3,500
1969-70	4,550
1970-71	5,150

(2) हैदराबाद के निकट रामचन्द्रपुरम स्थित बिजली के भारी सामान के कारखाने का कार्यक्रम स्टीम टर्बाइनें तथा पम्प और सहायक उपकरणों सहित टर्बो आल्टर्नेटर बनाने का है ।

अगले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष का अनुमानित उत्पादन मूल्य निम्न प्रकार होगा :

वर्ष	मूल्य (लाख रु० में)
1966-67	25
1967-68	220
1968-69	550
1969-70	1,080
1970-71	1,330

(ख) वर्तमान अनुमानों के आधार पर बिजली बनाने के उपकरणों के मामले में देश के पांचवी योजना की अवधि में आत्मनिर्भर हो जाने की आशा है ।

Muir Mills

4661. Shri Madhu Limaye :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether after taking over the Muir Mills, Kanpur, workers have been paid the arrears of their pay and allowances ;

(b) if so, when this payment was made ; and

(c) whether some arrears of workers are still outstanding ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Shafi Qureshi) : (a) to (c) : The arrears of workers' wages and other dues which occurred prior to the taking over of the mill will be paid as per the following schedule agreed upon between the management and the workers representatives.

(i) Wages of workers employed on essential services during the period August to Dec., 1965.	One week after the reopening of the mills.
(ii) Gratuity payable to workers who have resigned and have since died or are suffering from T.B.	Immediately after the reopening of the mills.
(iii) Gratuity payable to other workers who have resigned.	At the rate of Rs. 3,000/- per week after the reopening of the mills.
(iv) Balance of Bonus for the year 1960 .	Within four months after the reopening of the mills.

The wages of all workers employed since January, 1966, on essential services preparatory to the reopening of the mills have been paid on due dates.

पूर्व रेलवे के टिकट निरीक्षक कर्मचारी

4662. श्री मधु लिमये :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व रेलवे के टिकट निरीक्षक कर्मचारियों से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि उन्हें परिचालक वर्ग के कर्मचारी (रनिंग स्टाफ) माना जाना चाहिए और उनके समान सुविधाएं मिलनी चाहिएं;

(ख) क्या सरकार को उनसे इस आशय का भी कोई अभ्यावेदन मिला है कि टिकट निरीक्षक कर्मचारियों (टी० सी० एस०) को रात्री में काम करने के लिए भत्ता दिया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

कोल्ड रालड ब्लैक प्लेन शीटों का नियतन

4663. **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री चांडक :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री वाडिवा :
श्री पाराशर :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य सरकारों ने क्या क्या मांगें की थी जिनके आधार पर अक्तूबर, 1962 से मार्च, 1963 तक की अवधि के दौरान कोल्ड रालड ब्लैक प्लेन शीटों के राज्यवार नियतन में समायोजन किया गया था; और

(ख) क्या राज्यों की मांगों के आधार पर अन्य वस्तुओं के नियतन में समायोजन किया जा रहा है तथा क्या क्षमता और आवश्यकता पर ध्यान नहीं दिया जाता है?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) "स्टेट्स पूल्ड कोटे" के अन्तर्गत 14 से अधिक गेज की ठंडी बेलित सादी काली चादर के लिए राज्यों की मांग और आवंटन का ब्यौरा सभा पटल पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6190/66 ।]**

(ख) इस्पात की जिन वस्तओं की कमी है उनका आवंटन माल की अनुमानित उपलब्धि को देखकर किया जाता है । अन्तिम रूप से आवंटन करने से पूर्व अधिष्ठापित क्षमता तथा आवश्यकताओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाता है और जहां कहीं मांग की पूर्ति करना अनिवार्य समझा जाता है वहां माल का आयात करने के लिए प्रबन्ध किया जाता है बशर्ते कि विदेशी मुद्रा उपलब्ध हो ।

रेलवे सुरक्षा निधि

4664. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री वारियर :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री प्रभातकार :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सुरक्षा निधि स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका ब्यौरा तैयार कर लिया गया है ; और

(ग) इस निधि की प्रस्तावित पूंजी कितनी होगी ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

ऊपरी या निचले पुलों, चौकीदार वाले समपारों आदि संरक्षा सम्बन्धी निर्माण-कार्यों में अपने हिस्से की लागत देने के बारे में राज्य सरकारों की सहायता करने के उद्देश्य से रेलवे मंत्रालय ने एक सुझाव दिया था कि लाभांश के भाग के रूप में चौथी योजना में प्रति वर्ष औसतन लगभग दो करोड़ रुपये का अंशदान दिया जाये । रेलवे अभिसमय समिति, 1965 और संसद् ने यह सुझाव स्वीकार कर लिया है ।

(2) यह रकम हर वर्ष सार्वजनिक लेखे में रेलवे संरक्षा निर्माण निधि नामक निधि में डाली जायेगी, जिसमें प्रत्येक राज्य का हिस्सा उसी अनुपात में रखा जायेगा, जो यात्री किराया कर के बदले उसके हिस्से के भुगतान के लिए वित्तीय आयोग निर्धारित करेगा । रेल प्रशासनों की सलाह से जिन रेलवे संरक्षा कार्यों के निर्माण की योजना बनायी जायेगी, उनमें अपने हिस्से की लागत देने के लिए राज्य सरकारें इस रकम का उपयोग कर सकेंगी । इन निर्माण कार्यों में रेलों के हिस्से की लागत वर्तमान कार्यविधि के अनुसार अलग से रेलें देती रहेंगी ।

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सहकारी समितियां

4665. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितनी औद्योगिक सहकारी समितियां काम कर रहीं हैं ; और

(ख) वे क्या-क्या काम करती हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) 30 जून, 1965 को उत्तर प्रदेश में जो औद्योगिक सहकारी समितिया काम कर रहीं थीं उनकी संख्या 1,550 थी ।

(ख) औद्योगिक सहकारी समितियां कच्चा माल उपलब्ध कराने, उत्पादन का संगठन करने तथा तैयार माल की हाट व्यवस्था करती है । इनके अन्तर्गत खादी ग्रामोद्योगों सम्बन्धी विभिन्न वर्गों के उद्योग आते हैं जैसे रेशम के कीड़े पालना, दस्तकारी हथ करघा तथा आधुनिक ढंग के मशीनों के चलने वाले जैसे मशीनी तथा रसायन उद्योग ।

उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग

4666. श्री विश्वनाथ पाण्डेय : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का 1966-67 में उत्तर प्रदेश में कोई भारी उद्योग स्थापित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) जी, हां ।

(ख) उद्योगों का ब्योरा इस प्रकार है :

नाम	पुंजीगत लागत	क्षमता
1. हेवी स्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट, इलाहाबाद (इसका स्वामित्व और व्यवस्था मेसर्स त्रिवेणी स्ट्रक्चरल प्राइवेट लि०) द्वारा की जायेगी ।	4.80 करोड रु०	इमारती ढांचे तथा अन्य ढांचे जिनमें क्रेनें, हाइड्रालिक ढांचे तथा कुछ प्लेट कार्य को शामिल कर, 25,000 मीट्रिक टन ।
2. भारी पम्प और कम्प्रेसर परियोजना, इलाहाबाद ।	13.50 करोड़ रु०	(1) पम्प और कम्प्रेसर 16,700 मीट्रिक टन । (2) लोहा ढलाईघर जिसकी क्षमता 25,000 मीट्रिक टन होगी ।
3. सेन्ट्रल फाउण्ड्री फोर्ज, रानीपुर ।	21.00 करोड़ रु०	ढले और गढ़े इस्पात में से प्रत्येक के लिये 15,000 मीट्रिक टन ।

Supply of Drinking Water at Railway Stations

4667. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of stations (Zone-wise) at which drinking water arrangements have been made on permanent basis ;

(b) the number of stations (Zone-wise) where such arrangements do not exists; and

(c) whether Government propose to take steps to provide drinking water on a permanent basis at all the stations ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). A statement is attached. **[Placed in Library. See No. L.T. 6191/66.]**

(c) The question of providing adequate supply of drinking water at all stations has been constantly engaging the attention of Railway Administrations and new sources of potable water are being constantly investigated. Where new water supply schemes are commissioned by municipalities or local bodies, efforts are made to obtain water from them. At stations where water is not available from Railway sources drinking water is bruoght from outside sources and stored in drums. At otner stations, water is brought by water tanks from other stations. Arrangements are made for providing wells or tubewells on a programmed basis after full investigation of the location is conducted for availability of water. Efforts of the Railway Administrations in this direction will be continued. Since no Railway staff are posted at the halt stations, no other arrangements for providing drinking water can be made except provision of wells or tubewells.

पटना रेलवे स्टेशन

4668. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना का नाम बदल कर पटना साहिब कर देने के बारे में पटना नगर के निवासियों की ओर से सरकार को कोई आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी, हां। यह प्रार्थना 'पटना सिटी' स्टेशन के सम्बन्ध में है, न कि पटना स्टेशन के ।

(ख) इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में बिहार सरकार को लिखा गया है और उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

विदेशों में भारतीय माल की बिक्री

4669. **श्री विभूति मिश्र** :

श्री राम हरख यादव :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व वाणिज्य उपमंत्री ने सरकार को उन पदाधिकारियों की एक नई पदालि बनाने का सुझाव दिया था, जो विदेशों में भारतीय माल की बिक्री के लिये उत्तरदायी हों ;

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना के द्वारा हमारे देश को कितना लाभ होगा ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ज्ञात हुआ है कि जनवरी, 1966 में एक पत्र प्रतिनिधि सम्मेलन में भूतपूर्व वाणिज्य उप-मंत्री द्वारा इस प्रकार का सुझाव दिया गया था ।

(ख) सुझाव का अन्य कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

घटिया किस्म के कोयले का बढिया किस्म के कोयले के रूप में स्वीकार किया जाना

4670. **श्री कोल्ला वैकैया** :

श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घटिया किस्म कोयला उत्पादक संघ ने 1962 में पेश किये गये अपने स्मरण पत्र में घटिया किस्म के कोयले को बढ़िया किस्म के कोयले के रूप में भेजने के कदाचार को रोकने के लिये एक तरीका सुझाया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या तरीका सुझाया गया था ;

(ग) क्या सरकार ने वह उपाय स्वीकार कर लिया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) जी, हां ।

(ख) दिये गये सुझाव के अनुसार पट्टियों से कार्य योजना के आधार पर उनसे निकाले गये कोयले की मात्रा का, कोयला कम्पनियों द्वारा अपने मासिक विवरण में बताये गये श्रेणी वार उत्पन्न वर्गवार तथा प्रेषित किये जाने वाले कोयले के आंकड़े का तुलनात्मक अध्ययन किया जाना था ।

(ग) और (घ) : जी, नहीं । सुझाव व्यवहार्य नहीं समझा गया ।

विदेशी सहयोग

4671. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष में सरकार ने कितनी ऐसी परियोजनाओं की मंजूरी दी है, जिन में गैर-सरकारी निजी पूंजी लगाई जायेगी ;

(ख) उन का कुल अनुमानित पूंजी व्यय कितना होगा ; और

(ग) उन में गैर-सरकारी विदेशी विनियोजकों का हिस्सा कितना होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) 93 ।

(ख) और (ग) : इस बारे में पूरी जानकारी तभी उपलब्ध हो सकेगी जबकि सिद्धान्त रूप से स्वीकृत योजनाएं पर्याप्त प्रगति कर लेंगी ।

मसालों का निर्यात

4672. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मसालों का हमारा निर्यात काफी कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

क्या **वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

ट्रैक्टरों का निर्माण तथा आयात

4673. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने ट्रैक्टरों का निर्माण किया जाता है ;

(ख) 1965-66 में कितने ट्रैक्टरों का आयात किया गया ; और

(ग) इन ट्रैक्टरों का आयात करने पर कुल कितनी राशि खर्च हुई ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) भारत में 1-4-65 से 31-3-66 की अवधि में 5,714 ट्रैक्टर बनाए गए थे ।

(ख) और (ग) : 1965-66 में (31 दिसम्बर, 1965 तक) लगभग 408 लाख रु० के मूल्य के 3,609 ट्रैक्टरों का आयात किया गया था ।

ऊन तथा ऊनी कपड़े के दाम

4674. श्री घुलेश्वर मीना :

श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष ऊन तथा ऊनी कपड़े के दामों में कुछ वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ; और

(ग) इन के दामों को बढ़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरैशी): (क) 1965 में भारतीय कच्ची ऊन की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है । ऊन से बने माल की कीमतों में कुछ वृद्धि अवश्य हुई है ।

(ख) ऊन से बने माल के मूल्यों में वृद्धि आयातित कच्चे माल की कमी के कारण हुई है ।

(ग) कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(1) ऊन सफ़ाई उद्योग का विकास ।

(2) ऊन उद्योग के विकेन्द्रित क्षेत्र को कती हुई ऊन उपलब्ध करने के लिये उसकी संविधिक कीमतें नियत करना ।

(3) कती हुई ऊन वितरण करने की विभिन्न योजनाओं को चालू करना ।

(4) कती हुई मिश्रित ऊन का उत्पादन जिसमें ऊन के साथ मानवनिर्मित रेशे भी होंगे, जिससे कपड़ा बनाने के लिये कती हुई ऊन की उपलबधि में वृद्धि हो ।

(5) देशी भेड़ पालन का विकास और देशी ऊन की किस्म में सुधार ।

उड़ीसा में नारियल जटा केन्द्र

4675. श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय नारियल जटा तथा नारियल उत्पाद के कितने केन्द्र चल रहे;

(ख) क्या यह सच है कि इस उद्योग को घोर संकट का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) इस समय उड़ीसा में सात कायर तथा कायर उत्पाद केन्द्र चल रहे हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में रेशम-उत्पादन उद्योग का विकास

4676. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने 1965-66 में रेशम-उत्पादन उद्योग के विकास के लिये उड़ीसा को कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) क्या उस राज्य को उक्त अवधि में दी गई समूची राशि का पूर्ण उपयोग किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उस के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) बहत्तर हज़ार रुपये (54,000 रु० अनुदान तथा 18,000 रु० ऋण के रूप में)।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में कोयले तथा लोहे के निक्षेप

4677. श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले तथा लोहे के निक्षेपों का पता लगाने के लिये हाल ही में उड़ीसा में कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण किन-किन जिलों में किया गया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) जी, हां ।

(ख) पेनाकाल जिले की तालचर कोयला खानों तथा संबलपुर ज़िले की इब नदी के कोयला क्षेत्रों में कोयले के लिये अन्वेक्षणात्मक व्यधन द्वारा अनसन्धान किये गये ।

कोरापुत जिले के अमरकोटी तथा कियोंझार, सुन्दरगढ़ जिलों के मालंगटोली खंड में कच्चे लोहे के लिये विस्तृत अन्वेषण इस समय प्रगति पर हैं ।

तालचर कोयला क्षेत्र के कलमछुई-गोपाल प्रसाद क्षेत्र में 18250 लाख मीटरी टन तथा बेलपहाड़-कुरालोई क्षेत्रों में 190 लाख मीटरी टन कोयले के संचय होने का अनुमान लगाया गया है ।

1939–40 में किये गये प्रारम्भिक निर्धारण के अनुसार अमरकोटि कच्चा लोहा निक्षेपों का संचय अनुमानतः 100 लाख मीटरी टन है । वर्तमान अनुमान के अनुसार मालंगटोली के निक्षेप पिंड अयस्क के रूप में 1300 लाख मीटरी टन हैं जिनकी औसत श्रेणी 63 प्रतिशत एफ० ई० है ।

इस्पात सम्बन्धी मूल्य ढांचा

4678. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री लिंग रेड्डी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कारखानों के उत्पादों के दामों के बारे में पुनर्विलोकन करने के लिये केन्द्र द्वारा नियुक्त की गई इस्पात मूल्य निर्धारण समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारत में निर्मित इस्पात की वस्तुओं के दाम विश्व भर में सब से अधिक है;

(ग) क्या इस समिति ने इतने अधिक दामों के कारणों तथा प्रशासनिक रुकावटों के सम्बन्ध में जांच की है, जो काफी हद तक इस के लिए जिम्मेदार हैं; और

(घ) क्या सरकार को कोई अन्तरिम प्रतिवेदन दिया गया है जिसमें इसके द्वारा तुरन्त की जाने वाली कार्यवाही का निश्चय करने के हेतु मार्गदर्शन किया गया हो ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (घ) : सरकार ने इस्पात के मूल्य निर्धारण के लिए कोई समिति नियुक्त नहीं की है। संभवतः निर्देश इस्पात की उत्पादन लागत के प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई समिति की ओर है जिसके अध्यक्ष श्री हरिकृष्ण मेहताब, संसद सदस्य हैं । समिति के विचारार्थ विषय हैं इस्पात की उत्पादन लागत से सम्बन्धित सभी बातों का विश्लेषण करना, मूल्य में वृद्धि के कारणों का पता लगाना तथा लागत को कम करने के लिए सरकार को आवश्यक उपायों के बारे में परामर्श देना । आशा है समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगी । कोई अन्तरिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुए है ।

ढेकवाड स्टेशन पर रेलगाड़ियों की टक्कर

4679. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भुसावल से उघना बाक्स वगनों में कोयला ले जा रही एक मालगाड़ी पश्चिम रेलवे के ताप्ती सेक्शन पर ढेकवाड़ स्टेशन में प्रवेश करते समय पहली लूप लाइन के अन्त में जा टकराई थी ;

(ख) क्या मालगाड़ी के दो इंजन ड्राइवर तथा दो फायरमैन घटनास्थल पर ही मर गये थे ; और

(ग) यदि हां, तो क्या कोई जांच की गई है और उसका क्या परिणाम निकला ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) यह दुर्घटना रेल कर्मचारियों की गलती के कारण हुई ।

इंजीनियरी उद्योग के कारखानों की इस्पात तथा कच्चे लोहे की सप्लाई

4680. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंजीनियरी उद्योग के कारखानों ने उद्योग द्वारा अपेक्षित विशिष्ट विवरणों के अनुसार इस्पात तथा कच्चा लोहा नियत किये जाने के बारे में कोई प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां तो इस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर क्या कार्यवाही की गई है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता ।

इंजीनियरी उद्योग की इस्पात सम्बन्धी आवश्यकता

4681. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियरी उद्योग की इस्पात सम्बन्धी वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) 1963–64 से कितनी मात्रा में इस्पात नियत किया गया तथा दिया गया;

(ग) 1963–64 से प्रति वर्ष इंजीनियरी उद्योग की इस्पात तथा कच्चे लोहे की मांग यदि पूरी नहीं हुई है, तो कितनी, और

(घ) कच्चे माल की कमी के कारण इंजीनियरी उद्योग पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : जहां तक इस्पात को नियंत्रक वस्तुओं का सम्बन्ध है 1963–64 से लेकर इंजीनियरी उद्योग की इस्पात की मांग और इस उद्योग को दी गई इस्पात की मात्रा इस प्रकार थी :

	मांग	वितरण
	(टन)	(टन)
1963–64 .	201,300	195,000
1964–65	350,474	38,000
1965–66	479,600	87,500

मांग के आंकड़े वे हैं जिनकी "राज्य पूल्ड कोटे" के लिए तकनीकी विकास के महानिदेशालय ने सिफारिश की थी । वास्तविक मांग बहुत कम थी । कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनके लिए उत्पादकों को दिए गए आर्डरों में से बहुत से आर्डर रद्द कर दिए गए हैं । संभवत: इण्डेन्टकर्त्ता अपनी मांग बढ़ा चढ़ा कर बताते रहे है जिससे वास्तविक आवंटन उनकी उसकी आवश्यकताओं के लगभग हो सके ।

(ग) "राज्य पूल्ड कोटे" के अन्तर्गत कच्चे लोहे की मांग और आवंटन इस प्रकार है :

	मांग	आवंटन
	(टन)	(टन)
1963–64	उपलब्ध नहीं	233,000
1964–65	596,826	305,000
1965–66	517,833	271,716

यहां भी इंजीनियरी उद्योग द्वारा की गई मांग से वास्तविक मांग का पता नहीं चलता। कच्चे लोहे पर से नियंत्रण हटा लिया गया है और मांग की पूर्ति के लिए कच्चा लोहा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। सच तो यह है कि फालतू कच्चे लोहे को बेचना अब एक समस्या बन गई है। इसी प्रकार ऊपर (क) और (ख) में दिखाई गई इस्पात की वस्तुओं की कमी वास्तविक कमी से बहुत अधिक है। इस्पात की जिन वस्तुओं पर से नियंत्रण हटा लिया गया है उनकी कोई कमी नहीं थी। अतः ऊपर के आंकड़ों में दिखाई गई कमी अवास्तविक थी।

(घ) पिछले कुछ वर्षों में ऐसे अवसर आये हैं जब कच्चे लोहे का उत्पादन कम था और सप्लाई भी कम थी। ऐसी अवस्था इस्पात की कुछ वस्तुओं की भी थी। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता गया, सरकार ने कई वस्तुओं पर से नियंत्रण हटा लिया जिससे इंजीनियरी उद्योग आसानी के अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगा। इस बात के लिए प्रयत्न किये गये कि महत्वपूर्ण उद्योग को कच्चे माल की कमी न होने पाये और जहां कहीं आवश्यकता पड़ी वहां देश के उत्पादन में वृद्धि करने के लिये माल का आयात भी किया गया।

क्षमता प्रमाणपत्रों का जारी किया जाना

4682. **श्री कोल्ला वेंकैया :**
श्री म० ना० स्वामी :
श्री लक्ष्मी दास :

क्या **सम्भरण, तकनीकी विकास** तथा **सामग्री आयोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 1965 में टेंडर देने वाले व्यक्तियों द्वारा सप्लाई किये गये सामान के बारे में ठेकेदारों तथा माल निरीक्षकों को क्षमता प्रमाणपत्र जारी किये जाने में हुई गम्भीर त्रुटियों तथा कदाचारों के विरोध में अन्तर्राष्ट्रीय सिन्धी वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल की ओर से एक प्रतिनिधि मण्डल ने शिकायत की है;

(ख) क्या निष्पक्ष जांच कराने का वचन दिया गया था, और

(ग) यदि हां, तो उस के बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरमैया) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय सिन्धी वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल द्वारा लगाये गये आरोप नये नहीं हैं। मण्डल समय समय पर इस प्रकार के आरोप लगाता रहा है और इन की छान-बीन की गई। पता चला कि इन आरोपों में कोई सार नहीं था।

बंगलौर तथा मैसूर के बीच विद्युत रेलवे लाइनें

4683. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर तथा मैसूर के बीच विद्युत् रेलवे लाइनें बिछाने का कोई प्रस्ताव है और क्या राज्य सरकार इस सम्बन्ध में चिरकाल से सरकार को प्रार्थना करती आ रही है ; और

(ख) क्या कोई प्राक्कलन तैयार किया गया है और यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयेगी और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) भूतपूर्व मैसूर रेलवे के एकीकरण से पहले, 1947 में मैसूर सरकार ने बेंगलूरु-मैसूर खण्ड के बिजलीकरण के प्रस्ताव पर विचार किया था और इसे छोड़ दिया गया था। इस सम्बन्ध में मैसूर राज्य की सरकार से अभी तक कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ख) बिजलीकरण की योजना का कोई ब्यौरेवार अनुमान तैयार नहीं किया गया है। लेकिन 1964 में लगाये गये मोटे अन्दाज के अनुसार, इस योजना पर लगभग 6 करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना थी, जिसका आर्थिक दृष्टि से औचित्य नहीं था।

अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ द्वारा "मांग दिवस" मनाया जाना

4684. **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्रीमती रामदुलारी सिन्हा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 मार्च, 1966 को अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ ने "मांग दिवस" मनाया था;

(ख) यदि हां, तो उनकी निश्चित मागें क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, प्रेस रिर्पोटो और आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन से सम्बध्द यूनियनों से कुछ रेलों को प्राप्त सूचना के अनुसार। लेकिन सरकार के पास कोई निश्चित ब्यौरा नहीं है।

(ख) मोटे तौर पर मांगों का सम्बन्ध इन बातों से था :

(i) रेलवे कर्मचारियों के अलग वेतन बोर्ड ;

(ii) सहायता प्राप्त अनाज की दुकानें खोलना ;

(iii) सभी कर्मचारियों को एक ही दर पर मंहगाई भत्ता देना

(iv) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूची का संकलन करना

(v) अनियत मजदूर प्रणाली का उन्मूलन करना ;

(vi) रेलवे बोर्ड के स्तर पर तय नहीं किये गये विवादों के पंच निर्णय के लिए एक स्थायी न्यायाधिकरण की स्थापना;

(vii) रेलवे कर्मचारियों को बोनस देना ;

(viii) रेलवे परियोजनाओं के फालतू कर्मचारियों को काम पर खपाना ।

(ग) अतीत में सामान्यतया इन बातों पर कई बार आम तौर से विचार किया जा चुका है और संसद में इन पर बहस भी हुई है । फालतू कर्मचारियों को काम पर खपाने के अलावा जिसके लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं और मद (iv) के अलावा जो रेलवे मंत्रालय से सम्बन्धित नहीं है अन्य सभी मांगे सरकार को मंजूर नहीं हैं ।

नंगल बांध रेलवे स्टेशन पर सुविधाएं

4685. श्री दलजीत सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री 3 सितम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1443 तथा 7 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3304 के उत्तरों के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि (एक) नंगल बांध स्टेशन पर यात्रियों तथा कर्मचारियों के लिये सुविधाओं तथा (दो) उत्तम रेलवे के रोपड-नंगल बाँध सेक्शन पर यात्रियो तथा रेलवे कर्मचारियों के लिये सुविधाओं की व्यवस्था करने में कितनी प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : यह प्रश्न विचाराधीन था कि रोपड़ नांगल स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का पूरा खर्च रेल प्रशासन दे या उसका कुछ हिस्सा पंजाब सरकार दे । उत्तर रेलवे को हिदायतें जारी की जा चुकी हैं कि पंजाब सरकार से खर्च में हिस्सा बंटाने का आग्रह किये बिना वह यात्रियों और कर्मचारियों के लिए आवश्यक सुविधाओं के निर्माण-कार्य शुरू कर दे ।

Railway Fares for Season Tickets in Delhi Area

4686. Shri Jagdev Singh Siddhanti : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that persons travelling between towns and big cities of Calcutta and Bombay are charged at the rate of 12 single fares for the season ticket while in the case of Delhi people, they are charged at the rate of 24 single fares;

(b) whether it is also a fact that majority of the persons coming to Delhi daily are low-paid employees working in the Central Government and Semi-Government Offices;

(c) whether there is a proposal that Government employees coming daily to Delhi/New Delhi may also be charged railway fares for season ticket at the same rates as are charged in Calcutta and Bombay; and

(d) if so, the details thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) The basis for season ticket fares at Calcutta, Bombay and at other cities is different. The following table gives the cost of III class Monthly

Season Tickets in terms of single journey fares, approximately, for different distances :—

Distance (kms)	Bombay	Calcutta	Other cities
5	16	16	21
10	15	14	16
15	13	13	16
20	13	13	16
25	11	12	15
30	10	11	13
35	9	11	13
40	9	11	13
45	9	10	13
50	8	10	12

(b) The Railways have no information.

(c) No.

(d) Does not arise.

नंगल बांध स्टेशन के निकट चौकीदार के लिए रिहायशी क्वार्टर

4687. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के अधिकतर कर्मचारियों को प्रतिदिन बारह घंटे से अधिक समय तक काम करने के लिये बाध्य किया जाता है, परन्तु उन्वे रेलवे स्टेशनों पर कोई रिहायशी क्वार्टर नहीं दिये जाते;

(ख) क्या यह भी सच है कि नंगल बांध स्टेशन के निकट तैनात चौकीदार को 24 घंटे काम करने के लिये बाध्य किया जाता है, परन्तु उसे न तो कोई सायवान दिया जाता है और न कोई रिहायशी क्वार्टर ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

आनन्दपुर साहिब रेलवे स्टेशन पर टेलीफोन

4688. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आनन्दपुर साहिब में टेलीफोन ऐक्सचेंज की व्यवस्था कर दी है, परन्तु उत्तर रेलवे के रोपड़-नंगल बांध सैक्शन पर आनन्दपुर साहिब रेलवे स्टेशन पर टेलीफोन नहीं लगाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : कुछ समय पहले आनन्दपुर साहिब में डाक व तार टेलीफोन एक्सचेंज की व्यवस्था की गयी थी। इसका पता चलने पर रेलवे ने डाक व तार विभाग को इस आशय की एक मांग भेजी कि रेलवे स्टेशन पर एक टेलीफोन की व्यवस्था की जाये। 13-4-1966 से रेलवे स्टेशन पर एक टेलीफोन लगा हुआ है ।

नंगल बांध में हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के कारखाने

4689. श्री दलजीत सिंह : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने पंजाब में नंगल बाँध में अपने कारखाने लगाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सं ैवैया) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

रोपड़ा-नंगल बांध सैक्शन के रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

4690. श्री दलजीत सिंह : क्या **रेलवे** मन्त्री 11 मार्च, 1966 के अतारांकित प्रश्न सं 1967 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर रेलवे के रोपड़-नंगल बांध सैक्शन के जिन रेलवे कर्मचारियों को रेलवे प्रशासन ने रहने के लिये क्वार्टर नहीं दिये है उन्हें क्वार्टर देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : इस खंड में तीसरे और चौथे दर्जे के जितने सारभूत कर्मचारियों को मकान मिले हैं उनका कुल प्रतिशत क्रमशः लगभग 68% और 90% हैं, जबकि उत्तर रेलवे के बाकी खंडों पर लगभग 55 प्रतिशत सारभूत कर्मचारियों को मकान दिये गये है । अतः इस खंड में और अधिक कर्मचारीयों को मकान देने के लिए किसी तात्कालिक प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है । फिर भी 1967-68 का अगला बजट बनाते समय इस मामले पर समुचित विचार किया जायेगा, बशर्ते इसके लिए धन उपलब्ध हो ।

Clerks in the Railway Accounts Department

4691. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that clerks Class II working in the Railway's Accounts Department were exempted from passing the Appendix II-A Examination for promotion to Class I posts during the period April, 1956 to December, 1957 ;

(b) whether it is also a fact that before the 1957 examination, certain junior persons were promoted to the above mentioned posts and as a result thereof the senior employees who passed the 1957 examination were deprived of this promotion ;

(c) whether it is also a fact that the permanent employees who passed the 1957 examination were promoted with retrospective effect from 1st April, 1956 and have also been paid the arrears of their emoluments and their seniority has also not been adversely affected while the temporary employees have been deprived of this advantage and have been made junior to many employees ; and

(d) if so, the reason therefor and the steps being taken to do justice to the affected persons ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, a few clerks were exempted but only temporarily pending availability of qualified candidates ;

(b) under the normal rules, those who are qualified, suitable and available on the date of occurrence of the vacancies are promoted. Senior staff who qualify later for promotion have no claim to vacancies which arose before the date they qualified for promotion. Senior employees who passed the 1957 examination were, however, promoted to the extent vacancies were available.

(c) & (d). No distinction for the purpose of promotion was drawn between staff on the basis of their being permanent or temporary. But several employees who passed the 1957 Appendix II-A Examination and were senior to the most junior employee confirmed as a clerk Grade I with effect from 1-4-56 were promoted to Grade I and and paid arrears from that date. There was no injustice to any staff.

यूरिया का आयात

4692. **श्री वारियर :**

श्री वासुदेवन नायर :

क्या **सम्भरण, तकनीकी विकास** तथा **सामग्री आयोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूरिया का आयात करने के लिये 740 रुपये मूल्य दिया जाता है और अमोनियम सल्फेट का आयात करने का मूल्य 400 रुपये दिया जाता है, जब कि अमरीका में उन का मूल्य क्रमशः लगभग 425 रुपये और 160 रुपये ही है, और

(ख) यदि हां, तो मूल्य कम कराने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये है ?

सम्भरण, तकनीकी विकास तथा सामग्री आयोजन मंत्री (श्री कोत्ता रघुरमैया) : (क) जी नहीं। अमरीका से यूरिया बोरों के रूप में खरीदा जाता है जबकि अमोनियम सल्फेट ढेर के रूप में। अभिनव ठेकों के विरुद्ध अमरीका से बोरों के रुप में यूरिया का मूल्य (जहाज पर) 387 रुपये और 437 रुपये प्रति मैट्रिक टन के बीच दिया गया और अमोनियम सल्फेट का ढेर के रूप में 149 रुपये और 185 रुपये प्रति मैट्रिक टन की बीच। इन कीमतों में, सम्भरकों द्वारा माल को अमरीकी बंदरगाह तक ले जाने और जहाज पर लादने के प्रभार भी शामिल हैं। अमरीका से यूरिया (बोरों में) का लागत-भाडा मूल्य 468 रुपये और 518 रुपये तथा अमोनियम सल्फेट (ढेरों में) का 220 रुपये और 256 रुपये प्रति मैट्रिक टन के बीच था।

(ख) अमरीकी सहायता कर्जों के अधीन की गई खरीदों के बारे में, टेन्डर खुल जाने के पश्चात्, कीमतों के घटाने के लिये बातचीत की अनुज्ञा नहीं है। अन्य सरकारों से क्रेडिटों और मुक्त विदेशी मुद्रा के विरुद्ध की गई खरीदों के बारे में सामान्य व्यवहार यह है कि जब तक कीमतें अनुचित रूप से अधिक न समझी जायें, बातचीत नहीं की जाती। इस कारण, मूल्य को कम करने के लिये बातचीत नहीं की गई।

M/s. Jessop and Company

4693. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have acquired all the shares of Jessop and Company from M/s. Sahu Jain & Co. ;

(b) whether the amount allocated in the Budget is meant to make payment in lieu of the shares of Jessop and Company purchased by people ; and

(c) if not, whether the said amount has been allocated for giving further compensation to M/s. Sahu Jain & Co. ?

The Minister of Industry (Shri Sanjivaiyya): (a) to (c). Government have purchased a block of 11,23,300 ordinary shares in Jessop & Co. Ltd., from M/s Sahu Jain and Company and their Associates. Price of these shares is to be determined by arbitration. Pending fixation of the price by the Arbitrator an 'on account' payment at the rate of Rs. 25·00 per share has been made to the Sellers against transfer of shares to the Government. A demand for Rs. 2,80,82,500 has been included in the revised Budget estimates for 1965-66. A token provision of Rs. 1,000 has been made in the Budget estimates for 1966-67. The question of additional payment being made to the Sellers will arise, if the Arbitrator awards a price higher than Rs. 25·00 per share.

न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर

4694. श्री यशपाल सिंह :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री बड़े :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू विक्टोरिया मिल्स, कानपुर के काम-काज की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति का प्रतिवेदन प्राप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसने क्या शिफारिशें की हैं ; और

(ग) उनके सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) से (ग): समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और यह सरकार के विचाराधीन है ।

रेशम उत्पादन उद्योग का विकास

4695. श्री लिंग रेड्डी : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 7 अप्रैल, 1966 को बंगलौर में हुए मैसूर रेशम-उत्पादन उद्योग के सातवें सम्मेलन में पारित संकल्प सरकार को प्राप्त हो चुका है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) रेशम-उत्पादन उद्योग को बढ़ावा देने की दृष्टि से केन्द्रीय रेशम बोर्ड और सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं । (सातवां रेशम उत्पादन सम्मेलन 27 मार्च 1966 को हुआ था न कि 7 अप्रैल 1966 को)

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

मैसूर स्थित रेशम उत्पादन अनुसंधान संस्था

4696. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर स्थित रेशम-उत्पादन अनुसन्धान संस्था को चान्नापाटन में स्थानान्तरित करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सीताराम कताई तथा बुनाई मिल्स, त्रिचुर

4697. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन नायर :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीताराम कताई तथा बुनाई मिल्स, त्रिचूर को, जिसका कारोबार इस समय बन्द है, फिर से चलाने के सम्बन्ध में सरकार ने गम्भीर रूप से कोई विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार केरल सरकार को यह निदेश देने का है कि वह (केरल सरकार) उपरोक्त मिल्स के मजदूरों को उनको उस जमीन-जायदाद से, जो सरकार द्वारा उन्हें पट्टे पर दी गई है, बेदखल करने की कार्यवाही तब तक आरम्भ न करें जब तक कि उक्त मिल को फिर से चालू करने के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय नहीं किया जाता ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह निश्चय करना राज्य सरकार का मामला है ।

भारत फ्रांस-व्यापार

4698. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री किन्दर लाल :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री धर्म लिंगम :
श्री फिरोडिया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान भारत-फ्रांस व्यापार के विस्तार के सम्बन्ध में एक नये करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस नये करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी हां ।

(ख) नये करार की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(1) संलेख में कुछ वस्तुओं के बारे में व्यापार के ऊंचे स्तरों की कल्पना की गयी है जिनके फ्रांस द्वारा आयात किये जाने पर कोटा सम्बन्धी प्रतिबन्ध लगे हुये हैं और इस समय जिनका भाग भारत से फ्रांस द्वारा किये जाने वाले कुल आयात मूल्य का लगभग 20 प्रतिशत होता है । 1965 की तुलना में 1966 के लिये न केवल मुख्य वस्तुओं अर्थात् सूती वस्त्रों, जूट के टाट और बोरियों, कायर से बनी फर्श बिछावन की वस्तुओं बरन अन्य वस्तुओं जैसे संस्लिष्ट तथा नकली रेशों से बने वस्त्रों, ऊनी होजरी की वस्तुओं, विविध प्रकार के सूती माल, शालों, स्टोल, स्कार्फो, साड़ियो आदि और सिलाई मशीनों का कोटा भी बढ़ा दिया गया है ;

(2) सूखी बैटरियों और रबड़ के तले वाले किरमिज के जूतों, जिनकी भारत से निर्यात किये जाने की सम्भावनाएं है और जिनका फ्रांस में आयात अब भी कोटों के अधीन किया जाता है, के लिये पहली बार कोटे निर्धारित किये गये हैं ;

(3) 80 नम्बर से कम सूत से बने सूती हथकरघा वस्त्रों और उन वस्त्रों से बने पहनने के कपडों के आयात पर से कोटा सम्बन्धी प्रतिबन्ध हटा लिये गये हैं ;

(4) अन्य बातों के साथ संलेख में इनकी भी व्यवस्था की गयी है :

(क) तकनीकी और औद्योगिक सहयोग के विशिष्ट क्षेत्र जैसे फ्रांसीसी संगठनों को मशीनी औजारों तथा अन्य उत्पादों का सम्भरण, भारत-फ्रांसीसी संयुक्त उद्योगों और भारत के अन्य उद्योगों द्वारा फ्रांस और तीसरे देशों को संघटकों और फालतू हिस्सों का सम्भरण, फ्रांस द्वारा अधिक पूंजी निवेश विशेषत: भारत के निर्यात-अभिमुख उद्योगों और तीसरे देशों को माल का सम्भरण करने के लिये संयुक्त टेण्डर देना,

(ख) फ्रांस में भारतीय माल का प्रचार करने के लिये उस देश द्वारा तकनीकी और अन्य प्रकार की सहायता देना,

(ग) भारतीय उत्पादों विशेषत: भारत स्थित भारत-फ्रांसीसी उद्योगों के उत्पादों के निर्यात को तीसरे देशों में बढ़ावा देने के लिये संयुक्त निर्यात संवर्धन सम्बन्धी कार्यक्रमों का आयोजन करना, और

(घ) वाणिज्यिक प्रचार के क्षेत्र, निर्यात की प्रविधियों आदि में भारतीय कार्यकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण ।

अमरीकी अभिकरण से ऋण

4699. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे ने अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी अभिकरण से 6 करोड़ डालर का एक ऋण मांगा है तथा 7 करोड़ डालर का दूसरा ऋण मांगा है ;

(ख) ये ऋण किन कार्यों के लिये मांगे गये हैं ; और

(ग) इन ऋणों से किन किन परियोजनाओं की सहायता करने का इरादा है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) : सवाल नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में स्कूटर बनाने का कारखाना

4700. **श्री किन्दर लाल :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी क्षेत्र में स्कूटर बनाने का एक कारखाना लगाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो कब और किस स्थान पर ; और

(ग) इस पर कुल कितना खर्च आयेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : स्कूटरों, आटो-साइकिलों तथा मोपेडो आदि का निर्माण करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस मंजूर किये जाने के बारे में 189 आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 40 आवेदकों ने अपने कारखाने उत्तर प्रदेश में स्थापित करने के लिए प्रस्ताव किया है । इन सभी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा रहा है ।

ट्रैक्टरों का आयात

4701. **श्री मलाइछामी** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने ट्रैक्टरों का आयात किया जायेगा ; और

(ख) क्या आयातित ट्रैक्टरों पर कोई अतिरिक्त शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव है, जो देश में बने हुए ट्रैक्टरों के मूल्यों के बराबर करने की दृष्टि से एक बार स्थगित कर दिया गया था ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) सामान्यतः यह अनुमान लगाया गया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में लगभग 1,50,000 पहियेदार किस्म के कृषिगत ट्रैक्टर चाहियें। इस अवधि में देशी उत्पादन के लगभग 1,16,000 होने की आशा है जिसमे कुल उपलब्धि में कमी प्रकट होती है । यह अनुमान लगाना कठिन है कि आयात के द्वारा कितनी कमी पूरी हो जायगी क्योंकि आयात विदेशी मुद्रा की उपलब्धि पर निर्भर करता है ।

(ख) जी, नहीं ।

दक्षिण रेलवे में बिजली की व्यवस्था करना

4702. **श्री मलाइछामी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में दक्षिण रेलवे के मद्रास-तिरुचिरापल्लि तथा मद्रास-आर्कोनम रेलवे सेक्शनों में बिजली की व्यवस्था की जायेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो उनमें बिजली की व्यवस्था करने का कार्य कब आरंभ होने की संभावना है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ): (क) और (ख): चौथी पंचवर्षीय योजना में दक्षिण रेलवे के मदरास-आरकोणम खंड पर बिजली की गाड़ी चलाने के प्रश्न की छान बीन की जा रही है।

दक्षिण रेलवे में मदरास से विल्लुपुरम तक के मीटर लाइन खंड पर 25 के वी ए सी प्रणाली की बिजली लगाई जा चुकी है। विल्लुपुरम से तिरुचिरापल्लि तक बिजलीकरण का विस्तार करने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जायेगा जबकि आवश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करने का औचित्य होगा।

डिंडीगुल-गुडालूर रेलवे लाइन

4703. श्री मलाइछामी : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या प्रस्तावित डिंडीगुल-गुडालूर रेलवे लाइन का जिसका कई बार सर्वेक्षण किया जा चुका है, निर्माण कार्य चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारम्भ करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान नयी रेलवे लाइनें बनाने के प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप देना है। लेकिन, धन और साधन की सीमित मात्रा के कारण, ऐसा लगता है कि इस लाइन को इतनी पर्याप्त प्राथमिकता नहीं मिल पायेगी कि इसे रेलों की चौथी योजना में शामिल किया जा सके।

रेलगाड़ी में एक मृत महिला का पाया जाना

4704. श्री किन्दर लाल : **श्री राम हरख यादव :**

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 4 अप्रैल, 1966 को जब 117 अप कानपुर-कासगंज सवारी गाड़ी कासगंज रेलवे स्टेशन (उत्तर रेलवे) पर रुकी तो उसके प्रथम श्रेणी के एक डिब्बे में खून में लथपथ एक युवती का शव पाया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) और (ख) : जी हां। 1-4-1966 (न कि 4-4-1966 को) लगभग 21.45 बजे जब एक कैरेज क्लीनर पूर्वोत्तर रेलवे के कासगंज स्टेशन पर 117 अप सवारी गाड़ी के पहले दर्जे के डिब्बे की सफाई कर रहा था, तो उसने एक औरत की लाश देखी, जिसकी गर्दन में एक छुरा घुसा हुआ था। इसकी सूचना कासगंज की सरकारी रेलवे पुलिस को दे दी गयी, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन मामला दर्ज कर लिया है। खबर मिली है कि मृत औरत के पति ने एटा के जिलाधीश की अदालत में आत्म-समर्पण कर दिया है। अभी मामले की छानबीन की जा रही है।

राष्ट्रीय निर्यात नीति

4705. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वाणिज्य** मंत्री 4 मार्च, 1966 के तारांकित प्रश्न संख्या 374 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित राष्ट्रीय निर्यात नीति को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) नीति की मोटी रूपरेखा तैयार की जा चुकी है । आगामी अधिवेशन में एक संकल्प संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखने का प्रस्ताव है ।

(ख) विकास और रक्षा के लिये जरूरी आयात को आवश्यकताओं के संदर्भ में जो चौथी योजना की अवधि में अत्यधिक बनी रहेंगीं और सम्भाव्य वास्तविक विदेशी मुद्रा की उपलब्धि को ध्यान में रखते हुए, निर्यात उपार्जन, अर्थव्यवस्था के विकास की क्षति निश्चित करने में निर्णायक तत्व रखेगा । इसके लिये अधिक व्यापक प्रयास की आवश्यकता है ताकि तीसरी योजना अवधि में लगभग 3810 करोड़ रुपये के अनुमानित कुल निर्यात की तुलना में चौथी योजना अवधि के लिये निर्धारित निम्नतम 5,100 करोड़ रु० का निर्यात लक्ष्य प्राप्त किया जा सके । इस लक्ष्य की उपलब्धि की पूव शत नीचे दी जाती हैं ।

(1) अपनी परम्परागत निर्मित वस्तुओं के लिये निर्यात बाजारों को अन्य निर्यातकों से पड़ती हुई प्रतिस्पर्धा के मुकाबले में बनाए रखना पड़ेगा । इसके लिये लागत में कमी, किस्म में सुधार और उग्र विपणन की आवश्यकता है ।

(2) कृषि गत वस्तुओं के अपने निर्यात में वृद्धि करने के लिये, जिसमें भी हमें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, हमें उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि, लागत में कमी और किस्म में सुधार के अतिरिक्त घरेलू उपयोग पर प्रतिबंध रखने की आवश्यकता है ।

(3) खनिजों के निर्यात में विस्तार के लिये न केवल उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है वरन यह भी निश्चय किया जाना है कि परिवहन और बंदरगाह की सुविधाओं में सुधार हो और लागत घटाई जाय ।

(4) नवीन निर्मित वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिये सबसे अधिक महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि इस माल के लिये जो अपेक्षाकृत लाभदायक घरेलू बाजार का आकर्षण है उसे रोका जाय । इसके लिये आर्थिक प्रोत्साहन के साथ साथ, लागत कम करने का आयोजित कार्यक्रम, किस्म में सुधार, मानवीकरण, पूर्ति की निर्बाधता इन वस्तुओं के सम्वर्द्धन के लिये चयनात्मक पहुंच, बाजार गवेषणा, उग्र विपणन आदि की आवश्यकता है ।

(5) न केवल व्यापारियों एवं निर्माताओं तथा केन्द्र और राज्य सरकारों की सभी शाखाओं में वरन सामान्य जनता एवं सभी राजनैतिक दलों में भी एक निर्यात भावना बनाने की आवश्यकता है । घरेलू कार्यवाही के अतिरिक्त, हमारे निर्यात लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिये, उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय वातावरण की भी आवश्यकता है । साथ ही अपनी व्यापारिक पद्धतियों एवं नीतियों के सम्बन्ध में हमें उचीला रुख अपनाने के लिये भी तत्पर होना चाहिये ।

रेलवे में सुरक्षा के उपाय

4706. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मानवीय असफलताओं के कारण होने वाली दुर्घटनाओं की गुंजाइश को कम करने के लिय रेलवे में कुछ नये सुरक्षात्मक उपाय किये जा रहे हैं और

(ख) यदि हां, तो इन उपायों का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) रेलों पर सुरक्षा सम्बन्धी जिन नवीनतम उपायों की व्यवस्था करने का विचार है उनमें ड्राइवरों की सतर्कता को जांच करने के लिए रेल इंजनों में चौकसी नियंत्रण यूनिट की व्यवस्था और और ड्राइवर सिगनलों की उपेक्षा न करें इसके लिए स्टेशनों के पहुंच सिगनलों पर स्वचल गाड़ी नियंत्रण प्रणालो को व्यवस्था शामिल है । स्थिति के अनुसार उन्नत प्रकार की आधुनिक सिगनल प्रणाली, जैसे रुट रिले अन्तर्पाश, स्वचल सिगनल प्रणाली और केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण की व्यवस्था की जा रही हैं ।

चाय बागान

4707. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में चाय बागानों के लिये आधुनिकीकरण/विकास ऋण देने के लिये कुल कितनी धन राशि नियत की गई थी और उस राशि में से इन प्रयोजनों के लिये इन बागानों को वस्तुतः कितनी धनराशि दी गई ; और

(ख) क्या इस ऋण सुविधा का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरे ी) : (क) चाय उद्योग को विकास/आधुनिकरण ऋण देने के लिए चाय बोर्ड दो प्रमुख योजनाएं चलाता है, अर्थात् (1) बागान वित्त योजना, (2) चाय मशीनें/सिंचाई उपकरण किराया खरीद योजना। इन योजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6192/66।]**

(ख) उद्योग द्वारा ऋण सुविधाओं का उपयोग पूर्ण रूप से किया गया है ।

Kalyan Railway Station

4708. Shri Baswant : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the amount provided in the railway budget for the year 1965-66 for the modernisation of the Kalyan railway station on the Central Railway ;

(b) the expenditure incurred during that period ; and

(c) when the work is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag ingh) : (a) There is no work named "Modernisation of Kalyan Railway Sta- on". However, an amount of Rupees five lakhs was provided in the railway udget for 65-66, for provision of an additional platform for suburban trains and other minor alterations in the passenger yard at Kalyan.

(b) Nil.

(c) Due to acute position of funds the scope of the work is under reappraisal.

[Flag Station between Titvala and Khadavli Stations

4709. Shri Baswant : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have received any application from the people for opening a flag station between Titvala and Khadavli stations on Bombay-Kasara Section of the Central Railway ; and

(b) if so, Government's reaction thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) Yes.

(b) The proposal was examined and could not be accepted for want of adequate justification.

Booking Offices at Thana Station

4710. Shri Baswant : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of third class tickets sold from Thana and Suburban stations of Bombay and the number of Third Class Booking Offices at both the places;

(b) whether the number of Booking Offices at these places is proportionately less;

(c) if so, whether, Government propose to increase the number of Booking Offices at these places; and

(d) whether any representations for opening more Booking Offices in Thana have been received and if so, the action taken thereon ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) A statement is attached. **[Placed in Library. See No. L.T.- 6193/66.]**

(b) and (c). The question of opening of additional booking windows at stations and the timings during which they should be kept open, are examined from time to time and additional facilities are provided wherever traffic warrants. 19 additional booking windows have been provided with effect from 1-2-66, at some suburban stations in Bombay area. In regard to the remaining stations, the matter is under examination and appropriate action will be taken.

(d) Yes, the matter is under examination.

स्कूटर तथा आटो साइकिल कारखाना

4711. श्री दी० चं० शर्मा : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री ओंकार लाल बेरवा : **श्री बड़े :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंच-वर्षीय योजना के दौरान देश में सरकारी क्षेत्रों में एक स्कूटर तथा आटो-साइकिल कारखाना स्थापित करने की योजना के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) उसके लिये कौनसा स्थान चुना गया है; और

(ग) कितनी राशि नियत की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) स्कूटर तथा आटो-साइकिलों के निर्माण के लिए सरकारी क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

इण्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता

4712. श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री स०मो० बनर्जी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के सम्बन्ध में परिसमापन कार्यवाही करने के सरकार के पहले निर्णय में परिवर्तन कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो नये निर्णय के क्या कारण हैं तथा कम्पनी के कार्य में स्थायित्व लाने तथा उसे सुव्यवस्थित करने के सम्बन्ध में अब क्या प्रस्ताव हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : मामला अभी विचाराधीन है ।

Putting on Fire of Railway Sleepers near Calcutta

4713. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that two sleepers on the rail track passing across a bridge near Krishna Nagar in District Nadia, 68 miles away from Calcutta were put to fire on the 8th April, 1966;

(b) whether it is also a fact that police found a tin of petrol, some jute and charcoal there;

(c) the loss of Railway property suffered thereby ; and

(d) whether Government have traced the miscreants; and if so, the action taken against them ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Yes.

(c) Rs. 90/- approximately.

(d) The Government Railway Police, Ranagnat have registered a case under Section 435 IPC, 128 Indian Railways Act and 41(5) D.I.R. which is under investigation. No arrests have so far been made.

Marble Deposits in Bundi District of Rajasthan

4714. Shri Hukum Chand Kachhavaiya : Shri Kindar Lal :
Shri Bade : Shri Vishwa Nath Pandey :

Will the Minister of **Mines** and **Metals** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that deposits of marble stone have been discovered in an area of about 10 square miles near Umar Gaon in Hindoli Tehsil of Bundi district in Rajasthan; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey) : (a) The marble reported from Umar Gaon, Bundi district, was first recorded by the Geological Survey of India in 1925-26. The deposits were further mapped in detail in 1964-65.

(b) The rock referred to as marble is essentially a dolomite and in places approaches a marble when it assumes a massive and fine-grained texture.

A few lenses of talc are also seen within the dolomite and some of these are worked near Bagwasa about 25 Km. south-west of Umar. In some places the band is siliceous.

The rocks show varying colours, mainly bluish grey, white and pink, and they occur in discontinous patches over a distance about 30 km from Sabalapura in the south to Umar and further north.

The band is up to 250 meters in thickness at some places.

Retrenchment of Railway Staff

4715. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether a complaint has been received from the Western Railway Workers Union, Sikar, that about 700 workers of lower category have been retrenched on that Railway; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

जगाधरी वर्कशाप स्टेशन का ठेकेदार

4716. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **रेलवे** मंत्री जगाधरी वर्कशाप स्टेशन के ठेकेदार को मिले मध्यस्थ निर्णय के बारे में 26 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1601 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन कार्यों तथा मदों के सम्बन्ध में मध्यस्थ निर्णय दिया गया था ;

(ख) क्या टेन्डर की शर्तों और विशिष्ट विवरणों को छोड़ कर काम करवाया गया था और क्या ऐसे असाधारण दावों की अनुमति देने के लिये किसी व्यक्ति को उत्तरदायी ठहराया गया है ;

(ग) क्या उसी ठेकेदार को कोई अन्य काम दिया गया है; और

(घ) क्या उसको दावों की ओर अधिक रकम दी गई है ?

रेलवे मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) जिन निर्माण कार्यों और 34 मदों के बारे में विवाचकों ने निर्णय दे दिये हैं, उनके नाम संलग्न विवरण (अनुबन्ध "क") मे दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 61 94/66।]** अक्टूबर, 1965 में चार और मदों (अनुबन्ध "ख") के विवाचन की मंजूरी दी गयी। इन मदों पर अभी निर्णय होना है ।

(ख) टेन्डर की शर्तों और विशिष्टियों के विरुद्ध कोई काम नहीं हुआ। लेकिन चूंकि कुछ विवाद-ग्रस्त मदों पर परस्पर समझौता न हो सका, इस लिए ठेके की शर्तों के अनुसार, उन्हें विवाचन के लिए भेजना पड़ा। अतः इस सम्बन्ध में किसी तरह की जिम्मेदारी ठहराने का सवाल नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) काम हो ही रहा था कि विवाचकों ने निर्णय दे दिया और उसे उस समय तक किये गये और आगे किये जाने वाले काम पर भी लागू कर दिया। मार्च, 1965 में उस समय तक किये गये काम के लिए ठेकेदार को 2.96 लाख रुपये का भुगतान किया गया। लेकिन ऐसा अनुमान है कि ठेकेदार द्वारा किये जाने वाले कुल काम के लिए उसे लगभग 3.20 लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

उत्तर रेलवे, नई दिल्ली का सेंट्रल अस्पताल

4717. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 22 जनवरी, 1966 के "वर्ल्ड रेलवे मैन वीकली" की ओर दिलाया गया है जिस पर छपा है कि उत्तर रेलवे के सेंट्रल अस्पताल मे एक कार्य निरीक्षक (इन्स्पेक्टर आफ वर्क्स) का उपचार नहीं किया गया जबकि उसकी हालत बड़ी गम्भीर थी;

(ख) भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सके इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कर्मचारियों द्वारा सेंट्रल अस्पताल के कुल कितने रेलवे डाक्टरों के विरुद्ध उन्हें ठीक तरह से न देखने के बारे में 1 जनवरी 1963 से 29 फरवरी, 1966 की अवधि में शिकायतें प्राप्त हुई थीं; और

(घ) इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) प्रकाशित समाचार में गलत तथ्य दिया गया था।

(ख) सवाल नही उठता।

(ग) इस अस्पताल में काम करने वाले डाक्टरों के खिलाफ इस अवधि में कुल 20 शिकायते मिली थीं।

(घ) ऐसी सभी शिकायतों की जांच की गयी और आवश्यकतानुसार समुचित कार्रवाई की गयी।

निहालगढ पर रेलगाड़ियों की टक्कर

4718. श्री राम हरख यादव :
श्री रामानन्द शास्त्री :
श्री किन्दर लाल :
[श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 अप्रैल, 1966 को सुलतानपुर-लखनऊ सवारी] गाड़ी निहालगढ स्टेशन पर शंटिंग कर रही एक माल गाड़ी से जा टकराई;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि रेलवे की जान और माल का कोई नुकसान हुआ है, तो कितना; और

(घ) क्या इस मामले में जांच का आदेश दे दिया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : 11-4-66 को लगभग 06.40 बजे जब सुलतानपुर-लखनऊ सवारी गाड़ी निहालगढ स्टेशन में दाखिल हुई, तो मालगाड़ी नं० एल-24 डाउन के इंजन से टकरा गयी । यह इंजन स्टेशन पर शंटिंग कर रहा था ।

(ग) किसी की मृत्यु नहीं हुई । रेल सम्पत्ति को लगभग 3,700 रु० की क्षति का अनुमान है ।

(घ) जी हां ।

Station Master Run over by Train

4719. **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukum Chand Kachhavaiya :
Shri Bade :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Assistant Station Master of Lodipur Bishanpur Railway Station on the Northern Railway was killed at Moradabad on the 10th April, 1966 after being run over by a goods train; and

(b) if so, the outcome of the enquiry conducted in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes. But the incident took place at about 01·19 hours on 8-4-66, at Lodipur Bishanpur Station and not at Moradabad.

(b) According to the Government Railway Police, Moradabad, who investigated the case, the death was due to the accident caused by the Goods train.

समस्तीपुर से बड़ी लाइन का विस्तार

4721. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर (पूर्वोत्तर रेलवे) से बड़ी लाइन को उत्तर की ओर आगे बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा चुका है; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है ?

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शाम नाथ) : (क) और (ख) : रेलवे बोर्ड इस बात पर विचार करता रहा है कि चौथी योजना में पूर्व की योजनाओं की अपेक्षा आमान-परिवर्तन का कुछ अधिक बड़ा कार्यक्रम शुरू करना पड़ सकता है । इसे ध्यान में रखते हुए इस बात का अध्ययन किया जा रहा है कि अमुक खंडों पर आमान परिवर्तन के लिए कितनी वित्तीय क्षमता और साधनों की जरूरत होगी । पूर्वोत्तर रेलवे में मोटर लाइन के समस्तीपुर-मुजफ्फरपुर-रक्सौल और समस्तीपुर-दरभंगा-रक्सौल ऐसे ही दो खंड हैं । फिर भी, ये अध्ययन केवल बहुत ही प्रारम्भिक किस्म के हैं । और अभी जारी है । इसलिए अभी से यह नहीं कहा जा सकता कि इन खंडों में से किसी पर या दोनों पर आमान परिवर्तन का काम शुरू किया जायेगा या नहीं और यदि किया जायेगा तो कब ।

सीमेंट पर से नियंत्रण हटाने की योजना

4722. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट पर से नियंत्रण हटाने की योजना के कार्यकरण की समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला है;

(ग) सीमेंट पर से नियंत्रण हटाने के समय से लेकर अब तक सीमेंट की सप्लाई तथा इस के स्टाक की स्थिति क्या है; और

(घ) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और जनता की मांग कहां तक पूरी की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (घ) : सीमेंट से कंट्रोल हटाने की योजना किस प्रकार से चल रही है इसकी जनवरी–फरवरी, 1966 के दो महीनों में समीक्षा की गई थी। जनवरी–मार्च, 1966 की तिमाही की समीक्षा भी की जा रही है। इन दो महीनों में अधिकांश राज्यों के लिए सीमेंट की पूर्ति में काफी सुधार हुआ है। बिहार, मध्य प्रदेश, मैसूर तथा केरल राज्यों में तो वस्तुतः सीमेंट की मांग में कमी आ गई है। आसाम राज्य के लिए परिवहन की कठिनाइयों के कारण पूर्ति में बाधाएं आई। मद्रास, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश तथा केन्द्रीय सरकार के एक दो मंत्रालय सीमेंट नियतन तथा समन्वयकारी संगठन द्वारा प्रस्तावित सीमेंट के अधिक परिमाण का उपयोग नहीं कर सके। सीमेंट नियतन तथा समन्वयकारी संगठन ने यह रिपोर्ट दी है कि जनता की मांग सामान्यतः सारे देश में काफी हद तक पूरी की गई है केवल दो एक राज्यों में परिवहन की कठिनाइयों के कारण उनकी समस्त मांग पूरी करने में बाधाएं रही हैं। सीमेंट के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हुई है। सीमेंट की पूर्ति न होने के कुछ मामलों की शिकायतें मिली हैं और इनकी सीमेंट नियतन तथा समन्वयकारी संगठन द्वारा जांच की जा रही है। इस प्रकार सरकारी विभागों की सीमेंट की मांग में कमी हो जाने तथा उसका उत्पादन बढ़ जाने के कारण सीमेंट से नियंत्रण हटाने की योजना पर इस वर्ष के पहले दो महीनों में संतोषजनक ढंग से कार्य हुआ है।

National Small Industries Corporation

4723. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have announced some concessions for the recruitment of persons belonging to scheduled castes to various categories of services; and

(b) if so, the number of employees belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other communities in Grades I, II, III and IV posts in the National Small Industries Corporation and the Indian Standards Institute?

The Minister of Industry (Shri Sanjivayya) : (a) Yes, Sir.

(b) The number of employees belonging to Schdeduled Castes, Scheduled Tribes and other communities in Grade I, II, III and IV posts in the Indian Standard Institution is given below :—

	Scheduled Castes	Scheduled Tribes	Other Communities
Grade I . .	1	..	153
Grade II . .	2	..	214
Grade III . .	..	..	327
Grade IV . .	27	..	116

As regards the National Small Industries Corporation Limited, the information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as it is received.

कोयले के मूल्य में परिवर्तन

4724. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री राम हरख यादव :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के मूल्य में परिवर्तन के सम्बन्ध में विचार करने के लिये कोई अध्ययन दल नियुक्त किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस के निर्देश पद क्या हैं; और

(ग) इस दल द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत कर देने की सम्भावना है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) जी, हां।

(ख) अध्ययन मण्डल के निम्न निर्देशपद हैं :—

(एक) कोयला मूल्य पुनरीक्षण समिति (1958) द्वारा निकाले गये लागत के आंकड़ों और सामान्यकों का वर्तमान स्थिति के अनुरूप तुलनात्मक अध्ययन करते हुए समिति की सिफारिशों को समीक्षा करना तथा कोयला उत्पादन के विभिन्न कारकों में प्रत्येक में हुई सम्भव लागत वृद्धि का विश्लेषण करना;

(दो) इस बात की जांच करना कि समय समय पर दी गई मूल्य वृद्धि ने कहां तक लागत की वृद्धि को निष्फल किया है;

(तीन) इस बात पर सिफारिश करना कि क्या कोयले कोक के मूल्य में किसी और वृद्धि की आवश्यकता है।

(ग) अध्ययन समूह को दो महीने की अवधि में सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया है।

राजस्थान का हवाई सर्वेक्षण

4725. श्री दी० चं० शर्मा :

श्री फिरोडिया :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलौह धातुओं की खोज तेजी से करने के उद्देश्य से राजस्थान, बिहार और आन्ध्र प्रदेश में हवाई सर्वक्षण करने के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास सम्बन्धी अमरीकी संस्था की सलाह से एक योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) हां, महोदय।

(ख) योजना के अनुसार वायव्य चुम्बिक, विद्युच्चुम्बिक तथा उत्स्फुलिंगन मानिक विधियों से वमानिक आपरीक्षण किया जाना है। इस आपरीक्षण द्वारा खनिजयुक्त खण्डों की स्थिति सुनिश्चयन होने पर नितल-भूभौतिकी कार्य किया जायगा जिसके उपरांत हीरक-संछिद्रण होगा। इस संकार्य में

लिये गये अयस्क के न्यादर्शों का तदर्थ विशेष रूप से स्थापित केन्द्रीय अनुसंधानशाला में विश्लेषण किया जायेगा। समस्त संकार्य संविद आधार पर एक अमरीकी इंजीनियरिंग फ़र्म द्वारा स्थापित होगा। आशा कि जाती है कि प्रारम्भ होने की तिथि से ढ़ाई वर्ष के समय में संकार्य पुरा हो जायगा तथा इसकी कुल लागत 253 लाख रु० होगी जिसमें 3.5 मिलियन डालर के प्रस्तावित अमरीकी ऋण से लिये गय 165 लाख रु० की विदेशी मुद्रा का अंश शामिल होगा।

(ग) निविदा–परिपृच्छा के प्रत्युत्तर में कई अमरीकी इंजीनियरिंग फ़र्मों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जो विचाराधीन हैं।

इस संकार्य के लिये आवश्यक भू-भौतिकी आंकड़े तथा अन्य पृष्ठवर्ती सूचना एकत्रित की जा चुकी है। भू-भौतिकी तथा अन्य नितल संकार्य के लिये चाहे जाने वाले सेविवर्ग की नियुक्ति कर दी गई है।

ऋण-समझौते पर हस्ताक्षर होते ही योजना को कार्यान्वित किया जायेगा।

म्योर मिल्स लिमिटेड, कानपुर

4726. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री मुहमद इलियास :
श्री दाजी :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री बूटा सिंह :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने म्योर मिल्स लिमिटेड, कानपुर को चलाने के लिये वचन दी गई 60 लाख रुपये की पूरी राशि अभी तक नहीं दी है;

(ख) यदि हां, तो इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण है; और

(ग) क्या यह मिल चालू हो जाने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : यह राशि स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा दी जानी है, सरकार द्वारा नहीं। 20 लाख रु० दिये जा चुके हैं और शेष राशि भी शीघ्र दे दिये जाने की आशा है। आशा है मिल शीघ्र काम करने लगेगा।

Missionary School in the Campus of Diesel Locomotive Works, Varanasi

4727. Shri Bal Krishna Singh :
Shri Raghunath Singh :
Shri Rajdeo Singh ;

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any Missionary school under the name "St. John School" is being run in the campus of Diesel Locomotive Works, Varanasi;

(b) whether the land for the school as also Government quarters for the teaching staff of the Missionary School have been allotted there ; and

(c) if so, the necessity for permitting a Missionary school and allotting the land and quarters of the factory when a High School was already being run there by the factory?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) Land for the School has been licensed to the School authorities and three Railway quarters have also been rented to the teaching staff as a temporary measure till the quarters under construction by the School authorities are ready.

(c) There was need for establishing an English medium school for the children of staff joining the Diesel Locomotive Works from various Railways and various linguistic areas. The High School run by D. L. W. is a Hindi Medium School established later.

Diesel Locomotives

4728. **Shri Bal Krishna Singh :**
Shri Raghunath Singh :
Shri Rajdeo Singh :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Diesel Locomotive Works, Varanasi has started producing diesel locomotives;

(b) if so, when this factory is to be declared a 'production establishment' in place of being a Project as at present and the reasons for not making this declaration so far;

(c) whether the staff of the said Locomotive Works has been declared [permanent; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) The construction stage of the project has not yet been completed entirely. The remaining work is expected to be completed by the end of 1966. Even at that stage all the Machinery & Plant required for the project are not expected to be received and installed. Also the building up of the staff strength is a gradual process and it will take quite sometime before the strength of the staff reaches the level required for full production.

It has not been the practice to clearly demarcate the stage at which a project becomes a production establishment. In fact, production is commenced as soon as it is possible to do so, even before the project is entirely completed.

(c) & (d). Action has been initiated in various Departments for sanctioning the permanent cadre. The staff will be confirmed after the permanent posts have been sanctioned.

Duping of Indian Businessmen by a Braizilian Firm

4729. **Shri Bade :** **Shri Onkar Lal Berwa :**
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : **Shri Prakash Vir Shastri :**

Will the Minister of **Commerce** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1190 on the 30th August, 1963 and state :

(a) whether the goods of Indian exporters seized by the Government of Brazil have been received back by the exporters ;

(b) if not, whether the Indian exporters have been given the amount of proceeds after auctioning those goods in Brazil ; and

(c) if so, the total amount so given and the loss sustained in foreign exchange as a result thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) to (c). Most of the parcels sent by the Indian exporters are still lying in the custody of the Brazilian Customs Authorities who are awaiting the outcome of an enquiry being conducted by the Brazilian Department of Posts & Telegraphs. The Brazilian party is also being prosecuted by the Government of Brazil for illegal importation of goods.

There has been practically no progress in this complicated and vexatious case in spite of our having taken up the matter at a very high level with the Brazilian Government.

We are continuing our efforts and are pursuing this case both here and through our Embassy in Brazil.

बैंकाक में ऐशियाई व्यापार मेला

4730. श्री फिरोडिया :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी शरद् ऋतु में बैंकाक में एशियाई व्यापार मेला होने वाला है;

(ख) क्या भारतीय प्राधिकारी भी उस मेले में भाग ले रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो किन किन विशिष्ट उद्योगों को उस मेले में भाग लेने की अनुमति दी जायेगी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग): 17 नवम्बर से 10 दिसम्बर, 1966 तक बैंकाक में इकाफे के तत्वावधान में प्रथम एशियाई अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला होना निश्चित हुआ है।

भारत ने निर्यातित उत्पादों, परम्परागत तथा अपरम्परागत दोनों के एक संयुक्त प्रदर्शन के आयोजन द्वारा भारत सरकार का मेले में भाग लेने का प्रस्ताव है। यह भी प्रस्ताव है कि इसमें आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रों में भारत की सफलताओं और इसकी निर्यात की बढ़ती हुई क्षमता का भी प्रदर्शन किया जाए। मेले में भाग लेने के लिये सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्रों के उद्योगों को निमन्त्रित किया जायेगा।

खनिजों का निर्यात

4731. श्री फिरोडिया : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित्तीय वर्ष में प्रमुख खनिजों के निर्यात से कुल कितनी विदेशी मुद्रा कमाई गई; और

(ख) किन किन मुख्य विदेशी बाजारों में उनका निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : गत वित्तीय वर्ष 1965-66 के 10 महीनों (अप्रैल-जनवरी) में प्रमुख खनिजों के साथ मुख्य विदेशी बाजारों को दिए गये उनके निर्यात से अर्जित विदेशी मुद्रा का मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है। इसके अनुसार फरवरी से मार्च का यह विवरण अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6195/66।]**

टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी द्वारा ऋण का भुगतान

4732. **श्री फिरोडिया** : क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मई, 1954 में उसके द्वारा टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दिये गये 10 करोड़ रुपये के विशेष ऋण के ब्याज सहित भुगतान के बारे में उक्त कम्पनी के साथ एक नया करार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य बातें क्या है और ऐसी अन्य कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनको सरकार ने ऋण दिया है और उनके साथ पुनः करार किया है; और

(ग) उन कम्पनियों ने कितनी प्रगति की है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) करार की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) मूलधन में से पांच करोड़ रुपये 1 फरवरी, 1966 अथवा उससे पूर्व लौटा दिये जाने हैं। इसकी अदायगी कर दी गई है।

(2) पांच करोड़ रुपये की बकाया रकम सात अर्द्ध-वार्षिक किस्तों में चुकायी जाएगी। पहली किस्त 31 मार्च, 1969 को देय होगी और आखरी 31 मार्च, 1972 को।

(3) विशेष अग्रिम पर 1 जुलाई 1958 से लेकर 31 मार्च 1961 तक की अवधि के लिए ब्याज छोड़ दिया गया है।

(4) 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च, 1965 तक की अवधि का ब्याज सात अर्द्ध-वार्षिक किस्तों में चुकाया जाएगा। पहली किस्त 31 मार्च 1969 को देय होगी और आखरी 31 मार्च 1972 को। 1 अप्रैल, 1965 से लेकर शेष विशेष अग्रिम पर समय समय पर चालू बैंक की दर से ब्याज लिया जाएगा। ब्याज हर छः महीनों के बाद दिया जाएगा। इसी प्रकार का एक विशेष अग्रिम इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को दिया गया था परन्तु उनके साथ संशोधित समझौते पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने से पूर्व ही उन्होंने 10.18 करोड़ रुपये के विशेष अग्रिम में से 5.18 करोड़ रुपये दे दिये हैं।

(ग) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी के साथ बातचीत चल रही है और ऐसी आशा है कि संशोधित समझौते पर शीघ्र ही हस्ताक्षर हो जाएंगे।

तांबे और सीसे के प्रद्रावक (स्मैलटर)

4733. **श्री फिरोडिया** : क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर, 1965 में आस्ट्रेलिया और भारत के बीच हुई बातचीत के परिणामस्वरुप भारत में तांबे और सीसे के प्रद्रावक (स्मैलटर) स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिये एक तकनीकी समिति नियुक्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) समिति के मुख्य कार्य क्या होंगे तथा वह कब तक अपना प्रतिवेदन दे देगी ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): (क) विषय अभी भी विचाराधीन है ।

(ख) समिति निर्माण के उपरांत ही उसके कार्य तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अवधि पर निर्णय किया जायेगा ।

गैस-सिलिंडर फैक्टरी

4734. श्री जसवन्त मेहता : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी तक किसी गैस सिलिंडर फैक्टरी में उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है हालांकि बहुत पहले उन्हें लाइसेंस दिये गये थे;

(ख) हैवी गैस सिलिंडर बनाने के लिये कितनी राशि के लाइसेंस दिये गये हैं;

(ग) विदेशी सहयोग वाले कितने लाइसेंस दिये गये;

(घ) क्या यह सच है कि विदेशी सहयोग बिना और देशी सामान से ही ऐसी गैस सिलिंडर बनाने के सम्बन्ध में एक कम्पनी की पेशकश स्वीकार नहीं की गई; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा देशी उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) तरल पेट्रोलियम गैस सिलिंडरों के निर्माण के लिए स्वीकृत योजनाओं में से दो में उत्पादन हो रहा है ।

(ख) और (ग) : अब तक सरकार द्वारा हाई प्रेशर गैस सिलिंडर बनाने की दो योजनाओं के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है जिनकी क्षमता 127,000 प्रतिवर्ष होगी किन्तु इन योजनाओं के लिये विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ।

(घ) और (ङ) : सरकार को पिछले दो या तीन वर्षों में इस तरह का कोई भी प्रस्ताव नहीं मिला है ।

तंतुक (स्टेपल फाइबर) का आयात

4735. श्री किशन पटनायक : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री मधु लिमये : **डा० राम मनोहर लोहिया :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 और 1965-66 में तंतुक का आयात करने के लिये बम्बई की कितनी मिलों को लाईसेंस दिये गये;

(ख) क्या यह सच है कि उन मिलों ने इन लाइसेंसों में संशोधन किये जाने के लिये आवेदन पत्र दिये थे, ताकि पोलिस्टर सूत भी उसमें शामिल किया जा सके;

(ग) क्या लाइसेंसों में यह संशोधन नियमों के विरुद्ध था तथा इस के लिये बम्बई के मधुसूदन गोरधनदास की फर्म ने जोर डाला था; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने सम्बन्धित मिलों/फर्म/अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है और यदि हां, तो क्या ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : (क) 1964-65 में बम्बई में 47 मिलों को और 1965-66 में 32 मिलों को स्टेपल रेशें के आयात के लिये लाइसेंस जारी किये गये थे।

(ख) इन कारखानों में से कुछ के द्वारा लाइसेंसों में दिये गये माल की किस्म "गैर विस्कोस व्युत्पत्ति के स्टेपल रेशें—लम्बाई में 2 इंच से अधिक नहीं" से "गैर विस्कोस व्युत्पत्ति के स्टेपल रेशे—लम्बाई में 2 इंच से अधिक नहीं और/अथवा विस्कोस रेयन तन्तु और/अथवा संश्लेषित तन्तु और/अथवा पोलिनोसिक विस्कोस स्टेपल रेशे" में परिवर्तन सम्बन्धी संशोधन करने के लिये आवेदन पत्र भेजे गये थे।

(ग) तथा (घ) : जिस संशोधन की अनुमति दी गई वह नियमों के अन्तर्गत ठीक था, परन्तु एक शर्त यह थी कि लाइसेंस प्राप्त मिल तन्तु को निर्यात के लिये मिश्रित वस्त्र बनाने में उपयोग करें। मामले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है और जांच प्रतिवेदन के प्राप्त हो जाने पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

आसाम में कागज की लुगदी का उत्पादन

4736. श्री रा० बरुआ : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की करेंगे कि

(क) क्या उपूसी (नेफा) में वन सम्पत्ति के सम्बन्ध में किये गये प्रौद्योगिक आर्थिक सर्वेक्षण ने लट्ठे तैयार करने तथा कागज की लुगदी बनाने के लिये आसाम के दारंग जिले में बहुत से कारखाने स्थापित करने के बारे में सिफारिश की हैं; और

(ख) यदि हां, तो जो कारखाने तथा संस्थान स्थापित करने का विचार है, उनका ब्यौरा क्या हैं?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

आसाम मेल गाड़ी की दुर्घटना

4737. श्री पन्नालाल :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3 अप आसाम मेल 16 अप्रैल, 1966 को पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर उत्तर पारूखाना के निकट पटरी से उतर गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण जान और माल की कितनी हानि हुई;

(ग) दुर्घटना के क्या कारण थे; और

(घ) वर्ष 1966 के आरम्भ से पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे पर तोड़फोड़ की गति-विधियों के कारण कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दुर्घटना सामुकतला रोड और कामख्यागुड़ी स्टेशनों के बीच हुई थी।

(ख) इस दुर्घटना में 29 व्यक्तियों को चोटें आयीं। रेल-सम्पत्ति को लगभग 63,000 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

(ग) कलकत्ता स्थित रेलवे संरक्षा के अपर आयुक्त दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं।

(घ) 23-4-66 तक तीन दुर्घटनाओं के बारे में यह पता चला है कि वे तोड़ फोड़ के कारण हुई। दो अन्य मामलों के बारें में अभी छान-बीन की जा रही है; वैसे वे भी तोड़-फोड़ के कारण हुए मालूम पड़ते हैं।

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

उड़ीसा में अकाल की स्थिति और भूख से मृत्यु

Shri Kishan Pattnayak (Sambalpur) : Mr. Speaker, Sir, when will you take up the adjournment motion ?

Mr. Speaker : When a calling attention notice is taken up on a subject, adjournment motion on that particular subject cannot be taken up.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I beg to call the attention of the Minister of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon.

"Famine conditions and starvation deaths in Orissa".

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : श्री सुब्रह्मण्यम उपस्थित नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : वे किसी राजकीय कार्य से, जिसके लिये वे पहले वचन दे चुके थे, बाहर गये हुए हैं। वे मेरे पास आये और खेद व्यक्त किया तथा सभा से क्षमा-याचना मांगने के लिये कहा। मैंने कहा कि उनके द्वारा क्षमा-याचना के बारे में मैं सभा को सूचित कर दूंगा। उन्होंने सभा के नाम भी एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने लिखा है कि वे 28 और 29 तारीख को महाराष्ट्र में कृषि संबंधी विचार-गोष्ठी में भाग लेने तथा कुछ कुछ कृषि केन्द्रों में, जहां नई नीति का परीक्षण किया गया है, जाने के लिये वचनबद्ध है और अपनी अनुपस्थिति के लिये क्षमा याचना की है। राज्य मंत्री सरकार की ओर से उत्तर देंगे।

Some hon. Members : Mr. Speaker. (**Interruptions**)

अध्यक्ष महोदय : ये सब बातें कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जायेंगी।

(अन्तर्बाधा)*

*(Interruptions)**

श्री पें० वैकटासुब्बया (अडोनी) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत।

---

*सभा के कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की गई।

*Not recorded.

श्री पें० वेंकटासुब्बया : मैं तो यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या राज्य मंत्री सरकार की ओर से वक्तव्य दे सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : वे सरकार की ओर से वक्तव्य दे सकते हैं। इस मामले में बात यह थी कि मंत्री महोदय ने स्वयं यहां पर वचन दिया था इसलिये यह कहा गया कि उन्हें उपस्थित होना चाहिए था लेकिन उन्होंने जो स्पष्टीकरण दिया है मैं समझता हूं कि वह उनकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण है।

Shri Madhu Limaye : It is clear from the letter of the hon. Minister that he has not gone out on a very important business. Are we going to accept his explanation ?

Shri Rameshwaranand (Karnal) **:** Mr. Speaker, Sir, will his visit solve the problem ?

Shri Bagri (Hissar) **:** The question of starvation deaths is very important one. It was discussed in the House the other day. The state Minister could attend to other business.

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : खाद्य मंत्री के इस अनुचित तथा अनुत्तरदायीपूर्ण व्यवहार के प्रति हम कड़ा विरोध प्रकट करते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : You had once observed that all the Ministers should be present here when the House is in session. If any Minister goes out when the House is in session it is a disrespect to the House.

Shri Rameshwaranand : What is the good of sitting here ? I leave the House.

(इसके पश्चात् श्री रामेश्वरानन्द सभा से उठकर चले गये।)

(Shri Rameshwaranand left the House.)

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : यह ठीक है कि उड़ीसा के कुछ भागों में कमी की स्थिति है। योजना आयोग के सलाहकार के नेतृत्व में एक केन्द्रीय दल ने फरवरी, 1966 में उड़ीसा का दौरा किया था और उन्होंने अन्य बातों के साथ साथ यह सूचना दी कि वास्तविक समस्या राहत सम्बन्धी कार्य स्थापित करने की थी जिससे गांव वालों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो ताकि वे खाद्यान्नों को खरीद सकें जोकि उचित मूल्य की दुकानों पर उचित मूल्यों पर उपलब्ध थे। राज्य सरकार ने 6744 राहत सम्बन्धी कार्य स्थापित कर दिये हैं और उपलब्ध अन्तिम आंकड़ों के अनुसार 3,80,000 व्यक्ति इन कार्यों पर काम कर रहे हैं।

स्थिति यह है कि इस कठिन वर्ष में भी राज्य में खाद्यान्नों की उपलब्धि इतनी है जिससे लोगों को उचित स्तर तक खाद्य सुलभ किया जा सकता है। राज्य सरकार के पास आन्तरिक अधिप्राप्ति से अप्रैल के मध्य तक एक लाख मीटरी टन से भी अधिक स्टाक उपलब्ध था। इस में से 15,000 मीटरी टन स्टाक विशेष गाड़ियों द्वारा प्रभावित जिलों को भेजा गया है। अतः उड़ीसा को केन्द्र से चावल भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है और न ही उड़ीसा ने चावल सप्लाई करने की मांग की है। केन्द्र उड़ीसा को गेहूं का आवंटन कर रहा है और इस वर्ष गेहूं के आवंटन में पर्याप्त वृद्धि कर दी गयी है। अब तक अप्रैल, 1966 के अन्त 53,700 मीटरी टन का आवंटन कर दिया गया है जब कि 1965 में सप्लाई की गयी कुल मात्रा 67,300 मीटरी टन थी। मई में और वृद्धि कर यह मात्रा 22,200 मीटरी टन नियत की गयी है।

गेहूं के सामान्य आवंटन के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने बूढ़े, निर्बल और काम न कर सकने वाले अन्य व्यक्तियों में मुफ्त बांटने के लिए उड़ीसा को 2,000 मीटरी टन गेहूं नियत किया है। इस उद्देश्य के लिए 3,000 मीटरी टन की एक और मात्रा नियत की जा रही है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने बूढ़े, निर्बल और छोटे बच्चों जोकि इन कमी सम्बन्धी राहत कार्यों पर काम कर मजदूरी नहीं कमा सकते हैं, में मुफ्त बांटने के लिए प्रत्येक खण्ड मुख्यालय को भी 10 क्विंटल चावल नियत किया है। उड़ीसा को जनसंख्या के जरूरतमन्द लोगों अर्थात् गर्भवती तथा दूध पिलाने वाली महिलाओं और 0--14 वर्ग की आयु के बच्चों के लिए 3,600 मीटरी टन दुग्धचूर्ण भी नियत किया गया है। जब और दुग्धचूर्ण प्राप्त होगा तब उड़ीसा को दुग्धचूर्ण की और मात्रा भी नियत की जा सकती है। बन्दरगाहों से 1000 मीटरी टन दुग्धचूर्ण भेजा जा चुका है। 175 मीटरी टन बिस्कुट और लगभग 10 लाख मल्टी विटामिन की गोलियां भी नियत की गयी है।

कमी सम्बन्धी राहत कार्यों के लिए वित्तीय सहायता के रूप में वर्ष 1965-66 के लिए 45 लाख रुपये की एक राशि मंजूर की गयी है। वर्ष 1966-67 के लिए राज्य सरकार को खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति हेतु एक करोड़ रुपये का एक अर्थोपाय ऋण भी दिया गया है। एक करोड़ रुपये की अन्य राशि ऋण के रूप में स्वीकार की गयी है जिससे राज्य सरकार और राहत सम्बन्धी कार्य स्थापित कर सके।

योजना आयोग के सलाहकार की अध्यक्षता में अधिकारियों का एक दल राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का मई के आरम्भ में दौरा करेगा। यह दल यह निर्धारण करने के लिए कि कितनी केन्द्रीय सहायता अपेक्षित होगी, इस क्षेत्र में चल रही स्थिति का नये सिरे से अंदाजा लगाएगा और उठाये जाने वाले कदमों के बारे में सुझाव देगा।

उड़ीसा के राज्यपाल के आरोपित वक्तव्य कि उन्होंने यह देखा था कि दो बच्चों को उनके मां-बाप ने त्याग दिया और मां-बाप द्वारा अपने बच्चे बेचने की सूचनाएं मिली हैं, के बारे में उड़ीसा सरकार से पूछ-ताछ करने पर मालूम हुआ है कि राज्यपाल ने प्रेस को ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया था। राज्यपाल ने अपने दौरे के दौरान कालाहांडी जिले में भेला गांव के अनाथालय का दौरा किया था। इस अनाथालय में रहने वालों में दो अनाथ और 68 अन्य बच्चे थे जिन्हें उनके मां-बाप ने अस्थायी तौर पर वहां पर रखा था जोकि राहत सम्बन्धी कार्यों पर या मुफ्त सहायता प्राप्त करने के लिए गए हुए थे।

उड़ीसा सरकार से समाचार पत्रों में प्रकाशित भुखमरी से हुई मौतों के आरोपों के बारे में रिपोर्ट मांगी गयी है। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि कालाहांडी, बोलनगीर, धनकनाल, सम्बलपुर और कटक जिलों में भुखमरी से 19 व्यक्तियों की हुई मौतों के बारे में विशिष्ट आरोप प्राप्त हुए थे। उड़ीसा सरकार ने इस सभी मामलों की जांच-पड़ताल की और ये रिपोर्टें सही नहीं पायी गयी हैं।

Shri Madhu Limaye : Dr. Ram Manohar Lohiya had raised the question of defining starvation deaths. Mr. Speaker, Sir, I shall like to draw your attention to the ruling of the Speaker of Orissa Assembly wherein he defined starvation death as "death due to superimposed ailments caused by malnutrition and undernourishment". I shall request the hon. Speaker to endorse this ruling. Next I shall urge upon Government to define starvation death and take full responsibility for such death and take steps to avoid deaths on this account in future.

श्री रंगा (चित्तूर) : क्या सरकार इस निर्णय को स्वीकार करते है या नहीं ?

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : उड़ीसा के उपमंत्री ने स्वयं यह स्वीकार किया था अपोषण के कारण 9 व्यक्तियों की मृत्यू हुई। अब वे यह कैसे कह सकते हैं कि भूख से कोई व्यक्ति नहीं मरा ?

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय देना कि कौनसी मृत्यु भूख कारण है, मेरा काम नहीं है।

Shri Madhu Limaye : You may give your ruling later on.

Mr. Speaker : I cannot give such a ruling as to what deaths are starvation deaths.

श्री गोविन्द मेनन : ध्यान दिलाने वाली सूचना उड़ीसा में अकाल की स्थिति तथा भूख से मृत्यु के बारे में है। यह सच है कि वहां अकाल की स्थिति है और सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का मैं उल्लेख कर चुका हूँ। भूख से मृत्यु के बारे में उड़ीसा सरकार से प्राप्त जानकारी भी मैं दे चुका हूँ। एक-दो दिन में ही हम इस विषय पर रिपोर्ट देने के लिये एक दल भेजने वाले हैं जिसके प्रधान योजना आयोग के सलाहकार होंगे।

Shri Madhu Limaye : I would request the hon. Prime Minister to speak on behalf of Government.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Will the hon. Minister kindly lay on the Table a copy of the new famine code and give the date of scrapping of the old code and application of new one ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कई बार उठाया जा चुका है। यदि कोई अकाल संहिता है तो उसकी एक प्रति सभा पटल पर रख दी जाये ताकि यह मामला हमेशा के लिये समाप्त हो जाये।

श्री गोविन्द मेनन : बहस का उत्तर देते समय खाद्य तथा कृषि मंत्री ने बताया था कि अकाल संहितायें राज्य सरकारें बनाती है। उन्होंने इस विषय पर विस्तृत जानकारी दी थी तथा उदाहरण भी दिये थे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय यह बतायें कि ब्रिटिश राज्यकाल में कोई केन्द्रीय संहिता थी अथवा उस समय केवल प्रादेशिक संहितायें थी ?

श्री गोविन्द मेनन : प्रादेशिक संहितायें थी।

अध्यक्ष महोदय : केन्द्रीय संहिता नहीं थी ?

श्री गोविन्द मेनन : मुझे तो ऐसा ही मालूम है।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : एक केन्द्रीय अकाल संहिता थी।

अध्यक्ष महोदय : यदि राज्यों ने प्रादेशिक संहिताओं में कोई संशोधन किये हैं, तो उन्हें सभा पटल पर रख दिया जाये ताकि सदस्यों को मालूम हो जायें।

श्री गोविन्द मेनन : ऐसा कर सकते हैं।

Dr. Ram Manohar Lohia : Mr. Speaker, Sir, I want to raise a privilege issue against the hon. Minister as he has mislead the House by concealing the factual position.

Mr. Speaker : We are at present discussing the call attention notice. Privilege issue cannot be raised now in this manner leaving the business under discussion. You can, however, put supplementaries.

Shri Kishen Pattnayak : Kalahandi, Bolangir and Sambalpur Districts are worst affected by famine. Will the Food, Agriculture, and Community Development Minister kindly confirm that eight or ten lakhs of people of these Districts have to take *Mahua* flowers as food, which is taken by bulls ?

Shri Bagri (Hissar) : Let it be placed on the table.

Mr. Speaker : The hon. Member should put questions.

Shri Kishan Pattnayak : People of Dambha Panchayat come from long distances to get rice from the only rice shop in the area and stay till late in the evening but they do not get any rice.

Mr. Speaker : The hon. Member is not putting any questions. It should not be recorded.

Shri Kishan Pattnayak : **Sarvodaya Sangh, Bharat Sewak Samaj and other relief associations have opened a number of free food distribution centres. I want to know wnere are the parents and husbands of the orphan children and widows lodged in these centres ?

Mr. Speaker : In spite of my requests the hon. Member has not put questions. This can not go on endlessly. I cannot allow him to speak further.

Shri Bagri : It is a very serious matter.

Mr. Speaker : Whatever is put forward from your side is serious and whatever I say is wrong.

Shri Bagri : This matter concerns the whole country.

Mr. Speaker : I cannot allow it.

Shri Madhu Limaye : Mr. Speaker, the reply to the honourable Members' question may please be allowed to be given. He has resumed his seat now.

Dr. Ram Manohar Lohia : Please allow the reply to be given.

Mr. Speaker : What reply can I ask for when they go on lecturing for ten minutes and more ?

Shri Kishen Pattnayak : It may be a "lecture" for you, but it is a matter of famine for the people.

श्री रघुनाथ सिंह : वह अध्यक्ष महोदय का अपमान कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : अपमान की भी सीमा होती है । मैं माननीय सदस्य से बार बार मना कर रहा हूं ।

Shri Kishen Pattnayak : The Honourable Minister should state the number of orphaned children in these *Ashrams*.

**सभा के कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

**Not recorded.

संसद-कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि माननीय सदस्य श्री किशन पटनायक को सत्र की शेष अवधि के लिये सभा की सेवा से निलम्बित कर दिया जाए।" (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसको सभा के कार्यवाही-वृत्तान्त में शामिल न किया जाए (**व्यवधान**) क्योंकि मैं ने उनका नाम नहीं लिया है। निलम्बन प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

श्री भागवत झा आजाद : मैं इसके विरोध में सभा का त्याग करता हूं।

(इसके पश्चात श्री भागवत झा आजाद सभा से उठकर चले गये।)
(Shri Bhagwat Jha Azad then left the House.)

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : माननीय मंत्री को नियमों की जानकारी होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जबकि मैं इतने धैर्य से कार्य कर रहा हूं दूसरे पक्ष को भी सब्र से काम करना चाहिये। माननीय सदस्य जिस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं वह एक संसद सदस्य को शोभा नहीं देता। इस तरह कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। मान-मर्यादा का ध्यान रखना भी आवश्यक है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभा को स्थिति की गम्भीरता का पता नहीं है। इस मामले पर दो अथवा तीन घंटे के लिये चर्चा होनी चाहिये। सरकार चावल उड़ीसा से बाहर भेज रही है। अतः लोगों को चावल नहीं मिल रहा है और वे भूख से मर रहे हैं। वहां गेहूं भेजा जा रहा है। यह बिलकुल ठीक है कि वहां लोग मर रहे हैं। कांग्रेस के समाचार पत्र में चित्र प्रकाशित हुआ है कि एक बच्चे को एक रुपये में बेचा गया है। एक या दो बच्चों को सड़क से भी उठाया गया है।

मैंने राज्यपाल के वक्तव्य के बारे में कहा था परन्तु कहा गया है कि राज्यपाल ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है। राज्यपाल ने रायपुर में पत्रकारों से भेंट की है। वह उस भेंट की रिपोर्ट है। जब ऐसा हो रहा है तो सदस्यों पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। सरकार कहती है कि भूख से कोई मृत्यु नहीं हुई है परन्तु जब सरकार ने भूखमरी की व्याख्या ही नहीं की है तो सरकार किस प्रकार यह कह सकती है कि भूख से कोई मृत्यु नहीं हुई है? भूतपूर्व शिक्षा-मंत्री ने कहा था कि वह दो या तीन ग्रामों में गये थे और उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि वहां लोग मरे थे। प्रधान मंत्री तथा खाद्य मंत्री के वहां जाने से पहले सैंकड़ों लोग मर जायेंगे। जब चावल मिल रहा है तो वह अन्य राज्यों को क्यों भेजा जा रहा है? लाखों लोगों को भोजन नहीं मिल रहा है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : स्थगन प्रस्ताव को लिये जाने की अनुमति दी जाये।

Mr. Speaker : To behave like this is no remedy for it.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : खाद्य मंत्री ने आप को भेजे गये अपने पत्र में कहा है कि उड़ीसा के राज्यपाल ने कोई वक्तव्य नहीं दिया है परन्तु यह ठीक है कि वक्तव्य दिया गया था। राज्यपाल ने कहा था कि कालाहांडी में विशेषरूप से गम्भीर अकाल की स्थिति है और दो अनाथ बच्चों को उठा कर अनाथालय भेजा गया था। पत्रकारों से भेंट के दौरान यह भी कहा गया था कि लोगों ने मजबूर होकर बच्चों को बेचा था। खाद्य मंत्री उड़ीसा के लिये शीघ्र ही रवाना होने की बजाय प्रधान मंत्री के साथ वहां जाने की क्यों प्रतीक्षा कर रहे हैं? क्या इस से यह स्पष्ट नहीं होता कि खाद्य मंत्री विषय की महत्वता को नहीं समझ पा रहे हैं?

श्री गोविन्द मेनन : इस बारे में कि उड़ीसा के कुछ भागों में खाद्यान्न की कमी है तथा वहां अकाल जैसी स्थिति है, माननीय सदस्यों तथा सरकार के बीच कोई मतभेद नहीं है। तथ्यों की जानकारी के लिये सरकार सिवाय इसके कि उड़ीसा सरकार से पूछे और क्या कर सकती है? वहां से प्राप्त तथ्यों का उल्लेख वक्तव्य में कर दिया गया है। मैं कह चुका हूं कि अफसरों का एक उच्चस्तरीय दल एक दो दिन में वहां भेजा जायगा। खाद्य मंत्री ने भी कहा है कि वह भुखमरी वाले क्षेत्रों का शीघ्र ही दौरा करेंगे। इस के अतिरिक्त मैं कह चुका हूं कि अकाल से पीड़ित लोगों की सहायता के लिये धन भेजे जाने की पूरी कोशिश की जायगी। माननीय श्री द्विवेदी ने कहा है कि चावल उड़ीसा राज्य से बाहर ले जाया जा रहा है परन्तु यह सत्य नहीं है। वहां पर्याप्त मात्रा में चावल मिल रहा है परन्तु समस्या यह है कि चावल खरीदने के लिये रुपया नहीं है। इसीलिये सहायता कार्यों की व्यवस्था की जा रही है। राज्यपाल ने भी कहा है कि केन्द्रीय सरकार से सहायता ली जा रही है। अभी हमारे पास कोई सूचना नहीं आई है फिर भी उड़ीसा सरकार को 2 करोड़ रुपया सहायताकार्य के लिये दे दिया गया है। काफी गेहूं भी उड़ीसा भेजा जा रहा है। यदि और अधिक भेजे जाने की आवश्यकता होगी तो सरकार उसके लिये तैयार रहेगी। सरकार को भी उतनी ही चिन्ता है कि अकाल जैसी स्थिति को शीघ्र ही दूर किया जाय।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : चूंकि माननीय मंत्री ने कहा है कि योजना आयोग का एक दल उस क्षेत्र में दौरा कर रहा है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उस दल ने पीड़ित लोगों की संख्या तथा उनको होने वाली क्षति के बारे में और केन्द्रीय सरकार से कितनी सहायता की आवश्यकता है के बारे में कोई रिपोर्ट दी है? राज्यपाल के वक्तव्य में कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार से 10 करोड़ रुपये की सहायता आनी चाहिये। केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा राज्य को सहायता देने के सम्बन्ध में क्या निश्चय किया है और कितनी सहायता दी जायगी?

श्री गोविन्द मेनन : खाद्यान्न अर्थात् गेहूं और रुपये के रूप में सहायता दी जा चुकी है। राज्यपाल के अनुसार और अधिक सहायता की आवश्यकता है। उड़ीसा सरकार का सहायता के लिये कोई अनुरोध केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। केन्द्रीय सरकार ने अपनी जानकारी के वित्त पर ही दो-एक दिन में एक दल भेजने का निश्चय किया है ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि और कितनी सहायता की आवश्यकता है।

अन्य राज्यों के बारे में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। उड़ीसा राज्य के बारे में पूरी जानकारी विवरण में दी जा चुकी है। अभी राज्य सरकार की रिपोर्ट भी आनी है। अकाल-ग्रस्त जिलों की सहायता के लिये जो कुछ सम्भव हो सकेगा किया जायगा।

मैंने भूख से मरने अथवा अपोषण की बात नहीं कही है। कुछ मृत्युओं के बारे में आरोप लगाये गये थे और उड़ीसा सरकार द्वारा जांच करने पर पता चला है कि वे गलत थे। अब एक दल दो-एक दिन में जाने वाला है। उड़ीसा के माननीय सदस्य उसके सामने तथ्य रख सकते हैं। आवश्यकता होगी तो सरकार और आगे कार्यवाही करेगी।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : इसके बावजूद कि पिछले नवम्बर में मैंने अनावृष्टि के सम्बन्ध में चर्चा आरम्भ करते हुए कहा था कि अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न होगी, सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की है। सरकार की भ्रष्ट तथा क्रूर नीति के कारण इस अकाल को मानव-कृत कहा जायगा। राज्यपाल कुछ भी कहें परन्तु बच्चे एक-एक रुपये में बेचे जा रहे हैं। इस सम्बन्ध में चित्र मौजूद हैं।

सामाजिक कार्य-कर्ती श्रीमती रामा देवी ने कहा है कि लोग वृक्षों की जड़े व पत्ते खा रहे हैं, और जो लोग सहायता कार्य में लगे हुए हैं उन्हें 50 पैसे प्रति दिन से अधिक नहीं मिल रहा है। सहायता कार्य के लिये दिये गये रुपये का 63 प्रतिशत ठेकेदारों की जेब में जा रहा है।

श्री गोविन्द मेनन : मैं कालाहांडी के माननीय सदस्य की चिन्ता को भली-भाँति समझता हूं । सरकार को भी उतनी ही चिन्ता है । मैं उन से सहमत हूं कि उस क्षेत्र में अकाल जैसी स्थिति है । लेकिन यह गलत है बच्चों को बेचा गया है । इस सम्बन्ध में दल जांच करेगा । यदि किसी बच्चे को मां अन्य किसी व्यक्ति को दे रही है तब भी फोटो लिया जा सकता है ।

श्री प्र० के० देव : माननीय मंत्री को पहले तथ्यों की पुष्टि करनी चाहिये । इस प्रकार किसी तथ्य को झूठा नहीं बताना चाहिये । चूंकि सब तथ्य ठीक निकले हैं, इस स्थगन प्रस्ताव को मंजूर किया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को उनके अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया है, वह बैठ जायें ।

श्री प्र० के० देव : यह चर्चा नहीं है बल्कि चर्चा का मजाक उडाया जा रहा है । इसका विरोध प्रकट करते हुए मैं सभा का त्याग करता हूं ।

(इसके पश्चात् श्री प्र० के० देव सभा से उठकर चले गये ।)
(Shri P. K. Deo then left the House.)

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) **:** In the 'Hindustan Times' of day before yesterday, a member of the Orissa Vidhan Sabha is said to have stated that 17 people died from starvation. Will Government instruct the team to investigate into these 17 starvation deaths, along with that member of the Vidhan Sabha ?

श्री गोविन्द मेनन : दल को भेजने का एक यह भी ध्येय है जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है । वहां की वास्तविक स्थिति की जांच की जायगी और रिपोर्ट आने पर उचित कार्यवाही की जायगी ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) **:** Has Government assessed the number of those **Adiwasis** and **Harijans** who have migrated to other areas from fear of famine ?

श्री गोविन्द मेनन : सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है कि लोग क्षेत्रों को खाली करके चले गये हैं । यदि माननीय सदस्य इस बारे में सरकार को जानकारी दें तो उसपर विचार किया जायगा ।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व) **:** उड़ीसा से चावल पश्चिमी बंगाल को भेजा जा रहा है । अब माननीय मंत्री ने भी यह मान लिया है कि उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में अकाल स्थिति है । जब बंगाल की खाद्य-स्थिति के बारे में चर्चा हुई थी तो क्या केन्द्रीय सरकार अथवा उड़ीसा सरकारने यह नहीं अनुमान लगाया था कि उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में अकाल जैसी स्थिति है । उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल एक दूसरे से मिले हुए हैं । अत: उड़ीसा में भी आज कमी है । सरकार इन दोनों राज्यों के संकट को किस प्रकार दूर करने का विचार कर रही है ?

श्री गोविन्द मेनन : माननीय सदस्य का वक्तव्य बिलकुल सही नहीं है । पहले उड़ीसा व पश्चिमी बंगाल एक ही चावल क्षेत्र में थे । अब दोनों राज्य अलग अलग क्षेत्रों में हैं । अत: उड़ीसा से बंगाल को चावल का अबाध व्यापार नहीं है । उड़ीसा से दूसरे राज्यों को चावल नहीं भेजा जा रहा है ।

सरकारी दल जा रहा है और मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे यदि जानकारी रखते हों तो उसे दल के सामने रखें ।

श्री बूटा सिंह (मोगा) : माननीय मंत्री हम लोगों को अपने अफसरों की रिपोर्ट पढने के लिये क्यों कह रहे हैं जबकि वह सत्य नहीं होती ?

श्री गोविन्द मेनन : माननीय सदस्य उड़ीसा की स्थिति के बारे में अपनी जानकारी तथा साक्ष्य को दल के सामने रखें।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं समझा था कि माननीय मंत्री ने सभा को यह बताया था कि वह कुछ अफसरों को भेज रहे हैं जो यह पता लगायें कि और क्या किया जा सकता है। आरम्भ में हम यह नहीं समझे कि वह योजना आयोग के सदस्य के नेतृत्व में एक तथ्यों की जांच करने वाला आयोग उस समय भेजा जा रहा है जबकि ऐसी परिस्थितियां हैं। अब वह चाहते हैं कि सदस्य आयोग के सामने तथ्य रखें। क्या तथ्यों को आयोग के सामने रखने के लिये सदस्यों को उड़ीसा जाना चाहिये ? इस आयोग से माननीय मंत्री का सही मतलब क्या है ?

श्री गोविन्द मेनन : यह दल वास्तविक स्थितियों के बारे में रिपोर्ट देगा, उन क्षेत्रों में लोगों की कठिनाइयों का सही अनुमान लगायेगा और यह बतायेगा कि अब और क्या किया जा सकता है। सरकार का विचार यह नहीं है कि वहां एक संसदीय समिति भेजी जाये।

श्री प० ह० भील (दोहद) : वहां सहायता सम्बन्धी कार्यकर्ताओं को क्या मजूरी दी जा रही है ?

श्री गोविन्द मेनन : सामान्य मजूरी का 80 या 90 प्रतिशत दिया जा रहा है। **(व्यवधान)**

श्री कपूर सिंह (लुधियाना) : जब यह बात सर्वविख्यात है कि उड़ीसा फालतू चावल क्षेत्र है और चावल वहां के लोगों का मुख्य भोजन है, सरकार वहां से चावल बाहर क्यों भेज रही है ?

श्री गोविन्द मेनन : उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में चावल की स्थिति का अनुमान लगाया था और उड़ीसा सरकार ने ही फालतू चावल को केन्द्रीय "पूल" को भेजा था।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर चर्चा के लिये मांग की जा रही है। मैं सदन के नेता से बात कर के सदन को सूचित करूंगा।

सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

केरल भूमि अधिन्यास नियम आदि मे संशोधन

प्रतिरक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : श्रीमान्, मैं निम्न सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल सरकार भूमि अधिन्यास अधिनियम, 1960 की धारा 7 की उप धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचना की एक एक प्रति, जिनके द्वारा केरल भूमि अधिन्यास नियम, 1964 में कतिपय संशोधन किये गये :—

(एक) एस० आर० ओ० संख्या 23/66 जो दिनांक 1 फरवरी 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था।

[श्यामधर मिश्र]

(दो) एस० आर० ओ० संख्या 36/66 जो दिनांक 8 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 6188/66।]**

(2) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल भूमि स्वच्छता अधिनियम, 1957 की धारा 13 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना एस० आर० ओ० संख्या 35/66 की एक प्रति, जो दिनांक 8 फरवरी, 1966 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा भूमि स्वच्छता नियम, 1958 में एक संशोधन किया गया। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6189/66।]**

सभा का कार्य

BUSINESS OF THE HOUSE

संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : आपकी अनुमति से, मैं यह बताना चाहता हूं कि 3 मई, 1966 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) कल के सरकारी कार्यक्रम की किसी अवशिष्ट मद पर विचार।

(2) केरल राज्य के सम्बन्ध में जो उद्घोषणा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत जारी की गई थी उसकी अवधि को 6 मास और बढाने के लिये गृह-मंत्री के प्रस्ताव पर चर्चा।

(3) वर्ष 1966-67 के केरल राज्य के बजट पर सामान्य चर्चा।

(4) वर्ष 1966-67 के लिये केरल बजट की अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान।

अगले सप्ताह में दो छुट्टियां हैं। हमारे लिये केवल 12 घंटे हैं। 10 घंटे वित्त विधेयक पर सामान्य चर्चा ही ले लेगी। केवल 2 घंटे बचेंगे। हम केवल दो अनियत दिन वाले प्रस्ताव—एक पंजाब के पुनर्गठन तथा दूसरा एकाधिकार आयोग के बारे में—लेंगे।

Shri Onkar Lal Berwa : Social Security must be taken up.

श्री सत्य नारायण सिंह : 2 घंटे से अधिक समय मिलना असम्भव है। यह सब से लम्बा सत्र है। हमने गैर-विधायी कार्य पर अधिक समय लिया है जिस से कई मंत्रालयों की मांगों पर 'मुखबन्द' किया जायगा। इस पर भी मैं ने दो अनियत दिन वाले प्रस्तावों के लिये वचन दिया था। अब नये सुझाव को देखते हुए यह निश्चय करना है कि पंजाब पुनर्गठन अथवा एकाधिकार आयोग अथवा उड़ीसा पर चर्चा में से किन विषयों को चुना जाए।

Shri Onkar Lal Berwa (Kotah) : There should be a discussion on the Report of the Scheduled Castes Commission Report.

Shri Satya Narayan Sinha : No old report is pending. The Report received on the 12th cannot be taken up here. It is for this reason that I am going to have the next session earlier than usual and a longer one, too.

Shri Tan Singh (Barmer) : Reports of last three years have been pending for discussion.

Shri Onkar Lal Berwa : The 1963 Report has not so far been discussed.

Shri Satya Narayan Sinha : My information is correct. I will check it up.

Shri Onkar Lal Berwa : The 1963-64 Report is still pending.

Shri Satya Narayan Sinha : May be so. But there are three at present. The Orissa matter is also there. I will consult you and reply after considering the matter.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : पंजाब और उड़ीसा के मामलों पर अभी चर्चा होनी चाहिये। एकाधिकार कमीशन पर बाद में चर्चा हो जाये। जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है दो घंटे अभी बाकी हैं। हम इस विषय को ले सकते हैं।

श्री सत्य नारायण सिंह : मैं तैयार हूं। तीनों में से जिन दो के लिये आप निश्चय कर, हम ले सकते है।

श्री रंगा (चित्तूर) : एकाधिकार आयोग पर चर्चा को स्थगित कर दिया जाये और उसके स्थान पर आज उड़ीसा के मामले पर चर्चा की जाये।

अध्यक्ष महोदय : तीन विषयों में से दो पर चर्चा की जा सकती है। किन दो विषयों पर सभा चर्चा करना चाहेगी ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : एकाधिकार आयोग पर चर्चा होनी चाहिये, क्योंकि हमने इस संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव रखा था, परन्तु उसको स्वीकार नहीं किया गया था। इसलिये हम इसपर चर्चा के लिये अनुरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा एक सुझाव है कि सभा के नेता के साथ बैठ कर इस बात का फैसला कर लिया जाये कि शेष समय में किन किन विषयों पर चर्चा की जाये।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरा सुझाव है कि 2 बजे सभी मांगों पर चर्चा बन्द कर दी जाये और सारी मांगें पास कर दी जायें और औपचारिकतायें पूरी होने के बाद गृह-कार्य मंत्री एक घंटे के लिये बोलें।

Shri Sheo Narain (Bansi) : There should be no question hour during the extended period of this session and Scheduled Castes Report and Monopoly Commission Report should be taken up in the time thus saved.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा सुझाव है कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के कार्य को अगले शुक्रवार तक के लिये स्थगित कर दिया जाये और इस प्रकार जो समय बचे उसमें गृह-कार्य मंत्रालय तथा सामाजिक कल्याण मंत्रालय की मांगों पर चर्चा की जाये। मेरा विनम्र अनुरोध है कि राष्ट्रीय हित में सभा शनिवार, 7 मई को बैठने का निर्णय करे।

गत शुक्रवार को आपने राज्य सभा के सभापति की सहायता से जो निर्णय किया था उसके बारे में सुनने में आया है कि उस विषय को फिर से उठाया जा रहा है। उससे पीछे हटना संविधान के अपमान करने के बराबर है। मुझे आशा है इस विषय में आपने जो कुछ कहा था वह अन्तिम बात रहेगी और संयुक्त समिति द्वारा राज्य-सभा के प्राक्कलनों के परीक्षण के विषय को फिर से नहीं उठाया जायेगा।

मेरा अगला सुझाव यह है कि बजट सत्र की अवधि कम से कम $3\frac{1}{2}$ महीने रखी जाये अन्यथा इससे राष्ट्र का हित न होगा।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : May I know whether the Banaras Hindu University Amendment Bill will be taken up during this Budget Session ?

Mr. Speaker : He has already stated that it can be taken up.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Apart from Orissa they are prepared to take up two more motions. In the last session the discussion was not concluded on the motions regarding Vigilance Commission and Retrenchment in Engineering Factories. That should be completed in this session.

Shri Prakash Vir Shastri (Bijnor) : Sir, in the last session you had promised that the discussion on Indo-Pak Conflict would be taken at some other opportune time. That promise should be fulfilled now.

Mr. Speaker : Now the Home Minister.

श्री शिवचरण गुप्त (दिल्ली सदर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । कल मैंने कहा था कि दिल्ली के सदस्यों को गृह-कार्य मंत्रालय से संबंधित मामलों पर बोलने की अनुमति नहीं दी जाती । इस पर सभापति महोदय ने कहा कि मैं अपने स्थान पर नहीं था । मेरा निवेदन है कि मैं अपने शुरु से आखिर तक सभा में ही था । अतः सभापति महोदय का कहना सही नहीं है ।

श्री मोहम्मद कोया (कोजीकोड़) : हमें चर्चा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई । कोई जबाब नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : कोई जबाब नहीं ।

श्री मोहम्मद कोया : हम आपसे इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं करते थे । मैं गृह-कार्य मंत्री को सूनना नहीं चाहता ।

(इसके पश्चात श्री मोहम्मद कोया सभा से उठ कर चले गये ।)

(Shri Mohammed Koya then left the House.)

सामान्य आयव्ययक—अनुदानों की मांगे—(जारी)

GENERAL BUDGET—DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

गृह-कार्य मंत्रालय—जारी

गृह-कार्य मंत्रालय की मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
44	86	श्री प्रिय गुप्त	आठवी कक्षा की शैक्षिक योग्यता वाले सुपात्र चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को विभागीय पदोन्नति देकर भरे जाने के लिये केन्द्रीय सचिवालय में अवर श्रेणी लिपिको के बीस प्रतिशत पर रक्षित करने की आवश्यकता ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
44	87	श्री प्रिय गुप्त	पहले से रिक्त पदों पर, सहायकों और अनुभाग अधिकारियों की पदालि में संघ लोक सेवा आयोग से प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा लिये गये कर्मचारियों की भूतलक्षीय प्रभाव से वरिष्ठता निर्धारित करने की पद्धति समाप्त करने की आवश्यकता ।	100
44	88	श्री प्रिय गुप्त	अवर श्रेणी लिपिकों के 50 प्रतिशत पदों को उच्च श्रेणी लिपिकों के पदों में परिवर्तित कर के केन्द्रीय सचिवालय में अवर श्रेणी लिपिकों की पदालि में उन्नतिरोध समाप्त करने की आवश्यकता ।	100
44	89	श्री प्रिय गुप्त	केन्द्रीय सचिवालय में उन सभी पदों को स्थायी पदो में परिवर्तित करने और उन पदों पर कार्य कर रहे पात्र उम्मीदवारों को स्थायी बनाने के लिये कार्यवाही करने की आवश्यकता जो गत तीन वर्ष से लगातार बने हुये हैं ।	100
44	90	श्री प्रिय गुप्त]	पदावनति को पंक्तिच्युत किये जाने के समान समझने और पदावनति के मामलों में अनुच्छेद 311 के यही सिद्धान्त लागू करने की आवश्यकता ।	100
44	91	श्री प्रिय गुप्त	राजपत्रित अधिकारियों की तीन श्रेणियां रखने की प्रथा समाप्त करने के निर्णय सहित विभिन्न समितियों की सिफारिशें और विनिश्चय लागू करने के लिये प्रभावी कार्यवाही न करना ।	100
44	92	श्री प्रिय गप्त	55 वर्ष की आयु के पश्चात् मनमाने ढंग से सेवा-निवृत्त करने और सेवाकाल में वृद्धि करने के बारे में केन्द्रीय सरकार की सिब्बन्दियों में भेदभाव ।	100
44	93	श्री प्रिय गुप्त	संयुक्त परामर्शदात्री व्यवस्था को अन्तिम रूप देने का मनमाना ढंग ।	100
44	94	श्री प्रिय गुप्त	केन्द्रीय सचिवालय कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिकों के सभी रिक्त स्थान भरने की आवश्यकता ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
44	95	श्री प्रिय गुप्त	विशेष पुलिस संस्थान में प्रतिनियुक्त रेलवे कर्मचारिओं को पदोन्नति के अवसर देने के बारे में संथानम समिति और कृपलानी समिति की शिफारिशें और गृह मंत्रालय की हिदायतें कार्यान्वित करने के लिये प्रभावी कार्यवाही न करना।	100
44	96	श्री प्रिय गुप्त	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिये न्यूनतम आवश्यकता आधारित मजूरी संबंधी सरकारी निर्णय के प्रसंग में वेतन क्रमों और सेवा शर्तों को सुधारने पर विचार करने के लिये एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने की आवश्यकता।	100
44	97	श्री प्रिय गुप्त	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के काम करने के घंटों का पुनरीक्षण करने और उन्हें घटाने की आवश्यकता।	100

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : यह वर्ष एक ऐसा वर्ष था जिसमें हमें अभूतपूर्ण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और हमें संतोष है कि हमारा देश इन कठिनाइयों में से सफलतापूर्वक गुजरा। कल श्री बदरुद्दजा ने थोड़े से समय जिस कदर जहर उगला उसको देख कर में आश्चर्यचकित रह गया.....

श्री बदरुद्दजा (मुर्शिदाबाद) : आपने लोकतन्त्र को कुचला है।

श्री नन्दा : आपने पाकिस्तान के प्रति अपना प्रेम दिखाया है और इस देश के मुसलमानों के प्रति घोर अन्याय किया है।

श्री बद्रुद्दजा : यह सब मनघड़न्त है।

श्री नन्दा : भगवान का शुक्र है कि इस देश में अधिक बदरुद्दजा नहीं है अन्यथा यह देश साम्प्रदायिकता की आग में जल जाता।

श्री बदरुद्दजा : आपने साम्प्रदायिक तथा धार्मिक आधार निर्दोष लोगों को जेल में डाला है।

श्री नन्दा : इस देश में मुसलमानों को पूरी सुरक्षा और स्वतन्त्रता है। इस देश के सार्वजनिक जीवन में, सेना में, पुलिस में और अन्य ऊंचे स्थानों पर भी एक बड़ी संख्या में मुसलमान हैं। हमारी सेना में परमवीर चक्र से भी एक मुसलमान भाई को ही सुशोभित किया गया है।

माननीय सदस्य ने मुसलमान जाति की जिन शिकायतों का उल्लेख किया है वे धर्म अथवा सम्प्रदाय पर आधारित नहीं हैं। इस प्रकार की शिकायतें हिन्दुओं और अन्य सम्प्रदायों की भी इस प्रकार की अपनी अपनी शिकायतें हैं। इन शिकायतों का कारण यह है कि यह देश एक गरीब देश है और इससे जिन बातों की आशा की जाती हैं उन सब को पूरा नहीं किया जा सकता। श्री बदरुद्दजा ने कहा इन अठारह वर्षों में अंग्रेजों के समय से अधिक पुलिस द्वारा गोली चलाई गई। क्या मेरे माननीय मित्र भूल गये हैं कि बंगाल के दुर्भिक्ष में लाखों व्यक्ति मर गये थे। और यहां हमने पूरा भोजन न मिलने से हुई सन्दिग्ध मृत्यु के बारे में चर्चा की है। आज लोग स्वतन्त्र हैं। उन दिनों किसी को इस प्रकार की स्वतन्त्रता नहीं थी। उस समय लोगों को कोई मूलभूत अधिकार नहीं दिये गये थे।

इस देश की बागडोर अब तक महात्मा गांधी, पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी के हाथ में रही है। क्या इनके बारे में कोई कह सकता है कि इन्होंने साम्प्रदायिक एकता के लिये अपने आप को समर्पित नहीं कर दिया था? चाहे हिन्दु साम्प्रदायिक वाद हो चाहे मुसलिम साम्प्रदायिक वाद हो सब को राष्ट्र विरोधी समझा जाना चाहिये। साम्प्रदायिक वाद से राष्ट्र कमजोर होता है।

जहां तक आपात का संबंध है हम चाहते हैं कि आपात को यथाशीघ्र पूर्ण रूप से समाप्त किया जाये। हम सीमावर्ती क्षेत्रों के बारे में सोच रहे हैं। ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र जहां पर राष्ट्र की एकता को भय है। मेरा अर्थ है वास्तविक वर्तमान भय अथवा निकट भविष्य में होने वाला भय। जिस दिन भी वह भय समाप्त हो गया या कम हो गया उसी दिन से देश के किसी भी भाग में आपात को न कानूनी रूप में रहने दिया जायेगा और न वास्तव में। मिजो के पहाड़ी जिलों में विद्रोह से हमारा सामना है। उनका उद्देश्य भारतीय संघ से मिजो पहाड़ी क्षेत्र को लेना है। एक विदेशी ताकत ने मिजो विद्रोहियों को हथियारों की सहायता दी है। आज भारत प्रतिरक्षा नियमों की आवश्यकता है क्यों कि इसके बिना हमारे पास कोई और साधन नहीं रह जायेगा। बहुत सी बातें हैं जो केवल भारत प्रतिरक्षा नियमों की विशेष शक्तियों के अन्तर्गत ही की जा सकती हैं। यदि दोनों ओर के सदस्य मिलकर फैसला करें और हमें मना सकें कि आपात को पूर्ण रूप से समाप्त करने से देश के हितों की सुरक्षा की जा सकती है तो सरकार आपात को समाप्त करने में ढील नहीं करेगी।

सीमा पर वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपात को जारी रखना आवश्यक है। प्रस्ताव के अनुसार देश इस में से नौ भागों में आपात की उद्घोषणा लागू नहीं होगी। शेष भाग में यह केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रयोजन के लिये रहेगी।

देश में जो आन्दोलन हुए हैं और उनके परिणामस्वरूप जो हिंसात्मक घटनाएं हुईं उनके प्रति हम स्वभावतः चिंतित हैं। परन्तु हमें इनसे भयानक निष्कर्ष नहीं निकालने चाहियें। देश के आकार तथा वर्तमान असाधारण खाद्य स्थिति को देखते हुए ये कोई बड़ी बातें नहीं हैं। 1964 और 1965 के आंकड़ों की यदि हम तुलना करें तो हम देखेंगे कि यह अनुमान लगाना गलत है कि देश में हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।

ये जो हिंसात्मक कार्यवाहियां हुई हैं केवल कुछ शहरी क्षेत्रों में ही हुई हैं और वहां पर भी थोड़े ही समय में सामान्य स्थिति लौट आई। अधिकारियों को सम्पूर्ण स्थिति पर काबू पाने में कोई कठिनाई नहीं आई। धीरे धीरे लोग यह अनुभव करने लगे हैं कि इस प्रकार की कार्यवाहियों का समर्थन करना उनके हित में नहीं हैं।

इस देश को विकास की राह पर चलना है और उसमें इस प्रकार की कठिनाइयां भी सामने आती हैं। सरकार की कुछ त्रुटियां रही हैं जिनका विरोध किया गया है। एक लोक तन्त्र में विरोध

[श्री नन्दा]

को सहन किया जा सकता है परन्तु हिंसा को नहीं। हम सबको मिलकर एक ऐसी व्यवस्था निकालनी चाहिये जिसके द्वारा जनता हिंसा को सहारा लिये बिना अपनी शिकायतों को सरकार के सामने रख सके।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : संविधान के अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत आपात की उद्घोषणा करने की शक्ति केवल केन्द्र को ही प्राप्त है न कि राज्य सरकारों को। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने मुख्य मंत्रियों से परामर्श किया था। इससे केन्द्र की शक्ति कमजोर होती है। यह एक गम्भीर मामला है और मैं इसका उत्तर चाहता हूं कि इस मामले में मुख्य मंत्रियों का परामर्श क्यों लिया गया।

श्री नन्दा : मैं अपने भाषण का शेष भाग सभा-पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा कटौती प्रस्ताव संख्या 24 मतदान के लिये रखा गया।
Cut-motion No. 24 was put to the vote of the House.

सभा में मत विभाजन हुआ। / *The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 41; विपक्ष में 122/*Ayes 41; Noes 122.*

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।/*The Cut-motion was negatived.*

अध्यक्ष महोदय द्वारा अन्य सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/
All the other Cut-motions were put to the vote of the House and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा गृह-कार्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुईं/*The following Demands of the Ministry of Home Affairs were put to the vote of the House and adopted* :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
44	गृह-कार्य मंत्रालय	4,40,85,000
45	मंत्रिमण्डल	49,92,000
46	क्षेत्रीय परिषदें	1,12,000
47	न्याय प्रशासन	2,75,000
48	पुलिस	27,40,02,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
49	जनगणना	83,33,000
50	अंक-संकलन . . .	3,01,80,000
51	भारतीय राजाओं की निजी थैलियां और भत्ते	1,50,000
52	दिल्ली . . .	21,80,75,000
53	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3,10,78,000
54	आदिम जाति क्षेत्र . .	12,96,89,000
55	दादरा और नगर हवेली क्षेत्र .	22,74,000
56	लक्षदीप, मिनीकोय और अमीनद्वीप समूह .	57,68,000
57	गृह-कार्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	3,51,66,000
128	गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	2,00,65,000

अध्यक्ष महोदय द्वारा समाज कल्याण विभाग, खान तथा धातु मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, अणुशक्ति विभाग, संभरण और तकनीकी विकास मंत्रालय, संचार विभाग, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और लोक-सभा, राज्य सभा और उप-राष्ट्रपति के सचिवालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुई / *The following Demands in respect of Department of Social Welfare, Ministry of Mines and Metals, Department of Atomic Energy, Ministry of Supply and Technical Development, Planning Commission, Ministry of Finance and Lok Sabha, Rajya Sabha and the Vice President's Secretariat were put to the vote of the House and adopted:—*

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	समाज कल्याण विभाग	
106	समाज कल्याण विभाग	16,18,000
107	समाज कल्याण विभाग का अन्य राजस्व व्यय	2,95,20,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	शिक्षा मंत्रालय	
9	शिक्षा मंत्रालय .	68,95,000
10	शिक्षा .	38,03,20,000
11	पुरातत्व .	89,59,000
12	भारतीय सर्वेक्षण .	3,53,07,000
13	वनस्पति सर्वेक्षण .	25,63,000
14	जन्तु सर्वेक्षण . .	20,79,000
15	शिक्षा मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	10,58,93,000
115	शिक्षा मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	5,73,41,000
	खान तथा धातु मंत्रालय	
78	खान तथा धातु मंत्रालय .	14,33,000
79	भूगर्भ सर्वेक्षण	6,68,54,000
80	खान तथा धातु मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	7,61,99,000
135	खान तथा धातु मंत्रालय का पूंजी परिव्यय .	19,99,50,000
	उद्योग मंत्रालय	
58	उद्योग मंत्रालय .	35,69,000
59	उद्योग	3,09,02,000
60	नमक . . .	40,42,000
61	उद्योग मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	32,32,000
129	उद्योग मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	46,51,78,000
	अणुशक्ति विभाग	
98	अणुशक्ति विभाग	21,70,000
99	अणुशक्ति गवेषणा . .	11,74,37,000
144	अणुशक्ति विभाग का पूंजी परिव्यय .	43,40,42,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	सम्भरण और तकनीकी विकास मंत्रालय	
83	सम्भरण और तकनीकी विकास मंत्रालय .	56,13,000
84	सम्भरण और निपटान . . .	3,03,44,000
85	सम्भरण और तकनीकी विकास मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय .	45,75,000
	संचार विभाग	
100	संचार विभाग .	10,06,000
101	समुद्रपारीय संचार सेवा . .	1,79,82,000
102	डाक और तार विभाग (कार्य-चालन व्यय) . .	1,30,30,40,000
103	डाक-तार विभाग द्वारा सामान्य राजस्व में दिया जाने वाला लाभांश और राजस्व निधियों में विनियोग . . .	16,04,78,000
104	संचार विभाग का अन्य राजस्व व्यय .	25,49,000
145	डाक और तार का पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं) .	35,64,17,000
146	संचार विभाग का अन्य पूंजी परिव्यय	80,46,000
	योजना आयोग	
108	योजना आयोग	1,36,16,000
	वित्त मंत्रालय	
18	वित्त मंत्रालय .	2,07,08,000
19	सीमा-शुल्क .	4,58,32,000
20	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	11,22,15,000
21	निगम कर आदि सहित आय संबंधी कर	8,19,47,000
22	स्टाम्प	2,99,65,000
23	लेखापरीक्षा .	14,89,36,000
24	मुद्रा और सिक्का ढलाई	8,64,59,000

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
	वित्त मंत्रालय—क्रमशः	
25	टकसाल . . .	2,59,68,000
26	कोलार की सोने की खानें . .	3,82,65,000
27	पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ . .	4,32,57,000
28	प्रादेशिक और राजनीतिक पेंशनें	17,56,000
29	अफीम	63,51,000
30	वित्त मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . . .	55,68,14,000
31	राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को सहायक अनुदान	2,08,00,86,000
32	केन्द्रीय तथा राज्य और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों के बीच विविध समायोजन . .	28,93,000
33	विभाजन पूर्व की अदायगियां . . .	3,20,000
116	इण्डिया सिक्योरिटी प्रेस पर पूंजी परिव्यय	4,94,000
117	मुद्रा और सिक्का ढलाई पर पूंजी परिव्यय	13,69,60,000
118	टकसालों पर पूंजी परिव्यय . .	23,66,000
119	कोलार की सोने की खानों पर पूंजी परिव्यय	26,47,000
120	पेंशनों का राशिकृत मूल्य .	2,12,30,000
121	वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी परिव्यय . .	2,76,10,00,000
122	विकास के लिये राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों की सरकारों को दिये जाने वाल अनुदानों पर पूंजी परिव्यय . .	41,60,07,000
123	केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम	2,91,52,22,000
	लोक-सभा, राज्य-सभा और उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	
	(लोक-सभा)	
109	लोक-सभा . .	1,11,92,000
110	लोक-सभा का अन्य राजस्व व्यय	1,67,000
	(राज्य-सभा)	
111	राज्य-सभा . .	45,00,000
	(उप-राष्ट्रपति का सचिवालय)	
112	उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	2,16,000

राष्ट्रमंडल के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1311 के उत्तर में शुद्धि

CORRECTION OF ANSWER TO STARRED QUESTION NO. 1311 RE : COMMONWEALTH

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, under rule 389 you have given the direction that the correcting of a statement by a Minister can take two forms. One form is clearly mentioned under Direction No. 115, that I place before you and the House.

I think the secretary has included this items in the list of Business under Rule 16. These are two procedures to correct a mistake or inaccuracy in a statement made by a Minister. Firstly when a member writes to the speaker pointing out the particulars of the mistake and seeks his permission to raise the matter in the house, and if the member concerned places before you, Sir, the evidence in support of this allegation, then, if permitted, he raises the matter in the House first, and the Minister concerned then makes a statement in reply with your permission. The second way to correct such mistakes and inaccuracies is the initiative taken by the Minister himself giving to the Secretary the notice of his intention to make a statement under Rule 16. Now the point of order that I raise is if the Minister admitting his mistake gave to the secretary notice of his intention to make a statement under Rule 16, before I wrote to you pointing out the particulars of the mistake, he may be permitted to make his statement thereon. But as I suppose I invited your attention to this matter first, I may be permitted to make a statement under Rule 16 and the Minister may be asked to reply thereto.

The Minister of External Affairs in the course of supplementaries made two mistakes in one sentence stating that the head of the U.K. Government that is the queen certainly is not in any way the head of the Commonwealth ....She is the head of the U.K. Government......Thus he made the queen of the U.K. the head of the U. K. Government.

Mr. Speaker : Certainly I received his letter first and he drew my attention to it and I referred the matter to the hon. Minister. So far as I recollect, the Minister, after having received my letter, gave notice of his intention to make a statement theron and I permitted him to do so. The hon. Member has now pointed out the particulars of the mistake or inaccuracy that the queen of the U.K. is the head only of the U. K. State and that is all what he wanted to raise in the House.

वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : राष्ट्रमंडल के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 1311 पर श्री हरि विष्णु कामत द्वारा पूछे गये एक अनुपूरक प्रश्न के 25 अप्रैल, 1965 को दिये गये उत्तर में मैंने कहा था "ब्रिटिश सरकार की प्रमुख अर्थात रानी किसी प्रकार भी राष्ट्रमंडल की प्रमुख नहीं है...... वह ब्रिटिश सरकार की प्रमुख है लेकिन अन्य राष्ट्रमंडलीय देशों में उसकी बिलकुल भी प्रभुत्व अथवा पदस्थिति नहीं है......।"

जो वक्तव्य मैंने दिया उसमे ऐसी भावना पैदा हो सकती है कि रानी राष्ट्रमंडल की प्रमुख नहीं है। सही स्थिति यह है कि राष्ट्रमंडलीय देशों ने सम्मिलित राय से राष्टमंडलीय स्वतंत्र सदस्य राष्ट्रों के अबाध सम्बन्धों (फ्री एसोसिएशन) के प्रतीक के रूप में रानी को राष्ट्रमंडल का प्रमुख स्वीकार किया है। यह पदवी पूर्णतः प्रतीकात्मक है और स्वतन्त्र सर्वप्रभुतासम्पन्न गणतंत्रात्मक राज्यों पर, जैसा कि भारत है, इस पदवी का कोई सत्ताधिकार नहीं है।

नियम 357 के अन्तर्गत सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

PERSONAL EXPLANATION BY MEMBER UNDER RULE 357

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Sir, I would like to give personal explanation in regard to the Half-an-Hour discussion on "History of Mankind" on the 26th April, 1966 which I could not do then on account of paucity of time. I am very grateful to Shri Vinayak Purohit who in his book entitled "Bharatiya Kala" is commenting on the mistakes detected in the UNESCO publication "History of Mankind".

The question is not of Indian or foreign historians but one of approach the Russian historian, has offered his comments on two serious mistakes in the aforesaid book regarding foreign rule in Harappa and foreign inspiration in the architechure at Pataliputra. Dr. Majumdar has no doubt, commented on the mistake regarding Rigveda, but it is only an opinion, while now Kaushambi excavations have provided a definite proof. Kaushambi can in no circumstances be regarded as a part of Indus Valley Civilization. As being part of Vedic civilization, it dates back to 3500 B.C.

The art of history writing in India has suffered from maladies. The foreign historians right from Farishta to Smith, have regarded every conquest of India as inevitable and useful. All Indian historians follow in the foot steps of these foreign historians.

The question is not only of UNESCO publication. The book "1857" published by Government of India is even more distorted, incorrect and unclassical. The approach of Indian historians is similar to that of UNESCO historians though, these might be some difference in the matter of details. What we need today is historians who should not follow this beaten track.

शिक्षा मंत्री (श्री मु० क० चागला) : आधे घंटे की चर्चा का विषय एक पुस्तक थी जिसका नाम 'मैनकाइन्ड' है और जिसे यूनेस्को द्वारा स्थापित अन्तर्राष्ट्रीय आयोग ने प्रकाशित किया है। माननीय सदस्य डा० लोहिया ने अपने वक्तव्य के अन्तिम पैरा में "1857 भारत" के लेखक पर जो एक बहुत प्रख्यात विद्वान थे, गंभीर आक्षेप किया है जिसे मैं चुनौती दिये बिना नहीं रह सकता। माननीय सदस्य ने कहा है कि यह दूषित असत्य तथा अशास्त्रीय है। इस पुस्तक के लेखक डा० सेन हैं जो हमारे अभिलेखागार के प्रधान थे, वह दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी हुये थे। उन्हें इतिहास के प्रति उनकी सेवाओं के उपलक्ष में आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने सम्मानार्थ डाक्टर की उपाधि से विभूषित किया था। इतिहासकार में बौद्धिक स्वतंत्रता तथा सत्यनिष्ठा होनी जरूरी है। एक इतिहासकार से किसी एक विशेष ढंग में इतिहास लिखने के लिये नहीं कहा जाना चाहिये।

"1857 भारत" नामक यह पुस्तक भारत सरकार द्वारा प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक की प्रस्तावना मौलाना अबुल कलाम आजाद ने लिखी थी। इस प्रस्तावना के अनुसार लेखक को केवल एक सच्चे इतिहासकार के रूप में ही इस पुस्तक को लिखने के लिये कहा गया था। इसके अतिरिक्त यह सामान्य अनुदेश था कि उनके काम में हस्तक्षेप तथा उनके निष्कर्षों पर कोई प्रभाव न डाला जाये। घटनाओं के चयन तथा उनके विवेचन की जिम्मेदारी केवल लेखक की ही है। भारत सरकार किसी प्रकार भी उनके विचारों की अभिव्यक्ति के लिये जिम्मेदार नहीं है।

हमारे देश के एक प्रतिष्ठित इतिहासकार श्री मजूमदार का भी जो अभी जीवित है यही मत है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अपनी पुस्तक "डिस्कवरी ऑफ इंडिया" में यही विचार व्यक्त किये थे, जो डा० सेन ने अपनी इस पुस्तक में दिये हैं।

विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1966

APPROPRIATION (NO. 2) BILL, 1966

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी): श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ "कि वित्तीय वर्ष 1966–67 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1966–67 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted*

श्री शचीन्द्र चौधरी: श्रीमान्, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री शचीन्द्र चौधरी: श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :

"कि वित्तीय वर्ष 1966–67 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री रंगा (चित्तूर): देश की अर्थव्यवस्था के लिये व्यय में मितव्ययता की आवश्यकता है और फिजूलखर्ची को रोकने के लिये मांगों में कटौती करना जरूरी है। समूचे व्यय में, जिसकी सभा ने पहले ही स्वीकृति दे दी है, कम से कम 10 प्रतिशत मितव्ययता करने की गुंजाइश है।

इसलिये मैं वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उन्हें प्रतिरक्षा मंत्रालय की उन मदों को छोड़कर, जिनमें सामरिक महत्व के कुछ वस्तुओं के आयात का व्यय शामिल है, अन्य सभी अनुदानों में कम से कम मितव्ययता कटौती करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिये। आशा है कि वित्त मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों के सहयोग तथा प्रधान मंत्री के समर्थन से मितव्ययता सुनिश्चित ही नहीं करेंगे अपितु उसे कार्यरूप देना भी अपना मुख्य कर्तव्य समझेंगे और आगामी वर्ष में सरकारी खर्च के लिये स्वीकृत धनराशि में से कम से कम 300 करोड़ रुपये की बचत करेंगे।

श्री नाथ पाई (राजापुर): हमारे देश को यह एक और चुनौती है कि आगामी कुछ दिनों में चीन अपने तीसरे अणुबम का विस्फोट करेगा। आज हमारे सामने यह स्थिति है कि चीन जो इस देश को कमजोर करने के अपने रवैये को छिपा नहीं रहा है, अपने शस्त्रागार को बहुत ही घातक हथियारों से भरेगा। हमें केवल इसी तर्क का हवाला नहीं देना चाहिये कि हम हथियारों के फैलाव तथाकथित भय के कारण अणुबम नहीं बनायेंगे। आज जब कि इस मामले में अन्य देश आगे बढ़ रहे हैं, अधिक देर हो जाने के बावजूद भी, वित्त मंत्री को कम से कम अग्रिम अनुसंधान के लिये तो अधिक धनराशि की व्यवस्था करनी चाहिये। सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि देश की सुरक्षा तथा प्रतिरक्षा खतरे में न डाली जाये।

ईरान को हथियार मिलने की संभावना है जिन्हें वह पाकिस्तान को सप्लाई करेगा। सउदी अरब के शासक को भी ब्रिटेन से 30 करोड़ पौंड मूल्य के हथियार मिलने की संभावना है और उन्होंने स्पष्ट रूप से यह बता दिया है कि उनका देश कश्मीर के प्रश्न पर पाकिस्तान का समर्थन करेगा। इस संदर्भ में भी, सरकार को अपनी विदेशी नीति में आवश्यक सुधारात्मक परिवर्तन करना चाहिये।

श्री शिवमूर्ति स्वामी (कोप्पल) : देश की आर्थिक स्थिरता बहुत महत्वपूर्ण है और देश को अनाज के संबंध में आत्म-निर्भर बनाने तथा आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिये वित्त मंत्री को विकास प्रयोजनों के लिये अधिक धनराशि का नियतन करना चाहिये। कृषि प्रयोजनों के लिये केवल 6 प्रतिशत धनराशि नियत की गई है। आर्थिक स्थिरता केवल तभी लाई जा सकती है जबकि कृषि के लिये अधिक धनराशि की व्यवस्था की जाये। अतः कृषि तथा विकास प्रयोजनों के लिये उतनी ही धनराशि नियत की जानी चाहिये जितनी कि प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये की जाती है।

श्री पाराशर (शिवपुरी) : यद्यपि माननीय सदस्य, श्री रंगा के इन विचारों से मैं सहमत हूँ कि देश के खर्च में कुछ मितव्ययता की जानी चाहिये तथापि उनके इन शब्दों के प्रति अर्थात् "जिसमें प्रतिरक्षा की मदों को भी शामिल किया जाना चाहिये" मुझे भारी आपत्ति है। हम ऐसी स्थिति में पहुंच चुके हैं जहां हमें अपनी आँखें बन्द नहीं करनी चाहिये। हम चारों ओर से शत्रुओं से घिरे हुये हैं। वित्त मंत्री को प्रतिरक्षा सम्बन्धी खर्च में मितव्ययता नहीं करनी चाहिये।

श्री शचीन्द्र चौधरी : सरकार अर्थव्यवस्था के प्रति सावधान है। हम खर्च पर निगाह रखे हुये हैं और जहां खर्च करना आवश्यक है, वहां हम खर्च करते भी हैं। जिन-जिन मदों में संभव हो सकेगा, सरकार मितव्ययता करने का भरसक प्रयत्न करेगी।

सरकार की नीति परमाणु बम बनाने तथा अण्विक हथियारों के फैलाव करने की नहीं है किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्व में जो कुछ हो रहा है उसके प्रति हम सावधान नहीं है। समय ने बताया है कि हम अपनी शक्ति बनाये हुये हैं। परन्तु मैं इस सुझाव अथवा तर्क से सहमत नहीं हूँ कि इस शक्ति को बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि परमाणु बम तथा अण्विक हथियारों को बनाने के लिये हम अपने संसाधनों को बर्बाद करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1966–67 की सेवाओं के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों के भुगतान तथा विनियोग का अधिकार देने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र तथा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । / *The Motion was adopted.*

खंड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री शचीन्द्र चौधरी : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

"कि विधेयक को पारित किये जाये।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । / *The Motion was adopted.*

वित्त विधेयक, 1966
FINANCE BILL, 1966

वित्त मंत्री (श्री शचीन्द्र चौधरी) : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1966–67 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को कार्यान्वित करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्रीमान्, जनता, व्यापार संघों तथा अन्य सार्वजनिक निकायों से विधेयक के विशेष मामलों के बारे में प्राप्त विभिन्न अभ्यावेदनों तथा ज्ञापनों का अध्ययन करने के बाद मूल प्रस्तावों में परिवर्तन करने और उन्हें मुक्तिसंगत बनाने के लिये कुछ उपाय किये गये हैं । इन प्रस्तावित संशोधनों से आय-व्ययक में पहले ही दिखाये गये घाटे में कुछ और वृद्धि होगी ।

व्यक्तिगत आय पर कर के बारे में वित्त विधेयक में एक प्रस्ताव यह था कि ऐसी आय की सीमा में जिसपर कर न लगे 500 रुपये की वृद्धि की जाये । अविभक्त हिन्दू परिवार के मामले में 6,000 से बढ़ा कर 6,500 रुपये और अन्य अनिगमित करदाताओं के मामले में 3,000 रुपये से बढ़ा कर 3,500 रुपये कर दिया गया है । यद्यपि उस अग्रेतर रियायत से राजस्व में लगभग 30 लाख रुपये की हानि होगी । तथापि इससे कम आय वाले वर्ग के लगभग 20,000 और व्यक्तियों को कर से छूट मिल जायेगी ।

वार्षिकी जमा योजना को अधिक सरल बनाने के लिये निश्चित तिथि तक जमा कराने की शर्त हटाई जा रही है ताकि जमा कराने वाले व्यक्ति वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी इच्छा के अनुसार राशि जमा करा सकें । इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल, 1967 से निर्धारण वर्ष 1967–68 के सम्बन्ध में जमा में किसी कमी के सम्बन्ध में वसूली बाध्य नहीं होगी ।

इसके अतिरिक्त इस उपबन्ध को हटाया जा रहा है जिसके अनुसार वार्षिकी जमा खाते खोलने का विकल्प है और अब वह उल्लिखित दर के हिसाब से उच्चतम सीमा तक अपनी इच्छानुसार उतनी राशि जमा करा सकेगा जितनी वह चाहें । ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिसकी आय 25,000 रुपये से अधिक नहीं है, तथा ऐसे व्यक्ति के मामले में भी, जिसकी आयु 70 वर्ष से अधिक हो, दाण्डिक कर के लिये कोई दायित्व नहीं होगा ।

उन व्यक्तियों के मामले में, जिनकी कुल आय 25,000 रुपये से कुछ अधिक हो, उपान्त सहायता देने के लिये उपबन्ध करने का विचार है ।

अधिक उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये, उन कम्पनियों पर, जो उत्पादन प्रधान घोषित की जायें, कर की सामान्य दर में पांच प्रतिशत कमी करने का विचार है । अर्थात् 65 प्रतिशत से 60 प्रतिशत जैसा कि विधेयक में प्रस्ताव किया गया है । कर की दर में कमी से वर्ष 1966–67 में राजकोष को लगभग चार करोड़ रुपये की कम आय होगी परन्तु इससे कर देने के पश्चात् अधिक आय बढ़ाने तथा इस राशि को पुनः अपने उद्योग में लगाने में इन कम्पनियों को सहायता मिलेगी । यह सहायता उन उद्योगों को दी जायेगी जो विद्युत का उत्पादन तथा वितरण, खनन, जहाज़ों का निर्माण अथवा माल परिष्करण में लगे हुये हैं । जहां तक उन भारतीय कम्पनियों का सम्बन्ध है जो आंशिक रूप से अथवा मुख्यतः उल्लिखित औद्योगिक गतिविधियों मे लगे हुये हैं, उनको ऐसी गतिविधियों से होने वाली अपनी आय में से संविहित प्रतिशतता तक लाभांश न दे सकने के लिये दाण्डिक कर से छूट देने का विधेयक में प्रस्ताव किया गया है । आयकर अधिनियम का संशोधन करके विशुद्ध अक्षय निधि तथा आस्थगित अक्षय निधि में दिये गये प्रीमियमों को भी कर की राहत देने का विचार है

[श्री शचीन्द्र चौधरी]

दान के सम्बन्ध में प्रोत्साहन देने तथा अनुचित कठिनाई को रोकने के लिये जो विलेख, नियमों या वास्तविक तथ्यों के आधार पर लेखक या संस्थापक या न्यास को पर्याप्त अंशदान देने वाले के रिश्तेदारों को लाभ दिया जायेगा। वह न्यास की आय का 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। इस से रिश्तेदारों के अतिरिक्त दूसरे व्यक्तियों को दान देने के लिये न्यास का शेष आय का प्रयोग करने के अधिकार से वंचित नहीं किया जायेगा। न्यास की इकाइयां रखने वाले "नान-रेजिडेंट होल्डरों" को लाभांश देने जो कि एक हजार रुपये से अधिक न हो, "यूनिट ट्रस्ट आफ इण्डिया" अधिनियम में और संशोधन करने का विस्तार है।

चीनी के उत्पादन शुल्क में वृद्धि, मुख्यतः चीनी के निर्यात में जो पर्याप्त सहायता दी जाती है उसको पूरा करने के लिये दी जाती है। क्योंकि इसके निर्यात से मिलने वाली विदेशी मुद्रा को हम नहीं छोड़ सकते, इसलिये उत्पादन शुल्क में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

यह शंका भी निराधार है कि सूती कपड़े के उत्पादन-शुल्क में वृद्धि से "सूती कपड़ा मिल उद्योग" पर बुरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इस वृद्धि से सूती कपड़ा मिल उद्योग के कुल उत्पादन के केवल 15 से 20 प्रतिशत उत्पादन पर ही प्रभाव पड़ेगा।

ऐसा लगता है कि छोटे पैमाने के क्षेत्रों, विशेषकर सूती कपड़ा और गन्ना उद्योग को कुछ छूट देने की आवश्यकता है। तदनुसार हथकरघे के कपड़े पर छूट देने के प्रस्ताव हैं। 22–33 एन एफ के काउन्ट ग्रूपों में बैंक द्वारा लिये जाने वाले सूती धागे पर बजट से पहले का शुल्क ही लिया जायेगा। उद्योग के दूसरे क्षेत्र में प्रयोग होने वाले दूसरे धागे पर 10 पैसे प्रति किलोग्राम शुल्क कम करना आवश्यक है। 50-300 करघे रखने वाले बड़े "पावरलूम यूनिटों" द्वारा बनाये जाने वाले मोटे कपड़े और मध्यम श्रेणी के कपड़े पर भी छूट देने का प्रस्ताव है ताकि वह "कम्पोजिट मिलों" और दूसरे और छोटे पावरलूमों के साथ प्रतियोगिता कर सकें।

यह प्रस्ताव है कि गन्ने की सस्ती किस्मों अर्थात् "मिल बोर्ड" और "स्ट्रा बोर्ड" पर छूट दी जाये। इस शुल्क को 42 पैसे प्रति किलोग्राम से कम करके 28 पैसे प्रति किलोग्राम करने का प्रस्ताव है।

दियासलाई उद्योग के छोटे पैमाने के गैर-यांत्रिक क्षत्र के मामले में शुल्क की दरों में उपयुक्त परिवर्तन किय जा रहे हैं जिससे वर्तमान् उच्चतम सीमा से वे अधिक उत्पादन कर सकें और इसके साथ साथ वे ऐसे अधिक उत्पादन पर केवल कुछ अधिक शुल्क दें सकें। रासायनिक उद्योग के काम में आने वाले "सल्फ्युरिक एसिड" पर से उत्पादन-शुल्क की पूरी छूट देने का भी प्रस्ताव है। इस प्रयोजन के लिये आयात किये जाने वाले सल्फर पर नियामक सीमा शुल्क से छूट दी जा रही है।

सीमा तथा उत्पादन शुल्कों में रियायत देने से एक पूरे वर्ष में लगभग दो करोड़ रुपये की कम आय होगी।

निर्यात को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता की दृष्टि से जूट के कालीनों के निर्यात के लिये कर की छूट में वृद्धि उचित है। ठीक दर की घोषणा बाद में की जायेगी परन्तु कुल दर 10 प्रतिशत से नहीं बढ़ेगी। इससे राजकोष पर पूरे वर्ष के लिये 1.25 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा परन्तु आशा है कि इस वस्तु की निर्यात की राशि में वृद्धि से उसका उद्देश्य पूरा हो जायेगा।

संक्षेप में, 1966–67 के वर्ष के दौरान उन अग्रेतर रियायतों से राजकोष पर 7.75 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। इससे कमी 25 करोड़ रुपये से बढ़कर 32.75 करोड़ रुपये हो जायेगी परन्तु उत्पादन में वृद्धि के साथ राजस्व भी तदनुसार बढ जायेगा। यदि ऐसा हो तो घाटा कम हो जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : कराधान के नियमित ढांचे के पुनर्गठन का प्रस्ताव एक ठीक कार्यवाही है और प्रशंसा-योग्य है। मैं बोनस शेयरों को जारी करने तथा उनकी प्राप्ति से कर की समाप्ति

दूसरे लाभांश पर से कर आंशिक रूप से हटाये जाने, समवाय अधिकार में छूट, तथा अब अनिवार्य वार्षिक जमा खातों सम्बन्धी सुधरी हुई स्थिती का स्वागत करता हूं। वित्त विधेयक में जो उपबन्ध किये गये हैं और वित्त मंत्री ने आज जो परिवर्तन घोषित किये हैं उनसे सट्टा बाजार में कुछ दृढ़ता की भावना आई है। इससे अधिक उन्होंने कुछ नहीं किया है।

वित्त विधेयक से न तो बचत बढ़ेगी और न ही तो बचत के लिये प्रोत्साहन मिलेगा। इससे लोगों को पूंजी बाजार में इक्विटी शेयरों के रूप में धन लगाने का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। इस प्रकार पूंजी निर्माण में वृद्धि नहीं होगी। इस विधेयक में अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिये कुछ उपबन्ध नहीं किया जायेगा।

आम व्यक्ति को पिछले 15 वर्षों से धीरे-धीरे बढ़ रहे कर के बोझ में कोई छूट नहीं दी गई है।

केन्द्रीय सरकार ने 1955–56 में प्रत्यक्ष करों और राज्य सरकारों ने भू-राजस्व के रूप में केवल 248 करोड़ रुपये वसूल किये थे और 1960–61 तक यह राशि 388 करोड़ रुपये तथा 1965–66 में 732 करोड़ रुपये हो गई। यह राशि 248 करोड़ रुपये से बढ़कर 732 करोड़ रुपये हो गई जो कि तीन गुना है।

अप्रत्यक्ष कर इससे भी खराब हैं। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने अप्रत्यक्ष करों द्वारा 1955–56 में 516 करोड़ रुपये अर्थ-व्यवस्था में से वसूल किये थे परन्तु 1965–66 में यह राशि बढ़कर 2043 करोड़ रुपये हो गई जो कि चार गुना है।

अर्थ-व्यवस्था में से कराधान के रूप में 1955–56 में हुई कुल कटौती में 767 करोड़ रुपये से 1965–66 में 2800 करोड रुपये तक वृद्धि हो गई है।

कुछ अन्य मामले भी हैं जिससे राष्ट्रीय आय में कमी होती है। 1960–61 में राष्ट्रीय आय में से 2563 करोड़ रुपये और 1965–66 में 5330 करोड़ रुपये की कटौती हुई। प्रतिशतता के आधार पर पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय आय में 50 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 20 प्रतिशत राष्ट्रीय आय को सरकारी राजकोष में डाल दिया गया है। राष्ट्रीय आय में हुई 42 प्रतिशत वृद्धि को अर्थव्यवस्था से निकाल दिया गया है। यह बहुत ही अधिक प्रतीत होती है।

यदि 440 रुपये की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में से जो बहुत कम है। 66 रुपये निकाल दिये जायें, करारोपण में अत्याधिक वृद्धि होती जाये, राष्ट्रीय आय में प्रति व्यक्ति 115 रुपये की वृद्धि हो तथा प्रति कर में 35 करोड़ रुपये बढ़ाये जायें तो यह बहुत गलत कदम होगा।

20,000, 40,000 तथा 70,000 रुपये की आय वाले लोगों की उपभोग्य आय में बहुत कमी हुई है।

सब को ज्ञात है कि मूल्यों में वृद्धि हुई है .....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रखें। अब हम गैर-सरकारी कार्यवाही आरम्भ करेंगे।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

सत्तासीवां प्रतिवेदन

श्री श्रीनारायण दास : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्तासीवें प्रतिवेदन से, जो 28 अप्रैल 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मैं आपका ध्यान इस रिपोर्ट के पैरा 4 की ओर दिलाता हूं जिसमें विधेयकों के वर्गीकरण के बारे में जिक्र है। मेरे विधेयक का भी उस में उल्लेख है।

मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे विधेयक को 'क' श्रेणी में रखा जावे क्योंकि उसका उद्देश्य राज्य के उच्च अधिकारियों जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा राज्यपालों को राजनीति दलों के लिये कार्य करना निषेध किया है जब वह अपना कार्यभार संभाले हों।

इस लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस प्रतिवेदन के मद 4 के उप-मद (4) को वर्ग 'क' में रखा जाए।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : ऐसी कोई विलक्षण बात नहीं है। यदि कभी कोई बात बहुत महत्वपूर्ण होती है तो उप-समिति उसकी श्रेणी 'क' में रखने की सिफारिश करती है। इसलिये इसे अब समिति के पास वापिस न भेजा जावे।

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : गत कुछ समय से कुछ राज्यपाल सक्रिय राजनीति में भाग ले रहे हैं। मुझे पता नहीं कि ऐसा करने से देश कहां पहुंचेगा। इसलिये श्री कामत के इस विधेयक पर पूरी तरह विचार करना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर हम इसे समिति के पास वापिस भेजेंगे।

प्रश्न यह है :—

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के सत्तासीवें प्रतिवेदन से, जो 28 अप्रैल, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, इस रूप भेद के साथ सहमत है कि प्रतिवेदन के पैरा 4 की मद 4 में दिखाया गया श्री हरि विष्णु कामत का संविधान (संशोधन) विधेयक समिति को पुनः सौंपा जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted*

संविधान (संशोधन) विधेयक--जारी
CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL--Contd.

अनुच्छेद 75 तथा 164 का संशोधन
(Amendment of articles 75 and 164)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री हरि विष्णु कामत द्वारा 1 अप्रैल 1966 को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार "कि भारत के संविधान में आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जावे"।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Deputy Speaker, I request that since it is a important bill, the time for it may be extended by half an hour.

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : इस पर आप सभा का मत ले लीजिये ।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा की अनुमति से समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाता है ।

श्री प्र० रं० चक्रवर्ती (धनबाद) : श्री कामत के इस विधेयक के साथ में सहमत हूं और इसका समर्थन करता हूं ।

संसार में उच्च सदन का इतिहास 3000 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था और अब इसकी भिन्न भिन्न शक्ल हो गई है ।

अमरीका में 'सेनेटर' का चुनाव परोक्ष रूप से होता है और वहां प्रत्येक राज्य से 2 "सेनेटर" चुने जाते हैं । वहां 50 राज्य हैं और इस लिये 100 "सेनेटर" हैं । यही कारण है कि वहां 'सेनेटर' को निचले सदन के सदस्यों से अधिक महत्व दिया जाता है । परन्तु यहां के इस गरीब उच्च सदन की क्या स्थिति है ?

इंग्लैंड में एक ससंत्सदस्य 85,000 व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जितना कि हमारे देश में एक राज्य विधान सभा का सदस्य करता है । हमारे देश में ससंत्सदस्य 8 लाख व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है । इसलिये इनके महत्व को ध्यान में रखा जाए । जब राज्यसभा के सदस्य के पास कोई व्यक्ति अपनी शिकायत लेकर जाता है तो वह तुरन्त उस से कहता है कि अपने हल्के के ससंत्सदस्य अथवा विधान सभा के सदस्य के पास जाओ । और फिर भी वह राज्य का प्रतिनिधि है । यदि उच्च सदन का परोक्ष चुनाव हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

इसलिये यहां का प्रशासन लोक सभा के ही हाथ में होना चाहिये क्योंकि यह जनता से जवाबदार है । यही कारण है कि मैं संवैधानिक रूप में श्री कामत ने जो प्रश्न रखा है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : श्री कामत के विधेयक का समर्थन करते हुए मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मेरा अभिप्राय किसी मंत्री महोदय का अपमान करना नहीं है न ही दूसरे सदन के सदस्यों का अपमान दिखाना है । मेरा अभिप्राय तो केवल घर संबंधी नीतियों आदि को देखते हुए और सदन के चुनाव तरीके को देखते हुए, यह कहना है कि इस सदन को अधिक अधिकार प्राप्त होने चाहिये ।

इस विधेयक में सीधी सी बात है कि प्रधान मंत्री तथा मंत्रिमंडल के सदस्य इस सदन के सदस्य हों । उस उच्च सदन के एक-चौथाई से अधिक मंत्री मंत्रिमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिये ।

यही स्थिति राज्यों में होनी चाहिये । वहां के मुख्य मंत्री तथा राज्यों के मंत्रिमंडल के सदस्य निचले सदन के सदस्य होने चाहियें । और निचले सदन के भी वह सदस्य जिनका परोक्ष निर्वाचन हुआ है ।

मुझे आशा है कि इस विधेयक का सदन के सब वर्ग स्वागत करेंगे ।

श्री च० का० भट्टाचार्य (रायगंज) : जब सरकार की ओर से कोई संविधान में संशोधन का विधेयक आता है तो विरोधी दल कहते हैं कि सरकार संविधान का मान नहीं कर रही और बार बार उसमें संशोधन करना चाहती है । परन्तु विरोधी दलों के सदस्य स्वयं संविधान में संशोधन के विधेयक लाते रहते हैं ।

उच्च सदन के सदस्य का मुख्य मंत्री पहली बार श्री राजगोपालाचारी को बनाया गया था ।

इस विधेयक पर मैं यह मानता हूं कि यह सदन ही अधिक अधिकार वाला है और प्रधान मंत्री भी इसी सदन का होना चाहिये । परन्तु यदि यह परम्परा के रूप में हो तो अधिक अच्छा होगा । संविधान में इसे लिखने से तो बडी सख्त बात हो जायेगी ।

वर्तमान प्रधान मंत्री को भी ऊंचे सदन से लिया जाना एक अजीब समय की बात है जब कि चुनाव करना संभव नहीं था अन्यथा वर्तमान प्रधान मंत्री स्वयं चुनाव लड़ने को तैयार होती ।

मैं श्री कामत को सुझाव दूंगा कि इस विधेयक को वापिस ले लें ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker, I rise to support the Bill of Shri Kamath. According to article 75(3) of the Constitution the Council of Ministers shall be collectively responsible to the House of the People.

So our Constitution is very clear about it that here the Prime Minister and the Chief Minister of a State should be from the lower House.

In England after Lord Salisbury, 20th member of the House of Lords became the Prime Minister.

Lord Jerrings has written the following in his book which was published in 1937 :—

> "Again, the fact that the King asked Mr. Baldwin and not Lord Curzon to form a Government in 1922 does not of itself imply that the King must never in future appoint a peer as Prime Minister".

So certain happening took place in England after Lord Salisbury due to which the position of House of Lords decreased to gradually.

Again in 1940 after the resignation of Mr. Chamberlain this question cropped up. People thought that Lord Halifax would be called by the King to form Government. But Lord Halifax himself advised Mr. Chamberlain that he should advise King to invite Mr. Churchill to form Government as he belongs to the House of Commons.

[श्री श्यामलाल सर्राफ पीठासीन हुए
SHRI SHAMLAL SARAF *in the Chair*]

Therefore I want to submit that after the death of Shri Shastriji, the appointment of Prime Minister from the Rajya Sabha was a wrong step. Smt. Indira Gandhi should herself have resigned and contested election to Lok Sabha within six months.

I therefore support the Bill of Shri Kamath. If this Bill is not passed, the Prime Minister herself should resign and contest for Lok Sabha and create a new convention here.

Shri Shree Narayan Das (Darbhanga) : I support the Bill of Shri Kamath. I hope all the members of the House will support it.

Rajya Sabha is not the representation of the people. It is the representation of the States. Hence the Prime Minister should be from the Lok Sabha.

I also want that the maximum member of ministers should be fixed. It is also good that not more than one fourth of the ministers should belong to Rajya Sabha.

So far as the Prime Minister is concerned, he or she should always belong to Lok Sabha. This should be the convention. If necessary, there should be amendment of the constitution for it.

Shri Bade (Khargone) : I support the bill of Shri Kamath. When the members of the opposition bring an amendment to the constitution, there is furor from congress benches but they themselves have amended the constitution 19 ties.

In India, we do not have Peers and Bacons as is the case in England. We have adult franchise. Only the members of Lok Sabha are the true representatives of the people. Hence it is a simple principle that the Prime Minister should be a member of the Lok Sabha.

Similarly there should a ceiling on the number of ministers.

The third thing is that this back door entry to the upper House from those who are defeated in election to lower House is very bad. It should be stopped.

I again support this Bill.

Shri R. S. Tiwary (Khajuraho) : I partly support the Bill of Shri Kamath. I oppose three-fourth of this Bill.

Our Constitution was framed after taking into consideration all the conditions of our country. The system of election here is also according to our condition and hence it is quite alright.

I therefore want that this may be withdrawn.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : I support the Bill of Shri Kamath. When Shri Madhu Limaye was quoting from the practice in England, I was wondering as to why he was quoting from English books. But now I appreciate his point because the Congress party is English in its thinking and so only English practices are relevant to it.

In 1957 the Congress itself was of the view that not only Prime Minister but even the ministers should belong to the lower House. thereafter they began drifting and now we have even the Prime Minister from the Upper House.

Similarly the manner in which the Prime Minister's leadership election was conducted was also ridiculous. Therefore keeping these things in view they should be given a legal shape.

My submission is that Shri Kamath's Bill should be accepted by the Government or they should bring forward a Bill in some other form on their own. Rajya Sabha the upper House should be abolished and the Prime Minister should be a Member of the Lok Sabha.

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : यह धारणा उत्पन्न करना बिल्कुल उचित नहीं है कि वर्तमान प्रधान मंत्री लोक सभा के लिये चुनाव लड़ने से घबराते है। हमारे प्रधान मंत्री देश भर में तथा विदेशों में सुविख्यात है। वह काफी समय से इस देश को राष्ट्रीय नेता रही है। यह तो केवल एक संयोग मात्र था कि जब कांग्रेस पार्टी, राष्ट्र तथा देश ने उनसे प्रधानमंत्री बनने का अनुरोध किया तो उस समय वह राज्य सभा की सदस्या थीं।

हम सिध्दान्तत : यह मानते हैं कि इस देश का प्रधान मंत्री लोक सभा का सदस्य ही होना चाहिये। परन्तु हमें प्रधान मंत्री के व्यक्तित्व के बारे में आलोचना करते समय सावधान रहना चाहिये। जो आलोचना की गई है वह बिल्कुल अनुचित है।

विभिन्न विभागों के लिये मंत्रियों की नियुक्ति करते समय प्रधान मंत्री को यह ध्यान में रखना चाहिये कि उनको अपने अपने विभागों के कार्यों की जानकारी हो।

Shri Sinhasam Singh (Gorakhpur) : Government should accept the principle laid down in this Bill.

[Shri Sinhasam Singh]

If there had been no emergency in this country, the Prime Minister would have fought the election long long ago, and the need to bring forward such a Bill would not have arisen at all. Now the emergency is being confined to the border areas alone, and the hurdle in the way of fighting an election will perhaps disappear in the changed context.

The cabinet is answerable to the Lok Sabha alone. Lok Sabha alone can sanction money to the Government. Keeping in view these facts and the importance of Lok Sabha, it is but proper that the Prime Minister is elected from amongst the Members of Lok Sabha. We should follow the conventions of the British Parliament in this respect.

श्री जी० भ० कृपलानी (अमरोहा) : किसी देश का शासन संविधान द्वारा नहीं चलाया जाता है। संविधान में तो केवल सिद्धान्त दिये हुए है जबकि शासन करना एक व्यावहारिक बात है। उदाहरणार्थ, इंग्लैंड का सम्राट वहां की सारी जनता को लॉर्ड बना सकता है, परन्तु क्या वह ऐसा करेगा। बिल्कुल नहीं। वह यह भी कह सकता है कि वह सेना का कमाण्डर है और इसलिये उसे सेना की कमान संभालनी चाहिये। क्या वह ऐसा कर सकता है? वह ऐसा नहीं कर सकता। ये सब चीजें परम्पराओं द्वारा ही नियमित की जाती है।

कांग्रेस सरकार अस्थायी कठिनाइयों पर काबू पाने के बारे में ही सोचती है और इन कठिनाइयों पर काबू पाने की उत्सुकता में वह ऐसी परम्पराएं स्थापित कर देती है जो हानिकारक होती है।

विचाराधीन मामले में संविधान में परिवर्तन करने का प्रश्न नहीं है परन्तु प्रश्न तो स्वस्थ्य परम्पराएं स्थापित करने का है। कांग्रेस को गलत प्रथाएं स्थापित करने की आदत हो गई है। कांग्रेस समझती है कि वह अमर है और इसलिये वह गलत प्रथाएं स्थापित कर रही है। उसे यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि कभी वह भी एक विरोधी दल के रूप में होगी और तब यही प्रथाएं उसके उचित रूप से कार्य करने के रास्ते में बाधक होंगी जैसे कि ये परम्पराएं अब हमारे उचित ढंग से कार्य करने में बाधाक सिद्ध हो रही है।

कांग्रेस दल के नेता का पिछला चुनाव जिस प्रकार से हुआ है उससे प्रधान मंत्री पद की प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा है। कई ऐसे व्यक्ति है जो यह दावा करते हैं कि वर्तमान प्रधान मंत्री को उन्होंने ही इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचाया है।

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : In the constitution equal rights and privileges have been conferred on both the Houses of Parliament. Lok Sabha has an upper hand in money matters. We cannot question the representative character of the Members of Rajya Sabha as they are elected by the representatives of the states. Even the mover of the Bill has not questioned the representative character of the Rajya Sabha. He has said that some Ministers can be appointed from amongst the Members of Rajya Sabha. If he had stated otherwise, there was some justification for bringing forward this Bill. But there is an obvious contradiction in the provisions laid down in this Bill. Therefore it cannot be supported.

The cabinet has a joint responsibility and therefore no distinction can be made between the Prime Minister and the other members of the Cabinet.

Shri Balmiki (Khurja) : I support this Bill. It is necessary that parliamentary democracy develops in our country on the levels of socialism and to this end we should establish healthy conventions here.

There can be no two opinions in this matter that Lok Sabha is the true representative of the people and reflects the sentiments and feelings of the people. Only by attaching importance to the Members of Lok Sabha, parliamentary democracy can be strengthened in this country.

The Prime Minister and the Chief Ministers should therefore be elected only by the Members of Lok Sabha and the Vidhan Sabhas respectively, who are the true representatives of the people. The Members of Rajya Sabha and the State Councils should not be imposed on us so far as elections to these high offices are concerned.

Government should bring forward a similar Bill on their own so that healthy parliamentary conventions can be established in our country.

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : It is for the ruling party to ensure that democracy and democratic traditions are respected in this country. From this point of view, the object of this Bill is quite laudable.

In this context we should also consider as to how we can cut down expenditure on our democratic system. In this connection I would suggest that we can function very well without the institution of State councils and the Rajya Sabha.

The hon. Home Minister should assure us that this thing would not be repeated and that only a member of Lok Sabha would be eligible for election to the office of the Prime Minister in future.

Shri J. P. Jyotishi (Sagar) : The mover of the Bill has raised an important issue before this House and it should be discussed dispassionately and in all seriousness.

It would not be desirable to discuss the relative importance of the Members of both the Houses here. No distinction has been made between them under the constitution and both the Houses stand on equal footing. The question of choosing the leader should be considered very carefully. It is also a very complicated matter as to which of the two Houses has greater representation of the people. Shri Kamath's Bill does not contain any satisfactory provision to solve this tangle. In these circumstances it would be better to consider the whole issue more fully and dispassionately.

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : राज्य सभा के सदस्य भी लोगों का उतना ही प्रतिनिधित्व करते हैं जितना कि लोक सभा के सदस्य। इस बारे में विवाद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य सभा की इंग्लैंड के हाउस आफ लार्डस के साथ तुलना करना गलत है। क्योंकि राज्य सभा के सदस्य हाउस आफ लार्डस के सदस्यों की तरह नहीं चुने जाते हैं।

इस विधेयक की कतई आवश्यकता नहीं थी। हमें स्वस्थ परम्पराओं को स्थापित करना है और इस बात को ध्यान में रखना है कि जहां तक व्यवहार्य हो हमें लोगों के वास्तविक प्रतिनिधियों को ही चुनना चाहिये।

श्री राजाराम (कृष्णगिरी) : हमें कुछ स्वस्थ परम्परायें स्थापित करनी चाहियें जो भविष्य के लिये उदाहरण बन सकें। उनमें से एक अच्छी परम्परा यह है कि प्रधान मंत्री तथा मुख्य मंत्रियों को सीधो लोगों द्वारा निर्वाचित सभा से ही चुना जाना चाहिये। इस विधेयक का सार यही है और इसका पूर्णतया समर्थन किया जाना चाहिये।

श्री अ० व० राघवन (बंडागरा) : खड़े हुए --

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को पता है कि समय लगभग आधा घण्टा बढ़ा दिये जाने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब माननीय मंत्री उत्तर देंगे।

श्री अ० व० राघवन : मैं केवल यही कहना चाहता था....*

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : इस विषय पर चर्चा करने का श्री कामत ने जो अवसर प्रदान किया है उसका मैं स्वागत करता हूँ.....

Shri Onkar Lal Berwa (Kotan) : There is no quorum in the House.

Mr. Chairman : Kindly sit down. I will count myself.

श्री हाथी : .... माननीय सदस्यों तथा सरकार को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देंगे।

सभापति महोदय : हाउस में अब कोरम है।

Shri Onkar Lal Berwa : There is no quorum.

श्री हाथी : जहां तक सरकार, सत्तारूढ़ दल और हम सब का सम्बन्ध है, जो लोग लोकतंत्र तथा संसदीय पद्धति में विश्वास रखते हैं, सिद्धान्ततः इस बात में कोई संदेह नहीं रखते कि सामान्यतः प्रधान मंत्री लोकसभा के लिये निर्वाचित सदस्यों में से ही होना चाहिए।

श्री कामत ने विभिन्न देशों के संविधानों तथा पूर्वोदाहरणों की विस्तृत चर्चा की है उन्होंने इस समय इस विधेयक को इसलिए पेश किया है कि मंत्रिमंडल में राज्य सभा के अधिक सदस्य हैं और प्रधान मंत्री भी राज्य सभा की ही सदस्या हैं और उन्हें उनके दल का अच्छा समर्थन प्राप्त हो जाएगा।

[श्री पें० वेंकटासुब्बया पीठासीन हुए
SHRI P. VENKATASUBBAIAH *in the Chair*]

इस पक्ष के कई सदस्यों ने कहा है कि वे सिद्धान्त से सहमत हैं परन्तु संविधान को संशोधन किये जाने को उचित नहीं समझते।

श्री कृपलानी ने ठीक ही कहा है कि संविधान सैद्धांतिक है और व्यावहारिकता की आवश्यकता है। अतः परिपाटियों द्वारा अच्छे सिद्धान्तों तथा पूर्वोदाहरणों को बनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम बुरे पूर्वोदाहरणों द्वारा परिपाटियों का निर्माण कर रहे हैं। जहां तक भारत के प्रधान मंत्री का प्रश्न है, इसी बार ऐसा रहा है कि चुनाव नहीं किये गये और दो वर्षों के अन्दर दो प्रधान मंत्रियों का निधन हुआ है। परन्तु प्रधान मंत्री की नियुक्ति बहुमत वाले दल द्वारा की जाती है और इस प्रकार प्रधान मंत्री बहुमत का विश्वास प्राप्त है।

आज के मंत्रिमण्डल का गठन जिस प्रकार का है वह प्रश्न विशेष परिस्थितियों के कारण ही है। चर्चा के दौरान ऐसा कहा गया है जिस से दूसरी सभा के महत्व की कमी का संकेत होता है। परन्तु हम संसद को दोनों सभाओं को मिला कर ही भारतीय संसद के रूप में कार्य करते हैं। दोनों सभाओं के कर्तव्य तथा कार्यों को संविधान में बताया गया है तथा निर्धारित किया गया है। अतः श्री बड़े द्वारा दूसरी सभा को यतीमखाना कहा जाना उचित नहीं था। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये जिस से आपसी सम्बन्ध बिगड़े।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कामत का यह विचार नहीं है कि दूसरी सभा के मंत्री उपयोगी नहीं हैं और उन्हें नहीं रखा जाना चाहिये। यदि ऐसा होता तो इस विधेयक में वह यह उपबन्ध नहीं रखते कि 1/4 सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य हो सकते हैं।

एक माननीय सदस्य ने प्रधान मंत्री के बारे में कहा था कि यदि वह चुनाव लड़ती तो हार जाती। आचार्य जी ने तो यहां कहा था कि वह चुनाव जीत जाती। यहां मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार किसी व्यक्ति के बारे में सभा में चर्चा नहीं की जानी चाहिये।

यदि पूर्वोदाहरणों का बार बार अमल में लाया जाय तो परिपाटियां स्थापित हो जाती हैं। पिछले दोनों प्रधान मंत्री लोक सभा के ही सदस्य थे। वर्तमान प्रधान मंत्री ने मुझे बताया है कि वह चुनाव लड़ने के लिये तैयार थीं परन्तु आपात के कारण चुनाव नहीं हुए।

विधेयक की भावना स्वीकार करने योग्य है परन्तु बिलकुल रोक नहीं होनी चाहिये। विशेष परिस्थितियों में किसी सीमित काल के लिये राज्य सभा के सदस्य के प्रधान मंत्री होने पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

हमें अच्छी परिपाटियों की स्थापना करनी चाहिये। यह नहीं देखना चाहिये कि बल कांग्रेस होगी या नहीं। कल दूसरा दल भी सत्ता में आ सकता है। एक राष्ट्रीय परिपाटी होनी चाहिये। हमें भविष्य के बारे में अपना यह दृष्टिकोण रखना चाहिये कि जैसे हम अभी हैं। अपनी परिपाटियां भी इसी दृष्टिकोण से बनानी चाहिये।

अतः मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार विधेयक की भावना से सहमत है परन्तु संविधान के संशोधन के पक्ष में नहीं है। ऐसा समय आ सकता है जब राज्य सभा के सदस्य को प्रधान मंत्री बनाना पड़े। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री हरि विष्णु कामत : इस चर्चा में 32 सदस्यों ने भाग लिया है जिस से यह स्पष्ट है कि सदस्यों की इस विषय में काफी रुचि है। इस विधेयक को हर पक्ष ने समर्थन दिया है। जिन लोगों ने इस विधेयक का समर्थन नहीं किया है वे विधेयक की भावना के पक्ष में अवश्य हैं। माननीय प्रधान मंत्री भी यही चाहती थीं कि वह लोक सभा को निर्वाचित होतीं परन्तु आपात के कारण ऐसा नहीं हो सका है। मैं नहीं कह सकता कि आपात इस कार्य में किस प्रकार बाधक हो रहा है। जैसा कि श्री दांडेकर तथा अन्य सदस्यों ने कहा है हम किसी व्यक्ति विशेष के बारे में विशेषकर प्रधान मंत्री के बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। हम तो केवल अच्छी परिपाटियों के निर्माण के पक्ष में हैं जिस से सच्चे लोकतंत्रात्मक सिद्धान्तों की स्थापना हो सके। अतः मैं गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आपात स्थिति क्यों बाधक हो रही है।

प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि मंत्रिपरिषद प्रत्येक सदस्य को चाहिये कि वह चुनाव लड़े और संसद में लोक सभा के सदस्य की हैसियत से आये।

पिछले विश्वयुद्ध के समय ब्रिटेन में चुनाव हुए थे और अमरीका में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ था। परन्तु मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि आपात काल में चुनाव क्यों नहीं किये जा रहे हैं। आपात के बारे में पुनः विचार किया जाना चाहिये और कम से कम चुनाव तो होने ही चाहिये। इस प्रकार माननीय प्रधान मंत्री की जो इच्छा है कि वह लोक सभा की सदस्य निर्वाचित हो कर आयें पूरी हो सकेगी।

[श्री हरि विष्णु कामत]

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा था कि इस विधेयक द्वारा दूसरी सभा का अपमान हुआ है। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। संविधान ने ही दोनों सभाओं को उनके कार्य तथा हैसियत के मामले में असमान बनाया है।

Shri Onkarlal Berva : Mr. Chairman, there is no quorum in the house.

सभापति महोदय : गणपूर्ति नहीं है। सभा का क्या विचार है ? क्या घंटी बजाई जाये अथवा सभा को स्थगित किया जाय।

एक माननीय सदस्य : स्थगित किया जाए।

सभापति महोदय : चूंकि सभा की ऐसी इच्छा है इसलिए अब सभा स्थगित होती है और कल ग्यारह बजे पुनः समवेत होगी।

इसके पश्चात् लोक-सभा शनिवार, 30 अप्रैल, 1966/10 वैशाख, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Saturday, April 30, 1966/*Vaisakh* 10, 1888 (*Saka*)

भा०स०मु०ना०—वि 5—66 लोक सभा/66—27-9-67—565

P.L.S. 48.LIV.50-66(N)
600

© 1966 प्रतिलिप्याधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और व्यवस्थापक,
भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक द्वारा मुद्रित ।

© 1966 BY LOK SABHA SECRETARIAT

PUBLISHED UNDER RULES 379 AND 382 OF THE RULES OF PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION) AND PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, NASIK.